संसदीय पत्रिका (त्रैमासिक)

संसदीय पत्रिका लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका दी जर्नल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन का हिंदी रूपान्तरण है। यह पत्रिका संसद के साथ साथ राज्यों और विदेशी विधायी निकायों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी का प्रामाणिक अभिलेख है। यह भारत में लोकतंत्र के क्रमिक विकास को प्रतिबिम्बित करते हुए संसदीय व्यवस्था के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी साझा करती है।

संसदीय पत्रिका खंड 70 अंक 1 मार्च 2024 लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 अंक 1 मार्च 2024

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 | अंक 1 | मार्च 2024

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 **अंक 1** **मार्च 2024**

इस अंक में

भाषण **पृष्ठ**

13 से 14 अक्तूबर, 2023 तक आयोजित जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के नौवें शिखर सम्मेलन (पी20) के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण............................. 1

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा पी20 शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्तूबर, 2023 को आयोजित "लाइफ: पर्यावरण हेतु जीवन शैली" विषय संबंधी संसदीय मंच की बैठक के दौरान दिया गया भाषण... 4

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अक्तूबर, 2023 को दिया गया उद्घाटन भाषण.. 6

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 13 अक्तूबर, 2023 को उद्घाटन सत्र के दौरान दिया गया भाषण........................ 11

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 14 अक्तूबर, 2023 को समापन सत्र के दौरान दिया गया भाषण........................ 15

संसदीय घटनाक्रम और कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां.. 18

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती.. 23

संसदीय शिष्टमंडलों के दौरे.. 25

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)........... 27

सदस्यों की संदर्भ सेवा.. 29

विशेषाधिकार के मामले

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम... 32

संवैधानिक और संसदीय रुचि के महत्वपूर्ण प्रलेख.................................... 41

	पृष्ठ
सत्र समीक्षा	
लोक सभा..	68
राज्य सभा..	103
राज्य विधानमंडल...	110
संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य..	112
परिशिष्ट	
एक. सत्रहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दौरान किये गये कार्यों को दर्शाने वाला विवरण..	114
दो. राज्य सभा के 262वें सत्र के दौरान किए गए कार्य को दर्शाने वाला विवरण...	120
तीन. 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों की गतिविधियों को दर्शाने वाला विवरण..	128
चार. 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान संसद के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयकों की सूची...	134
पांच. 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची...	136
छह. 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश..........................	141
सात. लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों में दलों की स्थिति......................................	143

13 से 14 अक्तूबर, 2023 तक आयोजित जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के नौवें शिखर सम्मेलन (पी20) के दौरान गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के नौवें शिखर सम्मेलन (पी20) से पहले 12 अक्तूबर, 2023 को "लाइफ: पर्यावरण हेतु जीवन-शैली" विषय पर संसदीय मंच को संबोधित किया। जी20 देशों और अतिथि देशों, जिनमें नव-शामिल अफ्रीकी संघ भी शामिल है, के संसद सदस्य, पृथ्वी के भविष्य के लिए अपनाई जाने वाली जीवन-शैली पर विचार-विमर्श करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली में एकत्रित हुए। श्री बिरला ने कहा कि मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण का एक व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों का अपव्यय कम से कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने के लिए प्रेरित करता है। श्री बिरला ने कहा कि मिशन लाइफ अब एक वैश्विक आंदोलन बन गया है और विश्व के अनेक देश इसी आधार पर अपनी भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुसार नीतियां और कार्य योजनाएं बना रहे हैं। जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के नौवें शिखर सम्मेलन (पी20) के भव्य उद्घाटन से एक दिन पूर्व आयोजित 'लाइफ' (पर्यावरण हेतु जीवन-शैली संबंधी मिशन) संबंधी संसदीय मंच की बैठक में संसद सदस्यों ने मानवता संबंधी चुनौतियों और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके समाधान के तरीकों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए।

नई दिल्ली में पी20 शिखर सम्मेलन से पहले "लाइफ: पर्यावरण हेतु जीवन शैली" संबंधी संसदीय मंच के उद्घाटन के अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष, महामहिम मिल्टन डिक, बांग्लादेश की जातीय संसद की अध्यक्ष, महामहिम सुश्री शिरीन शर्मिन चौधरी, संयुक्त अरब अमीरात के फ़ेडरल नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष, महामहिम श्री सकर घोबाश और पैन अफ्रीका के कार्यवाहक अध्यक्ष, महामहिम डॉ. अशेबीर वोल्डेगियोर्गिस गायो से मुलाकात की।

13 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर), नई दिल्ली में जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के नौवें शिखर सम्मेलन (पी20) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष, लोक सभा श्री ओम बिरला भी उपस्थित थे। जी20 देशों और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी, अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष श्री डुयार्टे पाचेको और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला तथा आईपीयू अध्यक्ष, श्री डुयार्टे पाचेको 13 अक्तूबर, 2023 को पी20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशिष्ट सभा को संबोधित करते हुए भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पी20 शिखर सम्मेलन उस भूमि पर हो रहा है, जिसे न केवल लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है।

प्रधानमंत्री ने समय के साथ भारत की संसदीय परंपराओं के निरंतर विकास और सुदृढ़ीकरण के बारे में विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में 17 आम चुनाव और 300 से अधिक राज्य विधान सभा चुनाव हो चुके हैं तथा विश्व की सबसे बड़ी इस चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने भारत की संसदीय परंपराओं में नागरिकों के अटूट विश्वास पर प्रकाश डालते हुए इसका श्रेय इसकी विविधता और जीवंतता को दिया।

वैश्विक जुड़ाव की प्रकृति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष और टकराव से भरी दुनिया किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समय विकास और सभी के कल्याण का है तथा इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक विश्वास में हो रही कमी को दूर किये जाने तथा मानव-केंद्रित सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया को एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने पी20 के मंच में पैन अफ्रीका की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की।

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको ने जी20 शिखर सम्मेलन के सफल नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए श्री पचेको ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में भारतीय संसद की प्रमुख भूमिका और प्रासंगिकता के कारण पी20 शिखर सम्मेलन की सफलता पूर्व निश्चित थी। विश्व शांति के आधारभूत मूल्य को रेखांकित करते हुए श्री पचेको ने कहा कि सांसदों को विश्व के सभी हिस्सों में शांति सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति के बिना यह विश्व सतत विकास जैसे लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा। श्री पचेको ने उल्लेख किया कि वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में सांसदों की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि वे संवाद और चर्चा के आधार पर सर्वसम्मति बनाने में दक्षता रखते हैं। उन्होंने इस दिशा में आईपीयू और पी20 के कार्यों की सराहना की।

जी 20 देशों के संसदीय अध्यक्षों का नौवां शिखर सम्मेलन (पी20) 14 अक्तूबर, 2023 को लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला के समापन भाषण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश, अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको, जी20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा श्री ओम बिरला ने जी20 देशों और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों को "एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसदें" विषय पर आयोजित पी20 शिखर सम्मेलन की सफलता में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सतत विकास लक्ष्य, हरित ऊर्जा, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विषयों पर आयोजित चार सत्रों के दौरान साझा किए गए मूल्यवान विचार और सुझाव मानव-केंद्रित विकास के लिए जी20 प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करेंगे। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अपनाए गए दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए दिल्ली पी20 ने सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। जी20 देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने संयुक्त वक्तव्य पारित करने हेतु सर्वसम्मति बनाने में श्री बिरला के प्रयासों की सराहना की। जी20 के संसदीय आयाम के संबंध में, श्री बिरला ने कहा कि पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं ने जी20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है तथा यह भी सुनिश्चित किया है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसदें किस प्रकार मिलकर काम कर सकती हैं। भारत की पी20 अध्यक्षता के समापन पर लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने ब्राजील की संसद को पी20 की अध्यक्षता सौंपी।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा पी20 शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्तूबर, 2023 को आयोजित "लाइफ: पर्यावरण हेतु जीवन शैली" संबंधी संसदीय मंच की बैठक के दौरान दिया गया भाषण

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला पी20 शिखर सम्मेलन से पूर्व 12 अक्तूबर, 2023 को आयोजित लाइफ (पर्यावरण हेतु जीवन शैली) संबंधी संसदीय मंच को संबोधित करते हुए।

गण्यमान सदस्यो

आप सबका लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल से संबंधित प्री समिट बैठक में आप सबका अभिवादन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

आज पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन ऐसा विषय है जो सम्पूर्ण विश्व के साझे भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने पी20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है और आज प्री समिट में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

गण्यमान सदस्यगण

हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में पर्यावरण को मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। प्रकृति को आदर सम्मान देना हमारे संस्कारों में है।

हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि “जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है।” और यही पर्यावरण संरक्षण की मूल भावना भी है।

बदलते परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया का कोई भी देश जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। हम विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से अवगत हैं इसलिए इस दिशा में ठोस प्रयास आज के समय की मांग है।

गण्यमान सदस्यो

पर्यावरण संरक्षण के विषय पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा था। मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और री-साइकल के व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है।

इसीलिए हमें आज ऐसी जीवन शैली, ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। यह हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है।

लाइफ स्टाइल मिशन ने हमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने का एक नया मार्ग दिया है।

आज यह विचार एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। इस विचार को आधार बनाकर आज अलग–अलग देश अपनी भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुसार नीतियाँ और कार्य योजनाएं बना रहे हैं।

पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल विषय पर भारत की संसद में भी व्यापक चर्चा हुई है और कानून बनाए गए हैं। मेरा आग्रह है कि दुनिया के सभी संसदों में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या पर केवल नीतियां एवं कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हम सबको अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सामूहिकता से योगदान देने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि हम मिशन लाइफस्टाइल के संदेश को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर एक बेहतर विश्व के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं।

धन्यवाद।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अक्तूबर, 2023 को दिया गया उद्घाटन भाषण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 अक्तूबर, 2023 को पी20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।

नमस्कार !

जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में, मैं आप सभी का 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये समिट, एक प्रकार से दुनिया भर की अलग-अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। आप सभी डेलीगेट्स अलग-अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना, हम सभी के लिए बहुत सुखद है।

साथियो,

भारत में ये फेस्टिव सीज़न होता है। इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। लेकिन जी20 ने इस बार फेस्टिव सीज़न के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल जी20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग-अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। इसके बाद भारत ने चंद्रमा पर लैंड किया। इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। फिर, हमने यहां दिल्ली में ही एक सफल जी20 समिट को होस्ट किया और अब यहां ये पी20 समिट हो रही है।

किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, उसके लोगों की इच्छा-शक्ति होती है। ये समिट आज, लोगों की इस ताकत को भी सेलीब्रेट करने का माध्यम बनी है।

साथियो,

पी20 समिट, उस भारत-भूमि पर हो रही है, जो लोकतंत्र की जननी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स, डिबेट और डेलिब्रेशन का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हज़ारों वर्ष पहले भी, डिबेट्स और डेलिब्रेशन्स के बहुत ही सटीक उदाहरण हैं। हमारे करीब 5 हज़ार साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में, सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है – संगच्छ-ध्वं संवद-ध्वं संवो मनांसि जानताम्। यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हों। हमारे यहां तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे।

ग्रीक दूत मेगस्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था, तो वह हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहां तमिलनाडु में 9वीं सेंचुरी का एक शिलालेख है। इसमें ग्राम पंचायतों के नियमों और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 12 सौ साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को, किस कारण से, किस परिस्थितियों में अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये 12 सौ साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले, 12वीं शताब्दी में हमारे यहाँ "अनुभव मंटपा" की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहित किया जाता था। "अनुभव मंटपा" में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। 5 हजार साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा, संसदीय परंपराओं का ये विकास, सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है।

साथियो,

समय के साथ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हुआ है, ये प्रक्रियाएं और सशक्त हुई हैं। भारत में हम लोग जनरल इलेक्शन्स को सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। 1947 में आजादी के मिलने के बाद से अभी तक भारत में 17 जनरल इलेक्शन्स और 300 से अधिक

राज्य विधान सभा चुनावहो चुके हैं। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ही नहीं कराता, बल्कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 के जनरल इलेक्शन में देशवासियों ने मेरी पार्टी को लगातार दूसरी बार विजयी बनाया है। 2019 का जनरल इलेक्शन मानव इतिहास की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज़ थी। इसमें 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, तब भारत में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये पूरे यूरोप की कुल पॉपुलेशन से भी अधिक है। भारत के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में, उसमें से 70 परसेंट के आस-पास का टर्न-आउट, ये दिखाता है, कि भारत में संसदीय प्रथाओं पर लोगों का कितना ज्यादा भरोसा है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण कारक महिलाओं का सबसे अधिक पार्टिसिपेशन रहा। 2019 के इलेक्शन में भारत की महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाला। और साथियो, सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन के मामले में भी भारत के चुनाव जैसा उदाहरण आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। 2019 के आम चुनाव में 600 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। इन चुनावों में एक करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव का काम किया था। चुनाव के लिए देश में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे।

साथियो,

समय के साथ भारत ने इलेक्शन प्रोसेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। भारत, करीब 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन – ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम के उपयोग से हमारे यहां चुनाव में ट्रांसपेरेंसी और चुनावी प्रक्रिया में दक्षता, दोनों बढ़ी है। भारत में वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटों में चुनाव परिणाम आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं। ये सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। आपको पता होगा कि अगले साल भारत में फिर एक बार आम चुनाव होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं पी20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपको एक बार फिर होस्ट करने में बहुत खुशी होगी।

साथियो,

कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस

इंस्टिट्यूशन्स में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इनमें से करीब 50 परसेंट महिला प्रतिनिधि हैं। भारत, आज हर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला, हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा।

साथियो,

भारत की संसदीय परंपराओं पर, देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है, जिसे आपको जानना और समझना बहुत अहम है। ये शक्ति है, हमारी विविधता, हमारी विशालता, हमारी वाइब्रेंसी। हमारे यहां हर आस्था के लोग हैं। सैकड़ों तरह का खानपान, सैकड़ों तरह का रहन-सहन हमारी पहचान है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे यहां सैकड़ों बोलियां हैं। लोगों तक पल-पल की सूचनाएं पहुंचाने के लिए 28 भाषाओं में, 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स भारत में हैं, और 24x7 कार्यरत हैं। करीब 200 भाषाओं में हमारे यहां 33 हज़ार से ज्यादा अलग-अलग न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। हमारे यहां सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 3 बिलियन यूज़र्स हैं। इससे पता चलता है कि भारत में इंफॉर्मेशन का फ्लो और फ्रीडम ऑफ स्पीच उसका लेवल कितना विराट है, कितना सशक्त है। 21वीं सदी की इस दुनिया में, भारत की ये वाइब्रेंसी, विविधता में एकता, हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये वाइब्रेंसी हमें हर चुनौती से लड़ने की, हर मुश्किल का मिलकर समाधान करने की प्रेरणा देती है।

साथियो,

दुनिया के अलग-अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है, उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। संघर्ष और टकराव के कारण से आज दुनिया अनेक संकटों से जूझ रही है। यह संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बंटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सब के विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से देखना होगा। दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधिक होगी, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसी भाव के साथ भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। मुझे खुशी है कि सभी सदस्य देशों ने इसे स्वीकार किया। इस फोरम पर भी पैन अफ्रीकी संसद की भागीदारी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।

साथियो,

मुझे बताया गया है कि हमारे स्पीकर, ओम बिरला जी, आपको भारत के नए संसद भवन में भी आज शाम को ले जाने वाले हैं। वहां आप पूज्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस-बॉर्डर टैररिज़्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हज़ारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी, सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टैररिज़्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टैररिज़्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टैररिज़्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि, इसका एक वैश्विक पक्ष और है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टैररिज़्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुःखद है। आज भी यूनाइटेड नेशन्स में आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आम सहमति का इंतज़ार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया-भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टैररिज़्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें।

साथियो,

दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन-भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये पी20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन्स से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास ज़रूर सफल होंगे। मुझे विश्वास है भारत में आपका प्रवास सुखद होगा। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता और भारत में आपकी सुखद यात्रा की शुभकामना देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा 13 अक्तूबर, 2023 को उद्घाटन सत्र के दौरान दिया गया भाषण

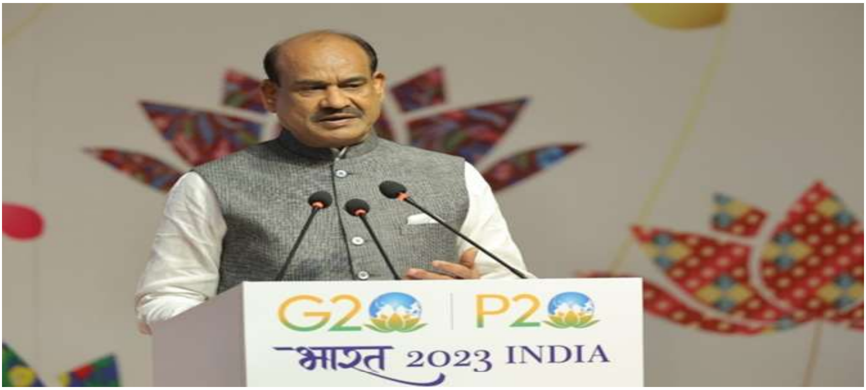

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 13 अक्तूबर, 2023 को पी20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय;

आईपीयूके अध्यक्ष श्री दुआर्ते पचेको जी;

गण्यमान्य सदस्यगण

जी20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के नौवें शिखर सम्मेलन पी20 में विश्व भर से पधारे जी20 देशों तथा अन्य आमंत्रित देशों के सभी सम्मानित अतिथियों का मैं लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न हुए जी20 अध्यक्षों के शिखर सम्मलेन में नई दिल्ली अध्यक्ष घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

यह भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह वैश्विक चुनौतियों पर जी20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।

गण्यमान्य सदस्यो,

9वां पी20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली, हमारे आचार, विचार और व्यवहार में है। यह हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है।

इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ, तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुतः लोकतंत्र ही हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है।

गण्यमान्य सदस्यो,

विशालता, बहुलता और विविधता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्षों के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन-केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक-आर्थिक बदलाव किए हैं।

"वसुधैव कुटुम्बकम" की अवधारणा हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें" हैं। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं, जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को दर्शाता है। पी20 में हम इसी भावना को और मजबूत करेंगे।

गण्यमान्य सदस्यो,

वर्तमान में पर्यावरण के विषय पर ठोस एवं निर्णायक वैश्विक कार्य योजना समय की मांग है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो विजन विश्व के समक्ष रखा है, उस पर कल प्री-समिट में विस्तृत चर्चा हुई।

सभी प्रतिभागियों का मानना था कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक देश का विषय नहीं है। यह हम सभी की व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हम अपनी जीवन शैली में ऐसे बदलाव करें जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन को जी20 समूह के सभी देशों की संसदों का भरपूर समर्थन मिला। सभी ने अपनी-अपनी संसदों में मिशन लाइफ पर चर्चा करने तथा इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का संकल्प किया। इस सहयोग के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।

गण्यमान्य सदस्यो,

इस संसदीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए मानव केंद्रित विषय लिए गए हैं। उन विषयों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और उस चर्चा के बेहतर परिणाम निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति व हरित भविष्य के लिए सतत ऊर्जा परिवर्तन; महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास तथा सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से लोगों के जीवन में आए परिवर्तन पर भी चर्चा होगी।

गण्यमान्य सदस्यो,

सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य मानव के समग्र विकास के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत योजनाएं बनाई गईं। इनके कार्यान्वयन पर संसद में व्यापक चर्चा भी हुई।

विकास में पीछे रह गए जिलों को आकांक्षी जिला मानकर विकसित जिलों के समकक्ष लाने के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इससे सम्पूर्ण देश में समान विकास की अवधारणा साकार हो सकेगी।

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से सतत ऊर्जा परिवर्तन सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। भारत स्वयं हरित विकास एवं हरित परिवर्तन को प्राथमिकता देते हुए सतत ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में अनेक प्रभावी प्रयास कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन जैसी भारतीय पहलों को बड़े पैमाने पर वैश्विक समर्थन मिला है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ चुके हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद के नए भवन में प्रथम सत्र के पहले ही दिन संविधान में संशोधन कर, केंद्र और राज्यों के निर्वाचित सदनों में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान के आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। मेरा विश्वास है कि महिलाओं के नेतृत्व में होने वाला विकास 21वीं सदी के विश्व में बहुत बड़े बदलाव का वाहक बनेगा।

गण्यमान्य सदस्यो,

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन को संभव बनाया है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने में सफल हुए हैं। डीबीटी, यूपीआई जैसे डिजिटल इंटरवेंशन ने देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

गण्यमान्य सदस्यो,

मेरा विश्वास है कि इन विषयों पर हमारी सामूहिक चर्चा एवं संवाद से एक समावेशी, समतामूलक और न्यायसंगत वैश्विक समाज का संकल्प साकार होगा। भारत की अध्यक्षता में पी20 शिखर सम्मेलन से वैश्विक संसदीय सहयोग के एक नये युग का आरंभ होगा।

पी20 एक महत्वपूर्ण संसदीय आयाम है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए संसदों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

गण्यमान्य सदस्यो,

मुझे आशा है कि जिन महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ चर्चा होगी, वह चर्चा हमारी संसदों के अंदर आगे भी चलती रहेगी। इन विषयों पर व्यापक मंथन के बाद नीतियों एवं योजनाओं तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनों का निर्माण होगा।

संसदीय डिप्लोमेसी मानवता के बेहतर भविष्य का माध्यम बने। हम जी20 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पी20 के निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

इसी उम्मीद के साथ मैं इस पी20 शिखर सम्मेलन में आपका पुनः स्वागत करता हूं।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा 14 अक्तूबर, 2023 को पी20 के समापन सत्र के दौरान दिया गया अभिभाषण

माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ब्राजील के चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष, महामहिम श्री ऑथर सीजर परेरा डी लीरा को 14 अक्तूबर, 2023 को औपचारिक रूप से पी20 की अध्यक्षता सौंपते हुए।

जी20 देशों और अन्य आमंत्रित देशों के गण्यमान्य सदस्यो, मैं पुनः पी20 सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

गण्यमान्य सदस्यगण,

दो दिनों की सार्थक चर्चा के बाद, अब हम भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली पी20 शिखर सम्मेलन के समापन पर आ गए हैं।

मैं इस अवसर पर "एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसदें" विषय पर इस पी20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य को अंगीकार किये गये जाने से पी20 प्रक्रिया और मजबूत हुई है।

मुझे विश्वास है कि सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी), हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व में विकास और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर आयोजित चार सत्रों में आपके बहुमूल्य विचार और इनपुट मानव केंद्रित विकास के लिए जी20 प्रक्रिया को और मजबूत करेंगे। हम पी20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से मानव केंद्रित विकास और हमारी संसदों में

इस विषय पर सार्थक संवाद और चर्चा को आगे जारी रखेंगे ।पिछले दो दिनों के दौरान हुए विचार-विमर्श ने जी20 और पी20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और यह भी स्थापित किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकती हैं। कई सदस्यों ने विचार-विमर्श के लिए चयनित विकास एजेंडे से अलग हटकर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया । इनमें हाल की जियो-पोलिटिकल घटनाएं और आर्थिक मुद्दे सम्मिलित हैं।

कई सदस्यों ने पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया। कुछ अन्य सदस्यों ने बहु-पक्षवाद को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। मैंने इन उल्लेखों को ध्यान से सुना है। आज के इंटर-कनेक्टेड विश्व में, हम किसी विशेष मुद्दे को हट कर नहीं देख सकते हैं। हम माननीय प्रतिनिधियों द्वारा किए गए सभी अतिरिक्त उल्लेखों और सुझावों का स्वागत करते हैं, और हमने उन सुझावों को नोट भी किया है। इसीलिए हमने सहमत संयुक्त वक्तव्य के पैरा संख्या 27 में इसका उल्लेख किया है। मैं पैरा 27 के कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें यह वर्णित है कि हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनय और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडे और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को पी20, जी20 और उससे भी आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को दोहराते हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में, हम संसद सदस्य इस विशेष स्थिति में हैं कि हम जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतियों और कानूनों का निर्माण कर सकें। हमारी भूमिका सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में है और जन कल्याण के उद्देश्य से सुशासन सुनिश्चित करने में हमारा विशेष योगदान है।

गण्यमान्य सदस्यो,

आपकी मेजबानी करना मेरे और मेरी टीम के लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे आशा है कि भारत में आपका प्रवास सुखद रहा होगा । मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने प्रवास के दौरान भारत के समृद्ध इतिहास और बहुरंगी संस्कृति का पूर्ण आनंद लें। मैं आपके पुनः भारत आगमन पर आपका स्वागत करने और जनकल्याण के विषयों पर अपनी चर्चा को आगे जारी रखने के लिए उत्सकु हूँ। लोक कल्याण के मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रखने

के लिए भारत में फिर से आपका स्वागत करने की आशा करता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारी संसदों का इस दिशा में प्रयास निरन्तर जारी रहेगा।

मैं इस अवसर पर ब्राजील को उनकी आगामी जी20 अध्यक्षता के लिए बधाई देता हूं और उनकी सफलता की कामना करता हूं। अब मैं ब्राजील के चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी लीरा से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। मैं ब्राजील द्वारा जी20 की सफल अध्यक्षता हेतु उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

संसदीय घटनाक्रम और कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां

जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों का नौवां शिखर सम्मेलन (पी20): जी20 देशों के संसदीय अध्यक्षों का नौवें शिखर सम्मेलन (पी20) का आयोजन भारत की संसद द्वारा अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के सहयोग से *यशोभूमि* (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर), नई दिल्ली में 13 से 14 अक्तूबर, 2023 तक किया गया था। शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्तूबर, 2023 को लाइफ (पर्यावरण हेतु जीवन शैली) संबंधी एक संसदीय मंच का आयोजन किया गया था। नौवें पी20 शिखर सम्मेलन का विषय 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें' था, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' के प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरित है और भारत की जी20 अध्यक्षता के विषय के अनुरूप था।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, नई दिल्ली पी20 शिखर सम्मेलन में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी थी। शिखर सम्मेलन में केवल एक सदस्य को छोड़कर सभी जी20 सदस्यों और 9 आमंत्रित देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था। शिखर सम्मेलन में 23 देशों के कुल 34 अध्यक्षों/उपाध्यक्षों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्ष के स्तर पर एक देश का प्रतिनिधित्व किया गया था। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी20 सदस्य के रूप में शामिल करने के बाद पहली बार पैन-अफ्रीकी संसद ने पी20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नौवें पी20 शिखर सम्मेलन में जी20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के अलावा 48 संसद सदस्यों सहित कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने नौवें पी20 शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्तूबर, 2023 को पर्यावरण हेतु जीवन शैली (लाइफ) संबंधी जी20 संसदीय मंच का उद्घाटन किया और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट जनसमूह को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि शिखर सम्मेलन का विषय भारत के सांस्कृतिक लोकाचार में निहित है, जो प्राचीन काल से बड़े पैमाने पर दुनिया के समावेशी हितों और प्राथमिकताओं का अनुसरण कर रहा है। भारत ने सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत पर दुनिया को एक परिवार माना है जो एकता, सहयोग और साझा भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने में भारत की संसद द्वारा की गई विधायी पहलों को भी साझा किया।

13 अक्तूबर, 2023 को, भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला, अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष, श्री दुआर्ते पचेको; जी20 सदस्यों की संसदों के पीठासीन अधिकारी; आमंत्रित देश और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यशोभूमि, नई दिल्ली में नौवें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) का उद्घाटन किया। भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से, प्रधानमंत्री ने जी20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन दुनिया भर की संसदीय प्रथाओं का एक 'महाकुंभ' है। आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पी20 शिखर सम्मेलन एक ऐसे देश में हो रहा है, जो न केवल 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में जाना जाता है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है।

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान, चार उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किए गए, (i) सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एजेंडा 2030: उपलब्धियों का प्रदर्शन, प्रगति में तेजी लाना; (ii) सतत ऊर्जा परिवर्तन: हरित भविष्य की संभावना; (iii) स्त्री-पुरुष समानता को मुख्यधारा में लाना: महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास; और (iv) सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के अलावा, सत्रों की अध्यक्षता राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश द्वारा की गई। शिखर सम्मेलन का आरम्भ लोक सभा अध्यक्ष के भाषण से हुआ। उन्होंने शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर समापन भाषण भी दिया।

13 अक्तूबर, 2023 को, पीठासीन अधिकारियों ने सर्वसम्मति से लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की अध्यक्षता में नौवें पी20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य को अंगीकार किया। पीठासीन अधिकारियों ने जी20 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन और भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान हुई व्यापक और रचनात्मक चर्चाओं का स्वागत किया। उन्होंने जी20 प्रक्रिया में प्रभावी और सार्थक संसदीय योगदान देने के लिए अपने संयुक्त प्रयास को जारी रखने की जी20 देशों के नेताओं की प्रतिबद्धता के प्रति अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की। संयुक्त वक्तव्य में यह भी उल्लेख किया गया है कि संसदें संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के साथ-साथ वैश्विक शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में संबंधित मंचों पर संसदीय राजनय और वार्ताएं जारी रखेगी।

नौवां पी20 शिखर सम्मेलन 14 अक्तूबर, 2023 को लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिए गए समापन भाषण के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उपस्थित विशिष्ट लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री ओम बिरला ने शिखर सम्मेलन के दौरान और साथ ही

12 अक्तूबर, 2023 को आयोजित लाइफ संबंधी जी20 संसदीय मंच के दौरान हुए सार्थक विचार-विमर्श पर संतोष व्यक्त किया। तदंतर, लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने ब्राजील के अपने समकक्ष महामहिम श्री आर्थर सीजर परेरा डी लीरा, चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष को पी20 प्रेसीडेंसी सौंपी।

लोक सभा अध्यक्ष ने शिखर सम्मेलन के अवसर पर और शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के अपने समकक्ष पदाधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, कोरिया गणराज्य, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका की संसदों के अपने समकक्ष पदाधिकारियों और नीदरलैंड की सीनेट के प्रेसीडेंट, रूसी संघ की फेडरल असेंबली की फेडरेशन काउंसिल के चेयरपर्सन, यूरोपीय संघ के वाइस प्रेसीडेंट, मैक्सिको की सीनेट के प्रेसीडेंट, आईपीयू के प्रेसीडेंट और पैन अफ्रीकी संसद के कार्यवाहक प्रेसीडेंट से भी मुलाकात की।

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 147वीं विधान सभा: अंतर-संसदीय संघ की 147वीं सभा और संबंधित बैठकें 23 से 27 अक्तूबर, 2023 तक लुआंडा, अंगोला में आयोजित की गईं। लोक सभा सदस्य श्री विष्णु दयाल राम के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल (आईपीडी) ने 147वीं आईपीयू सभा में भाग लिया। भारतीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्य श्री कामाख्या प्रसाद तासा, डॉ. सस्मित पात्रा और सुश्री ममता मोहंता थे, ये सभी राज्य सभा के सदस्य हैं; श्रीमती अपराजिता सारंगी और श्रीमती सुमलता अम्बरीश, दोनों लोक सभा की सदस्य हैं।

शिष्टमंडल के नेता श्री विष्णु दयाल राम ने आम चर्चा में भाग लिया तथा शांति, न्याय तथा सुदृढ़ संस्थानों की स्थापना हेतु संसदीय कार्रवाई (एसडीजी 16) जैसे समग्र विषय पर एक वक्तव्य दिया। विचार-विमर्श के बाद सभा ने सर्वसम्मति से कार्य सूची के समग्र विषय पर परिणामी दस्तावेज के रुप में "लुआंडा घोषणा" को अंगीकृत किया।

आईपीयू की 147वीं सभा के दौरान आईपीयू की शासी परिषद ने अपना 212वां सत्र आयोजित किया जिसमें भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। शासी परिषद ने 27 अक्तूबर, 2023 को आयोजित एक गुप्त मतदान के बाद तंजानिया की नेशनल असेंबली की स्पीकर डॉ. तुलिया एकसन को आईपीयू के प्रेसीडेंट के रूप में चुना।

स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए संसदों द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में, लोक सभा सदस्य और आईपीयू की कार्यकारी समिति की सदस्य श्रीमती अपराजिता सारंगी ने कार्यकारी समिति को लोक सभा और राज्य सभा में महिलाओं को एक तिहाई

आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक *"नारी शक्ति वंदन अधिनियम"* (महिला सशक्तिकरण अधिनियम) के बारे में जानकारी दी।

भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने विभिन्न आईपीयू निकायों और आईपीयू की चार स्थायी समितियों की बैठकों में भी भाग लिया। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने एशिया प्रशांत भू-राजनीतिक समूह की बैठकों और अंतर-संसदीय संघ के साथ-साथ आयोजित एशियाई संसदीय सभा की समन्वय बैठक में भी भाग लिया। उन्होंने आईपीयू सभा के दौरान आयोजित निम्नलिखित पैनल चर्चाओं/कार्यशालाओं में भी भाग लिया: (i) आईपीयू-यूनिसेफ संयुक्त कार्यशाला: बाल अधिकारों के लिए प्रभावपूर्ण सार्वजनिक व्यय सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका; (ii) समान भागीदारी वाली चर्चा: देखभाल मेरा भी दायित्व: देखभाल संबंधी दायित्वों में पुरुष सांसदों की समान भागीदारी; और (iii) आईपीयू-डब्ल्यूएचओ संयुक्त कार्यशाला: महामारी संबंधी समझौता तैयार करना ।

अर्मेनिया, बेलारूस और तंजानिया के संसदीय शिष्टमंडलों के अनुरोध पर, आईपीडी के सदस्यों ने निम्नलिखित गण्यमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की: (i) महामहिम श्री एच. अर्शक्यान, नेशनल असेंबली, आर्मेनिया के वाइस प्रेसिडेंट; (ii) बेलारूस शिष्टमंडल के नेता श्री सर्गेई राचकोव और श्री आंद्रेई सविनिख, संसद सदस्य; और (iii) श्री मूसा अज़ान ज़ुंगु, तंजानिया की संसद के माननीय उपाध्यक्ष।

अंगोला में भारत के दूतावास ने भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सम्मान में एक सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अंगोला में प्रवासी भारतीय समुदाय से बातचीत की।

66वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी): श्री अनुराग शर्मा, सदस्य, लोक सभा के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने 30 सितंबर से 6 अक्तूबर, 2023 तक घाना के अकरा में 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन का विषय "राष्ट्रमंडल घोषणा पत्र के 10 वर्ष: संसदों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन" था। भारतीय शिष्टमंडल में श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य, लोक सभा; श्री जसबीर सिंह गिल, सदस्य, लोक सभा; और राज्य सभा के सदस्य श्री एस. निरंजन रेड्डी के साथ सीपीए भारत क्षेत्र की 23 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सीपीए शाखाओं (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सभा) यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,

मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि/सचिव शामिल थे।

सीपीए की कार्यकारी समिति की बैठकें 1 और 2 अक्तूबर, 2023 को सम्पन्न हुईं। इसमें असम विधान सभा के अध्यक्ष श्री बिस्वजीत दैमारी और उत्तराखंड विधान सभा की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण ने भाग लिया। उत्तराखंड विधान सभा के अध्यक्ष ने कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान गंभीरता से अपने विचार रखे। दोनों अध्यक्षों ने योजना एवं समीक्षा उप समिति के साथ-साथ वित्त संबंधी उप समिति की बैठक में भी भाग लिया।

सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन 4 अक्तूबर, 2023 को घाना के राष्ट्रपति महामहिम श्री नाना एडो डांकवा अकुफो-एडो द्वारा किया गया था। सम्मेलन के दौरान आठ कार्यशाला सत्र आयोजित किए गए और भारतीय शिष्टमंडल ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कार्यशाला सत्रों के सभी विषयों पर हस्तक्षेप करके अपना योगदान दिया। सम्मेलन का समापन 5 अक्तूबर, 2023 को संपन्न महासभा की बैठक के साथ हुआ। सीपीए भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति के सदस्यों और भारतीय शिष्टमंडल के अन्य सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

दौरे के दौरान, भारत के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने अन्य राष्ट्रमंडल देशों के अपने समकक्ष पदाधिकारियों, भारतीय व्यापारिक समुदाय और घाना में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की।

जी20 संसदीय अध्यक्षों का नौवां शिखर सम्मेलन (पी20 शिखर सम्मेलन) और जी20 संसदीय मंच: 13 से 14 अक्तूबर, 2023 तक आयोजित पी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, सीपीए प्रकोष्ठ सम्मेलन के लिए स्थल प्रबंधन और लोक सभा अध्यक्ष की द्विपक्षीय बैठकों और दो देशों/संघ के बीच द्विपक्षीय बैठकों से संबंधित सभी कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल था।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने शिखर सम्मेलन के दौरान 14 द्विपक्षीय बैठकें कीं। इसके अतिरिक्त दौरे पर आए शिष्टमंडलों के नेताओं के बीच 25 द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थीं।

मानवाधिकारों संबंधी सीपीए कार्यकारी समूह की वर्चुअल बैठक: मानवाधिकारों संबंधी सीपीए कार्यकारी समूह की एक वर्चुअल बैठक 11 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई थी। लोक सभा सदस्य श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल उक्त कार्य समूह के सदस्य हैं। बैठक में मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और भविष्य के कार्य क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में जिन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र सुशोभित हैं उनकी जयंती के अवसर पर और लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों की जयंती के अवसर पर इन नेताओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर लोक सभा सचिवालय ग्रंथागार तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा इन नेताओं के जीवन-वृत्त पर तैयार की गई पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं।

1 अक्तूबर, से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान निम्नलिखित नेताओं की जयंती मनाई गई:

श्री जी.एम.सी. बालयोगी: श्री जी.एम.सी. बालयोगी की जयंती के अवसर पर, 1 अक्तूबर, 2023 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; संसद सदस्य; और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व लोक सभा अध्यक्ष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री: महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान; केंद्रीय संसदीय कार्य और कोयला एवं खनन मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी; राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; संसद सदस्य; पूर्व संसद सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री बलीराम भगत: श्री बलीराम भगत की जयंती के अवसर पर 7 अक्तूबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; संसद सदस्य; पूर्व संसद सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने पूर्व लोक सभा अध्यक्ष, श्री बलीराम भगत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

सरदार वल्लभभाई पटेल: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले,

खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल; केंद्रीय विधि और न्याय, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल; राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; संसद सदस्य; पूर्व संसद सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर 11 नवंबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। गण्यमान्य व्यक्तियों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पंडित जवाहरलाल नेहरू: पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; संसद सदस्य; पूर्व संसद सदस्य तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्रीमती इंदिरा गांधी: श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; संसद सदस्य; पूर्व संसद सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री रवि राय: श्री रवि राय की जयंती के अवसर पर 26 नवंबर 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने पूर्व लोक सभा अध्यक्ष, श्री रवि राय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री जी. वी. मावलंकर: श्री जी. वी. मावलंकर की जयंती के अवसर पर 27 नवंबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; राज्य सभा के उप सभापति, श्री हरिवंश और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने पूर्व लोक सभा अध्यक्ष, श्री जी.वी. मावलंकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद: डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर, 2023 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। उप सभापति, राज्य सभा, श्री हरिवंश; विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल; संसद सदस्य; पूर्व संसद सदस्य; और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री सी. राजगोपालाचारी: श्री सी. राजगोपालाचारी की जयंती के अवसर पर 10 दिसंबर, 2023 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने श्री सी. राजगोपालाचारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

चौधरी चरण सिंह: चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 23 दिसंबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; उप सभापति, राज्य सभा, श्री हरिवंश; संसद सदस्य; पूर्व संसद सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने पूर्व प्रधान मंत्री, चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी: पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी; लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला; राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश; केंद्रीय मंत्री; संसद सदस्य; पूर्व संसद सदस्य तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की।

संसदीय शिष्टमंडलों के दौरे

भारत की यात्रा पर आए विदेशी संसदीय शिष्टमंडल

श्रीलंका: श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री महिंद्रा यापा अबेवर्देना के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने 16 से 20 दिसंबर, 2023 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल का दिल्ली में आगमन 16 दिसंबर, 2023 को हुआ। 18 दिसंबर, 2023 को लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और अतिथि अध्यक्ष के बीच द्विपक्षीय संसदीय वार्ता हुई, जिसके पश्चात् मध्याह्न भोज का आयोजन किया गया। शिष्टमंडल के सदस्यों ने 'विशेष बॉक्स' से लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही देखी। शिष्टमंडल के सदस्यों के लिए संसद भवन परिसर का एक शो राउंड भी आयोजित किया गया। उसी दिन, शिष्टमंडल ने भारत के उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली के अतिरिक्त, शिष्टमंडल ने औरंगाबाद और गुवाहाटी का भी दौरा किया।

माननीय अध्यक्ष लोक सभा से भेंट

डोमिनिकन गणराज्य: डोमिनिकन गणराज्य की उप राष्ट्रपति श्रीमती रक़ील पेना और लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला के बीच 3 अक्तूबर, 2023 को संसद भवन में बैठक आयोजित हुई।

यूरोपीय संसद: चेयर ऑफ डेलीगेशन फॉर रिलेशन विद इंडिया, चेयर ऑफ सब कमिटी ऑफ सिक्युरिटी एंड डिफेंस सुश्री नथाली लोइसेउ के नेतृत्व में यूरोपीय संसद के एक शिष्टमंडल ने 19 दिसंबर, 2023 को संसद भवन में लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला से मुलाकात की।

वियतनाम: वियतनाम-भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष श्री डुओंग थान बिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम-भारत संसदीय मैत्री समूह के एक शिष्टमंडल ने 20 दिसंबर, 2023 को संसद भवन में लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला से मुलाकात की।

संसद का शो राउंड

(1) 5 अक्तूबर, 2023 को श्रीमती सर्वजीत कौर मानुके, सभापति के नेतृत्व में पंजाब विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए संसद का शो राउंड आयोजित किया गया।

(2) 26 अक्तूबर, 2023 को कर्नाटक विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री यू. टी. खादर फरीद के नेतृत्व में कर्नाटक विधान परिषद की विशेष सदन समिति के लिए संसद का शो राउंड आयोजित किया गया।

(3) 27 अक्तूबर, 2023 को श्री एम.एम. मणि, सभापति के नेतृत्व में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, केरल विधान सभा के सदस्यों के लिए संसद का शो राउंड आयोजित किया गया।

(4) 21 नवंबर, 2023 को पर्यावरण संबंधी फिनिश संसदीय समिति की सभापति सुश्री जेनी पिटको के नेतृत्व में समिति के सदस्यों के लिए संसद का शो राउंड आयोजित किया गया।

(5) 13 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संयुक्त महासचिव श्री कबिंद्रा बुर्लाकाटी के नेतृत्व में नेपाली युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए संसद का शो राउंड आयोजित किया गया।

(6) 20 दिसंबर, 2023 को वियतनाम-भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष श्री डुओंग थान बिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम-भारत संसदीय मैत्री समूह के लिए संसद का शो राउंड आयोजित किया गया।

(7) 30 दिसंबर, 2023 को श्रीलंका के पूर्वी प्रांत (ईस्ट प्रोविंस) के गवर्नर तिरु सेंथिल थोंडमन के नेतृत्व में श्रीलंका के एक प्रतिनिधिमंडल के लिए संसद का शो राउंड आयोजित किया गया।

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)

1 अक्तूबर, से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान, संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) ने सदस्यों/प्रतिनिधियों/परिवीक्षार्थियों/गण्यमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित किए:

(1) **आईएसटीएम के सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:** (एक) आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मेघालय सचिवालय (एमएसएस) के समूह 'ख' के उन्नीस अधिकारियों ने 19 नवंबर, 2023 को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया; और (ii) आईएसटीएम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक सौ चौहत्तर सहायक अनुभाग अधिकारियों ने 7 अक्तूबर, 2023 को संसदीय कार्य प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

(2) **परिबोधन पाठ्यक्रम:** संसदीय प्रक्रियाओं और कार्य संचालन नियमों के बारे में चार परिबोधन पाठ्यक्रम निम्नलिखित संवर्ग के अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए: (एक) 21 से 22 दिसंबर, 2023 तक भारतीय आर्थिक सेवा के पैंतीस प्रशिक्षु अधिकारी (ओटी); (दो) 18 से 21 दिसंबर, 2023 तक एनएसीआईएन, फरीदाबाद के 73वें बैच के आईआरएस के अट्ठाईस प्रशिक्षु अधिकारी; (तीन) 28 से 29 नवंबर, 2023 तक सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के छत्तीस परिवीक्षार्थी; और (चार) 15 से 16 नवंबर, 2023 तक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक सौ पचपन परिवीक्षार्थी।

(3) **लोक सभा/राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम:** (i) लोक सभा सचिवालय के इकसठ अधिकारियों/कर्मचारियों ने 30 नवंबर, 2023 को संगठनात्मक नेतृत्व और टीम निर्माण (बैच-I) के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया; (दो) लोक सभा सचिवालय के सोलह अधिकारियों/कर्मचारियों ने 21 नवंबर, 2023 को टैली सॉफ्टवेयर संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया; (तीन) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के पैंतीस मार्शल/सुरक्षा अधिकारियों ने

8 नवंबर से 10 नवंबर, 2023 तक क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया; (चार) 8 नवंबर से 10 नवंबर, 2023 तक बिल, भुगतान और वित्त संबंधी मामलों का निपटारा करने वाले पीएंडएओ और लोक सभा सचिवालय की अन्य शाखाओं के इकहत्तर अधिकारी; और (पांच) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय और राज्य विधानसभाओं के छत्तीस अधिकारियों और राज्य सरकार के विधायी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों ने 30 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2023 तक छठे राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण कार्यक्रम में भाग लिया।

(4) **अपने नेता को जानें:** 2 अक्तूबर, 2023 और 31 अक्तूबर, 2023 को "अपने नेता को जानें – श्री महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी" कार्यक्रम में एक हजार चार सौ उनतालीस लोगों ने भाग लिया।

(5) **अध्ययन दौरा/प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय):** (एक) सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सैंतीस विदेशी राजनयिकों ने 20 अक्तूबर, 2023 को अध्ययन दौरे में भाग लिया; (दो) भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के 68वें संस्करण के अंतर्गत तैंतीस भारतवंशी युवाओं ने 10 नवंबर, 2023 को अध्ययन दौरे में भाग लिया; (तीन) 21 नवंबर, 2023 को ढाका में बांग्लादेश संसद के सहयोग से प्राइड द्वारा "बांग्लादेश संसद के जनसंपर्क को मजबूत करने के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करना: एफओसी और पीआर स्कंध के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण" के बारे में चौदह ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए; (चार) विदेश मंत्रालय के भारत जानो कार्यक्रम (केआईपी) के अंतर्गत चालीस भारतवंशी युवाओं ने 13 दिसंबर, 2023 को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया; और (पांच) सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में पहले ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट्स फोरम में भाग लेने वाले 30 देशों के तैंतीस विदेशी राजनयिकों ने 23 नवंबर, 2023 को अध्ययन दौरे में भाग लिया।

(6) **अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) (ख):** इस अवधि के दौरान पैंसठ अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) आयोजित किए गए।

सदस्यों की संदर्भ सेवा

सदस्य संदर्भ सेवा विशेष रूप से संसद सदस्यों के दैनिक संसदीय कार्य से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह सेवा सभा के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण मुद्दों और विधेयकों/अध्यादेशों पर संदर्भ टिप्पण और विधायी टिप्पण प्रकाशित करती है। 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान, माननीय संसद सदस्यों के प्राप्त कुल 747 संदर्भों का निपटान किया गया। इनमें 674 संदर्भ ऑफ़लाइन और 73 संदर्भ ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। 13 विधायी टिप्पण और 1 संदर्भ टिप्पण तैयार किया गया। इन्हें लोक सभा की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सदस्य पोर्टल के माध्यम से माननीय सदस्यों के साथ भी साझा किया गया। इस अवधि के दौरान सभा के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर माननीय सदस्यों के लिए 3 ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए।

विशेषाधिकार के मामले

लोक सभा

1 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान, विशेषाधिकार समिति ने 10 अक्तूबर और 7 दिसंबर, 2023 को 2 बैठकें कीं तथा आचार समिति ने 26 अक्तूबर, 2 और 9 नवंबर, 2023 को 3 बैठकें कीं। आचार समिति ने इस अवधि के दौरान एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

आचार समिति

17वीं लोक सभा की आचार समिति की पहली रिपोर्ट 10 नवंबर, 2023 को माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई और 8 दिसंबर, 2023 को सदन के पटल पर रखी गई। यह डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा 15 अक्तूबर, 2023 को श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य के खिलाफ संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में कथित प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए की गई शिकायत के संदर्भ में श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य के कथित 'अनैतिक आचरण' की जांच/छानबीन के संबंध में थी।

आचार समिति, लोक सभा ने उन तीन पहलुओं जिन पर विस्तृत जांच/छानबीन की गई, के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

(1) श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य द्वारा 'अनैतिक आचरण' और 'सदन की अवमानना' अर्थात् लोक सभा लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यथा लोक सभा 'सदस्य पोर्टल' का अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड अनधिकृत व्यक्ति को साझा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करना। [रिपोर्ट के पैरा (एस) 55 से 63]

(एक) श्रीमती महुआ मोइत्रा की ओर से किए गए गंभीर कृत्य के लिए कठोर दंड की मांग की गई है। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य को सत्रहवीं लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित किया जाए।

(दो) श्रीमती महुआ मोइत्रा के अत्यंत आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक आचरण को देखते हुए समिति ने समयबद्ध रूप में भारत सरकार द्वारा गहन, कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश की।

(2) श्रीमती महुआ मोइत्रा, संसद सदस्य ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे प्रमुख उद्योगपति श्री दर्शन हीरानंदानी से नकद राशि और उपहार तथा विभिन्न अन्य सुविधाएं स्वीकार करके 'अनैतिक आचरण' का परिचय दिया है और 'सदन की अवमानना' की है। [रिपोर्ट का पैरा (एस) 64 से 69]

श्रीमती महुआ मोइत्रा और श्री दर्शन हीरानंदानी के बीच 'परस्पर लाभ उठाने' के एक भाग के रूप में नकद लेनदेन के 'मनी ट्रेल' की जांच भारत सरकार द्वारा कानूनी, संस्थागत और समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए।

(3) 2 नवंबर, 2023 को संसद सदस्य और आचार समिति के सदस्य कुंवर दानिश अली का अनियंत्रित आचरण और अफवाहें फैलाना। [रिपोर्ट का पैरा (एस) 70 और 71]

संसद सदस्य और आचार समिति के सदस्य कुंवर दानिश अली को 2 नवंबर, 2023 को अपने बयान के दौरान जनता की भावनाओं को भड़काने के उदेश्य से आचार समिति के सभापति द्वारा महुआ मोइत्रा से पूछे गए सवाल को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने के लिए 'चेतावनी' दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने सभापति और अन्य सदस्यों के आत्म-सम्मान को चोट पहुँचाने के साथ-साथ लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में निहित नियम 275 (2) का उल्लंघन भी किया है।

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम

(1 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2023)

इस स्तंभ में शामिल घटनाक्रम मुख्य रूप से संघ और राज्य विधानमंडलों, भारत के निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों सहित पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। इनके सटीक, प्रामाणिक या सत्य होने या न होने के लिए लोक सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं है।

भारत

संघ का घटनाक्रम

संसद सत्र: सत्रहवीं लोक सभा का चौदहवां सत्र और राज्य सभा का दो सौ बासठवां सत्र 4 दिसंबर, 2023 को शुरू हुआ। दोनों सदनों को 21 दिसंबर, 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 दिसंबर, 2023 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सत्रावसान किया।

केंद्रीय मंत्रियों के त्यागपत्र: 7 दिसंबर, 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल; और जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता ने त्यागपत्र दे दिया।

मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार का आवंटन: 7 दिसंबर, 2023 को जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, सुश्री शोभा कारान्दलाजे को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएस) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया; कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय (एमओएस) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया; और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार को जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओएस) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

राज्य सभा सदस्य के त्याग पत्र: 6 दिसंबर, 2023 को राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने त्यागपत्र दे दिया।

लोक सभा सदस्य का निष्कासन: लोक सभा सचिवालय की 8 दिसंबर 2023 की पृथक अधिसूचना के अनुसार, 8 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा एक प्रस्ताव को अंगीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती महुआ मोइत्रा को लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, श्रीमती महुआ मोइत्रा 8 दिसंबर, 2023 की दोपहर से लोक सभा की सदस्य नहीं रहीं।

लोक सभा से त्यागपत्र: निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा से त्यागपत्र दिया:–

क्रम सं.	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	दिनांक
1.	कर्नल राज्यवर्धन राठौर	जयपुर ग्रामीण	राजस्थान	06.12.2023
2.	सुश्री दिया कुमारी	राजसमंद	राजस्थान	06.12.2023
3.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	मुरैना	मध्य प्रदेश	06.12.2023
4.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	दमोह	मध्य प्रदेश	06.12.2023
5.	श्री राकेश सिंह	जबलपुर	मध्य प्रदेश	06.12.2023
6.	श्रीमती रीती पाठक	सीधी	मध्य प्रदेश	06.12.2023
7.	श्री उदय प्रताप सिंह	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	06.12.2023
8.	श्रीमती गोमती साय	रायगढ़	छत्तीसगढ़	06.12.2023
9.	श्री अरुण साव	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	06.12.2023
10.	श्रीमती रेणुका सिंह सरुता	सरगुजा	छत्तीसगढ़	07.12.2023
11.	श्री बालक नाथ	अलवर	राजस्थान	07.12.2023
12.	श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी	मलकाजगिरी	तेलंगाना	08.12.2023
13.	श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी	भोंगीर	तेलंगाना	11.12.2023
14.	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	मेडक	तेलंगाना	13.12.2023
15.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी नलमदा	नलगोंडा	तेलंगाना	13.12.2023
16.	श्री हनुमान बेनीवाल	नागौर	राजस्थान	15.12.2023

राज्यों के घटनाक्रम

छत्तीसगढ़

विधान सभा के चुनाव परिणाम: 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के चुनाव 7 और 17 नवंबर 2023 को हुए। परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। चुनाव के बाद दल की स्थिति इस प्रकार है:–

दल के नाम	सीट
भारतीय जनता पार्टी	54
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	35
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	1
कुल	90

मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 13 दिसंबर 2023 को श्री विष्णु देव साईं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

इसी दिन सर्वश्री अरुण साव और विजय शर्मा ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति: 19 दिसंबर 2023 को श्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधान सभा का अध्यक्ष चुने गए।

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 22 दिसंबर 2023 को राज्यपाल, श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन ने शामिल किए गए नौ नए मंत्रियों, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम, केदार कश्यप, दयाल दास बघेल, ओ.पी चौधरी, टैंक राम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, लखन लाल देवांगन और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

गोवा

नए मंत्री की शपथ ग्रहण और विभागों (पोर्टफोलियो) का आवंटन: 19 नवंबर 2023 को, राज्यपाल, श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई ने शामिल किए गए नए मंत्री श्री एलेक्सो सिक्वेरा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

22 नवंबर 2023 को, मुख्यमंत्री, श्री प्रमोद सावंत ने कानून और न्यायपालिका, पर्यावरण, कैप्टन ऑफ पॉर्ट्स और विधायी मामलों के प्रभार मंत्री श्री एलेक्सो सिक्वेरा को सौंपे।

केरल

मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र: 24 दिसंबर 2023 को परिवहन मंत्री श्री एंटनी राजू और पोत मंत्री श्री अहमद देवरकोविल ने अपने त्यागपत्र दे दिए।

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण और विभागों (पोर्टफोलियो) का आवंटन: 29 दिसंबर 2023 को राज्यपाल, श्री आरिफ मोहम्मद खान ने शामिल किए गए दो नए मंत्रियों, सर्वश्री रामचंद्रन कडन्नपल्ली और के.बी. गणेश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने श्री के. बी. गणेश कुमार को परिवहन विभाग का प्रभार और श्री रामचंद्रन कडन्नपल्ली को पंजीकरण, संग्रहालय, पुरातत्व और अभिलेखागार विभागों का प्रभार आवंटित किया। मुख्यमंत्री ने सहकारिता मंत्री श्री वी.एन. वासवन को पत्तन विभाग का प्रभार आवंटित किया।

मध्य प्रदेश

विधान सभा के चुनाव परिणाम: 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा के चुनाव 17 नवंबर, 2023 को हुए। परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। चुनाव के बाद दल की स्थिति इस प्रकार है:–

दल के नाम	सीट
भारतीय जनता पार्टी	163
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	66
भारत आदिवासी पार्टी	1
कुल	230

मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 13 दिसंबर, 2023 को डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

इसी दिन सर्वश्री जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ल ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति: 20 दिसंबर, 2023 को श्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 25 दिसंबर, 2023 को राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अठारह कैबिनेट मंत्रियों अर्थात सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत,

विश्वास कैलाश सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चेतन्य कुमार कश्यप, इन्दर सिंह परमार, कुंवर विजय शाह, श्रीमती सम्पतिया उइके और सुश्री निर्मला भूरिया, छह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सर्वश्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम तेटवाल, लाखन पटेल, नारायण सिंह पंवार और श्रीमती कृष्णा गौड़ तथा चार राज्य मंत्री सर्वश्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, दिलीप अहिरवार, श्रीमती प्रतिमा बागड़ी और श्रीमती राधा सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मिजोरम

विधान सभा के चुनाव परिणाम: 40 सीटों वाली मिजोरम राज्य विधान सभा के लिए विधान सभा चुनाव 7 नवंबर 2023 को हुए। परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। चुनाव के बाद दल की स्थिति इस प्रकार थी:–

दल के नाम	सीट
जोराम पीपुल्स मूवमेंट	27
मिजो नेशनल फ्रंट	10
भारतीय जनता पार्टी	2
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	1
कुल	40

मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 8 दिसंबर 2023 को श्री लालदुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

उसी दिन, राज्यपाल, श्री हरि बाबू कंभमपति ने सात कैबिनेट मंत्रियों, सर्वश्री के. सपडांगा, वनलालहलाना, सी. लालसाविंगा, ललथनसांगा, पीसी वनलालरुआता, डॉ. वनलालथलाना और सुश्री लालरिनपुई; और चार राज्य मंत्री, अर्थात् सर्वश्री एफ. रोडिंगलियाना, बी. लालछनजोवा, लालनीलावमा और लालनहिंग्लोवा हमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति: 12 दिसंबर 2023 को श्री लालबियाकजामा को मिजोरम विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए।

नागालैंड

विधान सभा उप-चुनाव परिणाम: 3 दिसंबर 2023 को, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के श्री वांगपांग कोन्याक तापी विधान सभा क्षेत्र से 7 नवंबर 2023 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित घोषित किए गए।

ओडिशा

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 31 अक्तूबर, 2023 को श्री रघुबर दास ने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

पुडुचेरी

मंत्री द्वारा त्यागपत्र: 10 अक्तूबर, 2023 को परिवहन मंत्री श्रीमती एस चंदिरा प्रियंगा ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया।

पंजाब

विभागों का पुनः आवंटन: 21 नवंबर 2023 को, मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने श्री चेतन सिंह जौरामाजरा मंत्री को खनन एवं भूविज्ञान, जल संसाधन और भूमि एवं जल संरक्षण विभागों का प्रभार सौंपा।

राजस्थान

विधान सभा चुनाव परिणाम: 23 नवंबर 2023 को राजस्थान विधान सभा की 200 सीटों में से 199 के लिए हुए चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित हुआ। चुनाव में दल-वार स्थिति इस प्रकार रही:–

दल का नाम	सीटों की संख्या
भारतीय जनता पार्टी	115
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	69
भारत आदिवासी पार्टी	3
बहुजन समाज पार्टी	2
राष्ट्रीय लोक दल	1
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	1
निर्दलीय	8
कुल	199

मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 15 दिसंबर 2023 को श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

इसी दिन श्रीमती दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति: 21 दिसंबर 2023 को श्री वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 30 दिसंबर 2023 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने बारह कैबिनेट मंत्रियों यथा सर्वश्री किरोड़ी लाल, मदन दिलावर, गजेंद्र सिंह, बाबू लाल खराड़ी, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैया लाल, सुमित गोदारा और कर्नल राज्यवर्धन राठौर और पांच राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) अर्थात सर्वश्री संजय शर्मा, गौतम कुमार, झाबर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह और हीरालाल नागर तथा पांच राज्य मंत्री सर्वश्री ओतरम देवासी, विजय सिंह चौधरी, के.के. विश्नोई, जवाहर सिंह बेधम और डॉ. मंजू बाघमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

तेलंगाना

विधान सभा चुनाव परिणाम: 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना विधान सभा की 119 सीटों के लिए हुए चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया। चुनाव के पश्चात् दल-वार स्थिति इस प्रकार रही:–

दल का नाम	सीटों की संख्या
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	64
भारत राष्ट्र समिति	39
भारतीय जनता पार्टी	8
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	7
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	1
कुल	119

मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 7 दिसंबर 2023 को श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी और श्री बत्ती विक्रमार्क मल्लू ने क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

इसी दिन, राज्यपाल, डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने दस कैबिनेट मंत्रियों अर्थात् सर्वश्री नलमदा उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राजनरसिम्हा, कोमाटि रेड्डी वेंकट रेड्डी, दुद्दीला श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, तुममाला नागेश्वर राव, जुपल्ली कृष्ण राव, श्रीमती कोंडा सुरेखा और श्रीमती डी. अनसूया सीथक्का को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति: 14 दिसंबर, 2023 को श्री गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

त्रिपुरा

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 26 अक्तूबर, 2023 को श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

अर्जेंटीना

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 10 दिसंबर, 2023 को श्री जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

इक्वाडोर

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 23 नवंबर, 2023 को श्री डैनियल नोबोआ ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

मिस्र

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 18 दिसंबर, 2023 को श्री अब्देल फतह अल-सीसी तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

लक्ज़म्बर्ग

प्रधान मंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 17 नवंबर, 2023 को श्री ल्यूक फ्रीडेन ने लक्ज़मबर्ग के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली।

मेडागास्कर

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 16 दिसंबर, 2023 को श्री एंड्री राजोइलिना ने तीसरे कार्यकाल के लिए मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

मालदीव

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 17 नवंबर, 2023 को श्री मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

न्यूज़ीलैंड

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 27 नवंबर, 2023 को श्री क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

पोलैंड

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 13 दिसंबर, 2023 को श्री डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

स्विट्ज़रलैंड

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 13 दिसंबर, 2023 को सुश्री वियोला एमहर्ड ने स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

संवैधानिक और संसदीय रुचि के महत्वपूर्ण प्रलेख

[इस खंड में 1 अक्तूबर, 2023 – 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत (संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद) कुछ महत्वपूर्ण विधेयक शामिल किए गए हैं]

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023: यह अधिनियम उन आवधिक उपायों में से एक उपाय है जिसके द्वारा अधिनियमितियां, जो अब प्रवृत्त नहीं है या अप्रचलित हो गई हैं या जिनको पृथक् अधिनियमों के रूप में प्रतिधारित करना अनावश्यक है, निरसित कर दी गई हैं या जिनके द्वारा अधिनियमितियों में पता लगाई गई औपचारिक त्रुटियों को सही कर दिया है।

तीसरी अनुसूची का टिप्पण विधेयक में सुझाए गए संशोधन के कारणों को स्पष्ट करता है जिनके संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक है।

विधेयक के खंड 4 में सचेतकारी उपबंध अंतर्विष्ट है जिसका इस प्रकार के विधेयक में सम्मिलित किया जाना प्रायिक है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को क्रमश: 27 जुलाई, 2023 और 13 दिसंबर, 2023 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 17 दिसंबर, 2023 को भारत के राष्ट्रपति के इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

उपरोक्त अधिनियम का पाठ निम्नवत् है:–

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और अधिनियमिति का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. *संक्षिप्त नाम:* इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2023 है।

2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन: पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है।

3. अधिनियमिति का संशोधन: तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक तथा रीति से संशोधित किया जाता है।

4. व्यातृति किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या उससे कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा;

और न ही, इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी पड़ेगा कि वह, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से क्रमश: पुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुआ हो;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी।

पहली अनुसूची

(धारा 2 **देखिए**)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
1850	18	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850
1855	28	सूदखोरी विधि निरसन अधिनियम, 1855
1857	05	ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1857
1867	11	ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1867
1871	04	कोरोनर अधिनियम, 1871
1881	16	नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम, 1881
1885	18	भूमि अर्जन (खान) अधिनियम; 1885
1912	13	दिल्ली विधि अधिनियम, 1912
1915	07	दिल्ली विधि अधिनियम, 1915
1922	22	पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922
1923	06	छावनी (गृह आवास) अधिनियम, 1923
1934	15	गन्ना अधिनियम, 1934
1941	12	दिल्ली भूमि उपयोग निर्बंधन अधिनियम, 1941
1950	74	तारयंत्र संबंधी तार (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950
1965	44	द मेटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एक्वीजीशान ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट, 1965

(1)	(2)	(3)
1974	28	कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974
1976	100	मेटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1976
1982	71	आन्ध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1982
1983	17	दिल्ली मीटर खान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1983
1994	13	वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1994
2017	1	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017
2018	8	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	21	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	23	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	26	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018
2018	27	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018
2019	6	स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	8	विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	11	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	14	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	24	सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019
2019	26	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019

(1)	(2)	(3)
2019	36	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019
2019	37	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019
2020	19	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020

दूसरी अनुसूची

(धारा 2 **देखिए**)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
2013	5	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2013
2013	6	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2013
2013	7	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2013
2013	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2013
2013	9	विनियोग अधिनियम, 2013
2013	10	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2013
2013	15	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2013
2013	16	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2013
2013	21	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2013
2014	2	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2013
2014	3	विनियोग (रेल) संख्यांक 4 अधिनियम, 2013
2014	4	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2014
2014	5	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2014
2014	12	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014
2014	13	विनियोग अधिनियम, 2014
2014	21	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2014

(1)	(2)	(3)
2014	22	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2014
2014	23	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014
2014	24	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2014
2014	38	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2014
2015	6	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2015
2015	7	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2015
2015	8	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015
2015	9	विनियोग अधिनियम, 2015
2015	13	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2015
2015	15	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2015
2015	24	विनियोग (रेल) संख्यांक 3 अधिनियम, 2015
2015	25	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2015
2016	7	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2015
2016	8	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2015
2016	14	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2016
2016	15	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2016
2016	19	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016
2016	20	विनियोग अधिनियम, 2016
2016	26	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2016
2016	29	विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2016
2016	46	विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2016

(1)	(2)	(3)
2016	50	विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 2016
2016	51	विनियोग (संख्यांक 5) अधिनियम, 2016
2017	8	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2017
2017	9	विनियोग (रेल) संख्यांक 2 अधिनियम, 2017

तीसरी अनुसूची

(धारा 3 **देखिए**)

संशोधन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
2012	12	फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011	धारा 31क की उप-धारा (3) में, शब्द "और केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर शब्द "और सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023: संसद ने संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023, लोक सभा; प्रत्येक राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों के एक-तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अधिनियमित किया है।

संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का समान उपबंध करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का संसद द्वारा संशोधन किया जाना भी अपेक्षित है।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया में लोक प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं का वृहत प्रतिनिधित्व और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है, जिससे जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध किया जा सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को क्रमशः 12 दिसम्बर, 2023 और 18 दिसम्बर, 2023 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 20 दिसम्बर, 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

उपर्युक्त अधिनियम का पाठ निम्नवत् हैः–

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ*: (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. *नई धारा 14क और 14ख का अंतःस्थापन:* जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"14क. *जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण:* (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(2) धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

14ख. *महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना:* (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।

(2) धारा 14क के उपबंधों के अधीन रहते हुए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का ऐसी तारीख तक, जो संसद विधि द्वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम ऐसे पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात् उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) धारा 14क की कोई बात जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।"

संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023: संसद ने संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023, लोक सभा; प्रत्येक राज्य की विधान सभा; और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों के एक-तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अधिनियमित किया है।

संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के परिणामस्वरूप पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का समान उपबंध करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का संसद द्वारा संशोधन करना भी अपेक्षित है।

पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया में लोक प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं का वृहत्त प्रतिनिधित्व और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है, जिससे पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध किया जा सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023, को क्रमशः12 दिसम्बर 2023 और 18 दिसम्बर 2023 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 20 दिसम्बर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

उपर्युक्त अधिनियम का पाठ निम्नवत् है:–

संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:* (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. नई धारा 3क और धारा 3ख का अत:स्थापन: संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"3क. पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण: (1) पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(2) पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है), ऐसी रीति में, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

3ख. *महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना:* (1) इस अधिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।

(2) धारा 3क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का ऐसी तारीख तक, जो संसद विधि द्वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।

(3) पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम ऐसे पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात् उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा अवधारित करे।

(4) धारा 3क की कोई बात पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।"

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों, निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्यों को सम्पन्न करके आदि की प्रक्रिया से संबंधित मामले, वर्तमान में, निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 द्वारा शासित होते हैं। उक्त अधिनियम में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की अहर्ताओं, उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के लिए खोजबीन (सर्च) समिति, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करने हेतु चयन समिति और अन्य आनुषंगिक उपबंधों के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट नहीं हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 104/2015 (अनुप बर्णवाल *बनाम* भारत संघ) में घोषणा की कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री, लोक सभा में विरोधी दल के नेता और ऐसा नेता न होने की दशा में, लोक सभा में विपक्ष में अधिकतम संख्या बल रखने वाले विरोधी दल नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी समिति द्वारा दी गई परामर्श के आधार पर की जाएगी। उक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपबंधित उक्त मानक तब तक लागू रहेंगे, जब तक संसद द्वारा विधि नहीं बना दिया जाता।

प्रस्तावित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों का प्रावधान करता है–

(क) विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करना;

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, अहर्ताओं, खोजबीन (सर्च) समिति, चयन समिति, पदावधि, वेतन, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना, छुट्टी, पेंशन आदि; तथा

(ग) निर्वाचन आयोग के कारबार का संव्यवहार और उसका निपटारा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023, जिसका उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 21 दिसंबर, 2023 और 12 दिसंबर, 2023 को पारित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने 28 दिसंबर, 2023 को इसे मंजूरी दी।

उपरोक्त अधिनियम का पाठ नीचे पुन: प्रस्तुत है:–

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023

धाराओं की व्यवस्था

अध्याय 1

प्रारंभिक

धारा

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।

2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एवं पदावधि

3. निर्वाचन आयोग।

4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति।

5. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अहर्ताएं।

6. खोजबीन समिति।

7. चयन समिति।

8. चयन समिति की उनका स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति।

9. पदावधि।

अध्याय 3

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

10. वेतन, आदि।

11. पदत्याग और हटाया जाना।

12. छुट्टी।

13. पेंशन।

14. साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का अधिकार।

15. सेवा की अन्य शर्तें।

16. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सुरक्षा।

अध्याय 4

निर्वाचन आयोग का कार्य-निष्पादन

17. कारबार का संव्यवहार।

18. कारबार का निपटाया जाना।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

20. रखा जाना।

21. निरसन और व्यावृत्ति।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और पदावधि, निर्वाचन आयोग द्वारा कारबार का संव्यवहार की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम अधिनियमित हो:–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:* (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा पदावधि) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. *परिभाषाएं:* इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "मुख्य निर्वाचन आयुक्त" से संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अधीन तथा इस अधिनियम के अनुसार नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) "निर्वाचन आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "निर्वाचन आयुक्त" से संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अधीन तथा इस अधिनियम के अनुसार नियुक्त कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) "खोजबीन समिति" से मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के लिए खोजबीन समिति अभिप्रेत है; और

(ङ) "चयन समिति" से तात्पर्य वह चयन समिति अभिप्रेत है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करती है।

अध्याय 2

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल

3. *निर्वाचन आयोग:* निर्वाचन आयोग, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त; और

---

[1]दिनांक 2 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या एसओ 35 (ङ) द्वारा देखें दिनांक 2 जनवरी, 2024 देखें भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3 (दो)।

(ख) निर्वाचन आयुक्तों की ऐसी संख्या, जो राष्ट्रपति, समय-समय पर नियत करें।

4. *मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति:* मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी।

5. *मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अर्हताएं:* मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के सचिव के समतुल्य रैंक का पद धारण कर रहे हैं या धारण कर चुके हैं, तथा जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे, जिनके पास निर्वाचनों के प्रबंधन और उनके संचालन का ज्ञान और अनुभव हो।

6. *खोजबीन समिति:* खोजबीन समिति का प्रमुख विधि और न्याय मंत्री होगा तथा वह भारत सरकार के सचिव के रैंक से अन्य दो अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिन्हें निर्वाचनों से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव हो, वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी।

7. *चयन समिति:* (1) मुख्य आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी—

(क) प्रधानमंत्री— अध्यक्ष;

(ख) लोक सभा में विपक्ष का नेता— सदस्य;

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाने वाला संघ का कोई केबिनेट मंत्री—सदस्य ।

स्पष्टीकरण.— शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को इस रूप में मान्यता नहीं दी गई, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्ष में एकल सबसे बड़े दल का नेता, विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, चयन समिति में मात्र किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रृटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

8. *चयन समिति की उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति:* (1) चयन समिति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति में उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

(2) चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकेगी।

9. *पदावधि:* (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, छह वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु का होने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) जहां किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी पदावधि निर्वाचन आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में छह वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी।

अध्याय 3

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

10. *वेतन, आदि:* (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के समान वेतन का संदाय किया जाएगा:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व पदधारण करने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में, उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन, किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था या प्राप्त करने के लिए पात्र होते हुए, उसने ऐसी पेंशन लेने का निश्चय किया था, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा—

(क) उसकी पेंशन की रकम; और

(ख) यदि पद ग्रहण करने से पूर्व उसने ऐसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया था तो पेंशन के उस भाग की रकम।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यथा अनुज्ञेय महंगाई भत्ते के हकदार होंगे।

(4) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उसके कार्यकाल के पूर्ण होने के समय उसके जमा में अर्जित अवकाश के पचास प्रतिशत के नकदीकरण के हकदार होंगे।

(5) जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कोई निर्वाचन आयुक्त, उस रूप में नियुक्ति से पूर्व, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था, वहां वह सकल अवधि, जिसके लिए वह उपयोग न किए गए अर्जित अवकाश के नकदीकरण का हकदार होगा, उस अधिकतम अवधि के अध्यधीन होगी, उन नियमों के अनुसार, जो तत्समय उस सेवा को लागू होते हैं, जिससे वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व संबंध रखता था, को अनुज्ञेय है।

11. *पदत्याग और हटाया जाना:* (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई निर्वाचन आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से, सिवाय उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की रीति और आधारों के, नहीं हटाया जाएगा।

(3) अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जाएगा।

12. *छुट्टी:* (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त को उन नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, जो उस सेवा को तत्समय लागू हों, जिससे वह उसकी नियुक्ति की तारीख से पूर्व संबंधित था, तथा वह धारा 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर ध्यान न देते हुए, ऐसी तारीख को अपने नाम जमा छुट्टी को अग्रेनीत करने का हकदार होगा।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त को छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने और उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति, राष्ट्रपति में निहित होगी।

13. *पेंशन:* (1) जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई निर्वाचन आयुक्त, सरकार की सेवा में था, वह उस तारीख से, जिसको वह, यथास्थिति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करता है, उस सेवा से सेवानिवृत्त समझा जाएगा।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में था, ऐसी नियुक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रयोग किए जाने वाले उसके विकल्प पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी

नियुक्ति की तारीख से, उस सेवा को लागू, जिससे वह संबंधित था, नियमों के अधीन अपनी, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे आहरित करने का हकदार होगा।

(3) उस दशा के सिवाय, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई निर्वाचन आयुक्त त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ता है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह तभी समझा जाएगा कि उसने अपना पद छोड़ दिया है, जब–

(क) उसने धारा 9 में विनिर्दिष्ट पदावधि पूरी कर ली है; या

(ख) वह पैंसठ वर्ष की आयु का हो गया है; या

(ग) चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उसका पद छोड़ना उसकी अस्वस्थता के कारण आवश्यक है।

14. *साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का अधिकार:* मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा।

15. *सेवा की अन्य शर्तें:* इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाओं, छुट्टी यात्रा रियायत, वाहन सुविधाएं और सेवा की ऐसी अन्य शर्तें, जो तत्समय, मंत्रिमंडल सचिव को लागू होती हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को लागू होंगी।

16. *मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का संरक्षण:* तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय, किसी व्यक्ति, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई निर्वाचन आयुक्त है या था, के विरुद्ध किसी कृत्य, चीज या शब्द, जो उसके द्वारा तब कारित की गई हो या कहे गए हों, जब वह अपने शासकीय कर्तव्यों या कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में कार्य कर रहा हो या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को ग्रहण नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा।

अध्याय 4

निर्वाचन आयोग के कारबार का संव्यवहार

17. *कारबार का संव्यवहार:* निर्वाचन आयोग के कारबार का संव्यवहार, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

18. *कारबार का निपटाया जाना:* (1) निर्वाचन आयोग, अपने कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच अपने कारबार के आबंटन को, सर्वसम्मत विनिश्चय द्वारा, विनियमित कर सकेगा।

(2) निर्वाचन आयोग के सभी कारबार का संव्यवहार, यथासंभव, सर्वसम्मति से किया जाएगा और यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की राय में किसी विषय पर मतभेद हैं तो ऐसे विषय का विनिश्चय बहुमत के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

19. *कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:* (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

20. *रखा जाना:* इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और आदेश, उसे किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या आदेश में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या तो दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु आदेश के इस प्रकार उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या आदेश के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

21. *निरसन और व्यावृत्ति:* (1) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इसके द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों के वर्णन को ऐसे निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने के प्रतिकूल या उसे प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता, 2023: वर्ष 1834 में, लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन मौजूदा न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, शक्ति और नियमों के साथ-साथ पुलिस प्रतिष्ठानों और भारत में लागू कानूनों की जांच करने के लिए किया गया था।

आयोग ने सरकार को विभिन्न अधिनियम बनाने का सुझाव दिया। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक सिफारिश भारतीय दंड संहिता के संबंध में थी, जिसे वर्ष 1860 में अधिनियमित किया गया और समय-समय पर किए गए कुछ संशोधनों के साथ उक्त संहिता देश में अभी भी लागू है।

भारत सरकार ने विधि और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तथा विधिक प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा दंड संबंधी कानून पर पुनर्विचार करना समीचीन और आवश्यक समझा है, ताकि जनसाधारण की जीवनयापन की सुगमता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने मौजूदा कानूनों को समकालीन स्थिति के अनुसार सुसंगत बनाने और जन साधारण को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए भी विचार किया। तद्नुसार, समकालीन आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा विधिक ढांचा सृजित करने की दृष्टि से, जो नागरिक केंद्रित हो और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न पक्षों से परामर्श किया गया।

भारतीय दंड संहिता का निरसन करके, एक नई विधि को अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे अपराधों और शक्तियों से संबंधित उपबंधों को सुचारु बनाया जा सके। समुदाय सेवा को पहली बार छोटे अपराधों के लिए एक दंड के रूप में प्रावधान करना प्रस्तावित है। महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध, हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराधों को वरीयता दी गई है। कुछ अपराधों को स्त्री-पुरुष समानता की दृष्टि से तटस्थ बनाया गया है। संगठित अपराधों और आतंकी गतिविधियों की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए, आतंकी गतिविधि और संगठित अपराध के नए अपराधों को विधेयक में कठोर दंड के साथ जोड़ा गया है। अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधि, अलगाववादी गतिविधि या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता पर खतरों को नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और दंड में भी समुचित रूप से वृद्धि की गई है।

तद्नुसार, 11 अगस्त, 2023 को एक विधेयक अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023, लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। विधेयक, विभागों से संबद्ध गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को उसके विचारार्थ और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। समिति ने विचार-विमर्श करने के पश्चात्, 10 नवम्बर, 2023 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें की । समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोक सभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, एक नया विधेयक पुरःस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय न्याय संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को क्रमशः 20 दिसम्बर 2023 और 21 दिसम्बर 2023 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 25 दिसम्बर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सॉफ्ट कॉपी *https://sansad.in/ls/legislation/bills* पर उपलब्ध है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय दंड संहिता और दाण्डिक अपराधों को शासित करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन गिरफ्तारी, जांच, अन्वेषण और अपराधों के विचारण की प्रक्रिया को विनियमित करती है। संहिता, किसी दाण्डिक मामले में विचारण के संचालन के लिए तंत्र का उपबंध करती है। यह परिवाद रजिस्टर करने, विचारण का संचालन करने और कोई आदेश पारित करने तथा किसी आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है।

त्वरित और प्रभावी न्याय प्रणाली सुशासन का अनिवार्य घटक है। तथापि, जटिल विधिक प्रक्रिया के कारण न्याय पाने में विलंब, न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने, कम संख्या में दोषसिद्ध दर, विधिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त उपयोग, अन्वेषण प्रणाली में विलंब, विधि शास्त्र का अपर्याप्त उपयोग, तीव्र न्याय प्रदान करने में सबसे बड़ी रुकावट है, जो निर्धनों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए नागरिक केंद्रित दाण्डिक प्रक्रिया समय की मांग है।

भारतीय लोकतंत्र का सात दशकों का अनुभव हमारी दाण्डिक विधियों, जिसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता भी है, की व्यापक समीक्षा और समयानुकूल आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार उन्हें अनुकूल बनाने की मांग करता है।

सरकार, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" मंत्र के साथ इन संवैधानिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार, सबको सुगम और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए दाण्डिक विधियों के ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का निरसन करना और एक नई विधि को अधिनियमित करना प्रस्तावित है। यह अपराधों का अन्वेषण करने और सूचना देने, समनों की तामील करने, आदि के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रौद्योगिकी और विधि विज्ञान के उपयोग का उपबंध करती है। समयबद्ध अन्वेषण, विचारण और निर्णय सुनाने के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा विहित की गई है। पीड़ित को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने और उन्हें अन्वेषण की प्रगति के बारे में सूचित करने, जिसके अंतर्गत डिजिटल साधन भी हैं, के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अंगीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहां दंड 7 वर्ष या अधिक है, पीड़ितों को सरकार द्वारा मामला वापस लेने से पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। छोटे और कम गंभीर अपराधों के लिए संक्षिप्त विचारण अनिवार्य बनाया गया है । अभियुक्त व्यक्तियों की इलैक्ट्रॉनिक साधनों, जैसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जांच की जा सकेगी। मजिस्ट्रेट प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया गया है।

तद्नुसार, 11 अगस्त, 2023 को एक विधेयक, अर्थात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक, विभागों से संबंद्ध गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को उसके विचारार्थ और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया था। समिति ने विचार-विमर्श करने के पश्चात्, 10 नवम्बर, 2023 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें की थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोक सभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, एक नया विधेयक पुरःस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) संहिता, 2023 को क्रमशः 20 दिसम्बर 2023 और 21 दिसम्बर 2023 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। 25 दिसम्बर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सॉफ्ट कॉपी *https://sansad.in/ls/legislation/bills* पर उपलब्ध है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित करने की दृष्टि से वर्ष 1872 में अधिनियमित किया गया था जिसके आधार पर न्यायालय मामले के तथ्यों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंच सकता था और उस पर निर्णय सुना सकता था तथा यह 01 सितंबर, 1872 को प्रवृत्त हुआ।

भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों का अनुभव भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 सहित हमारी दाण्डिक विधियों की व्यापक समीक्षा और समकालीन आवश्यकताओं तथा लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार उन्हें अंगीकृत करने की मांग करता है। साक्ष्य विधि (जो एक मौलिक या प्रक्रिया विधि नहीं है) 'विशेषण विधि' (एडजेक्टिव लॉ) की श्रेणी में आती है, जो अभिवचन और उस कार्यप्रणाली को परिभाषित करती है जिसके द्वारा मौलिक या प्रक्रिया विधियों को प्रचालन में लाया जाता है। मौजूदा कानून, विगत कुछ दशकों के दौरान देश में हुई प्रौद्योगिकी उन्नति को इंगित नहीं करता है।

तद्नुसार, तारीख 11 अगस्त, 2023 को एक विधेयक, अर्थात् भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। विधेयक, विभागों से संबद्ध गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को उसके विचार और रिपोर्ट हेतु निर्दिष्ट किया गया था। समिति ने विचार-विमर्श करने के पश्चात्, तारीख 10 नवम्बर, 2023 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोक सभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, एक नया विधेयक पुरःस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्तावित विधान, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार उपबंध करता है:–

(एक) यह उपबंध करता है कि "साक्ष्य" के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई कोई सूचना भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से साक्षियों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति को अनुज्ञात करेगा;

(दो) यह किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता का उपबंध करता है जिसका वही विधिक प्रभाव, विधि मान्यता और प्रवर्तनीयता होगी जो किसी अन्य दस्तावेज की होती है;

(तीन) यह द्वितीयक साक्ष्य के क्षेत्र का विस्तार करता है ताकि मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, दस्तावेजों के

प्रतिलेख के साथ उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया था, तुलना की जा सके और किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत जिसने उन्हें स्वयं देखा है और मूल अभिलेख का मैचिंग हेश वैल्यू देना द्वितीयक साक्ष के रूप में साक्ष्य के सबूत के रूप में ग्राह्य होंगे;

(चार) यह उन तथ्यों को सीमित करने के लिए है जो ग्राह्य हैं और न्यायालय इसके प्रमाणन के लिए हैं। प्रस्तावित विधेयक, साक्ष्य के माध्यम से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से व्यौहार करने के लिए न्यायालयों के आचरण नियमों को और अधिक सुस्पष्ट और एकरूपता लाने की पुरःस्थापना करता है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय साक्ष्य (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को क्रमशः 19 दिसम्बर 2023 और 20 दिसम्बर 2023 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 28 दिसम्बर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सॉफ्ट कॉपी *https://sansad.in/ls/legislation/bills* पर उपलब्ध है।

सत्र समीक्षा

सत्रहवीं लोक सभा

चौदहवां सत्र

सत्रहवीं लोक सभा का चौदहवां सत्र 4 दिसंबर, 2023 को प्रारंभ हुआ और 21 दिसंबर, 2023 को सत्रावसान हुआ।

इस सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही 61 घंटे और 50 मिनट चली जिसकी कुल 14 बैठकों में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य संपन्न हुए। सत्र के दौरान सदन की कुल उत्पादकता 74 प्रतिशत रही। सत्र के दौरान, लोक सभा में 12 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 18 विधेयक पारित हुए।

दसवें सत्र के दौरान हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं और अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

क. चर्चा/वक्तव्य

ख. विधायी कार्य

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्य सभा द्वारा यथापारित): 4 दिसंबर, 2023 को, विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह आजादी से पहले हाईकोर्ट एक्ट, 1861 था। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को बनाया था और इसका उद्देश्य लीगल फ्रैटर्निटी का रेग्युलेशन था। उन्होंने आगे कहा कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 में बना जिसमें धारा 36 विद्यमान है जो दलालों से संबंधित है और इसके बाद 1920 में बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट बना। मंत्री ने यह भी कहा कि 1936 में इंडियन बार कांउसिल एक्ट भी आया और 1961 में एडवोकेट एक्ट आया । इसका मुख्य उद्देश्य कानूनी शिक्षा को विनियमित करना था। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 समाप्त कर दिया गया है क्योंकि यह औपनिवेशिक अधिनियम था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस अधिनियम (एडवोकेट एक्ट, 1961) में एक संशोधन लेकर आयी है क्योंकि यह दलालों पर अंकुश लगाने के लिये जरूरी है। उन्होंने सूचित किया कि

अधिनियम में एक समिति का प्रावधान किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायालय के न्यायाधीश और समाहर्ता भी शामिल होंगे जो ठगी में शामिल दलालों की पहचान करेंगे और उनकी एक सूची बनाएंगे। यदि इसके बाद भी वह न्यायालय परिसर में पाया जाता है तो उसे तीन महीने की सजा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है।

चर्चा आरम्भ करते हुए, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम (आईएनसी) ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि मध्यस्थता हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है, और कहीं भी हुआ अन्याय न्याय के लिए हर जगह खतरा होता है। उन्होंने आगे कहा कि एक सामान्य व्यक्ति को कभी-कभी यह पता नहीं होता है कि कानूनी प्रक्रिया का कैसे उपयोग किया जाए और इसी का फायदा उठाया जाता है और कुछ व्यक्ति दलाल के रूप में आगे आते हैं। उन्होंने आगे दलालों और वकीलों के बीच सांठगांठ के बारे में बात की और इस सांठगांठ को तोड़ने की आवश्यकता की बात की। इसके दुरुपयोग की आशंका जताते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि इसका उपयोग किसी व्यक्ति के मताधिकार छीनने के हथियार के रूप में और किसी वैध सरकार विरोधी वकील को निचली अदालतों से प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

[1]*चर्चा में भाग लेते हुए*, श्री जगदम्बिका पाल (भाजपा) ने कहा कि दलाल शोषण में संलिप्त हैं और सरकार सभी दलालों पर अंकुश लगाने के लिए यह विधेयक लाई है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से 'पंच प्रण' पर भाषण देते हुए औपनिवेशिक विरासत को त्यागने की बात कही थी। श्री पाल ने यह भी बताया कि यह कोई एकल विधान नहीं है बल्कि यह इस देश में सभी अप्रचलित कानूनों को हटाने के लिए सरकार के व्यापक मिशन का एक हिस्सा है, और दलालों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस कानून की अनुशंसा भारत के विधि आयोग ने भी की थी, और माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह वर्ष 1961 के संशोधन अधिनियम में केवल धारा 36 जोड़ रहे हैं।

---

[1]**चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** सर्वश्री ए. राजा, कल्याण बनर्जी, एन. रेडेप्पा, भर्तृहरि महताब, कोडिकुन्नील सुरेश, पी.पी.चौधरी, मलूक नागर, हसनैन मसूदी, ई.टी. मोहम्मद बशीर, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, एन.के. प्रेमचंद्रन, अधीर रंजन चौधरी, सय्यद ईमत्याज़ जलील, गिरीधारी यादव, संतोष पाण्डेय, डॉ. संजीव कुमार सिंगरी, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती अपरूपा पोद्दार और श्रीमती नवनित रवि राणा।

चर्चा का उत्तर देते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कहा कि 1879 का यह अधिनियम एक औपनिवेशिक अधिनियम है जिसका निरसन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दलालों से संबंधित विषय, जिसे 1936 में अधिनियमित किया गया था, को समिति, विधि विभाग, भारत के विधि आयोग और यहां तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया था क्योंकि अधिवक्ता की पोशाक में आने वाले बहुत से लोग वकील नहीं थे, और उनकी डिग्री भी फर्ज़ी हैं और वे उन वादियों के साथ जिन्हें कुछ विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता होती है, को ठगने के लिए न्यायालय परिसर में प्रवेश करते हैं। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि यह प्रावधान 1879 में पहले से ही था, और 1961 में सरकार द्वारा इसे प्रस्तुत किए जाने के दौरान इसमें एक छोटा संशोधन किया गया और 45(ए) जोड़ा गया । अधिवक्ताओं के कल्याण, बीमा, वकीलों के चैंबर और सुरक्षा के मुद्दे के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि चाहे वह कोई भी वर्ग हो, कोई भी पेशेवर वर्ग हो, सबका साथ सबका विकास सरकार का मूल मंत्र है और सवाल यह है कि वकीलों को इससे कैसे वंचित किया जा सकता है । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि अगर उनके सामने सुरक्षा का कोई मुद्दा आता है तो सरकार उनके लिए भी कुछ न कुछ जरूर करेगी । यह कहते हुए कि इस सरकार की प्राथमिकता जीवन की सुगमता है, उन्होंने बताया कि सरकार की एक ई-कोर्ट योजना चल रही है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दावे प्रस्तुत करने और जमानत देने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

विधेयक पारित हुआ।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023: 5 दिसंबर 2023 को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया।

चर्चा आरम्भ करते हुए, डॉ. अमर सिंह (भा.रा.कां.) ने कहा कि 2004 के आरक्षण संशोधन विधेयक में 'वंचित वर्ग' शब्द का प्रयोग किया गया है और नए विधेयक में इन्हें बदलकर 'अन्य पिछड़ा वर्ग' कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जा रहा था, तो असली मुद्दा यह था कि इन सभी ओबीसी वर्गों, जिनका अलग नाम 'अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस' था, से वादा किया गया था कि उन्हें 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा जैसा कि पूरे भारत में प्रदान किया गया है । उन्होंने आगे वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में दो प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया और कहा कि नाम बदल दिया गया है और

वे भारत सरकार में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अब, जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र द्वारा प्रशासित है। श्री सिंह ने सरकार से दो प्रतिशत आरक्षण के भविष्य के बारे में पूछा, और कहा कि क्या सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना पेश करेगी। उन्होंने यह भी प्रश्न किया कि सरकार उनकी शिक्षा को बढ़ावा कैसे देगी। केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर अपना विचार व्यक्त करते हुए, उन्होंने पूछा कि सरकार चुनाव कब कराएगी? उन्होंने आगे आईटीआई और हर संस्थान में छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में प्रश्न पूछा।

[2]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री जुगल किशोर शर्मा (भाजपा) ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, जम्मू-कश्मीर को न्याय मिला और वे सभी बुनियादी सुविधाएँ जिनके जम्मू-कश्मीर के लोग हकदार थे, 70 वर्षों से जिनसे वे वंचित थे, उनको आज वे सभी सुविधाएँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लागू होने वाले ऐसे सभी विधेयक और कानून, जो पहले हो जाने चाहिए थे, एक के बाद एक लागू किए जा रहे हैं। यह उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिस विधेयक पर चर्चा हो रही थी, वह एक बड़े वर्ग की मांग थी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद, ये सभी सुविधाएँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने लगेंगी। उन्होंने आगे बताया कि आरक्षण भी बढ़ेगा और उन्हें केंद्र में भी ऐसी सभी सुविधाएँ मिलेंगी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी संख्या के अलावा, पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर के प्रवासी भी जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक में विस्थापितों के लिए एक सीट और कश्मीरी पंडितों के लिए दो सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

---

[2]*चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:* सर्वश्री कौशलेंद्र कुमार, महेश साहू, मलूक नागर, हसनैन मसूदी, जामयांग शेरिंग नामग्याल, मनीष तिवारी, श्रीरंग आप्पा बारणे, एन.के. प्रेमचंद्रन, असादुद्दीन ओवैसी, जसबीर सिंह गिल, जगदम्बिका पाल, नामा नागेश्वर राव, विनायक भाऊराव राऊत, के. नवासखनी, पी.पी. चौधरी, रविशंकर प्रसाद, अधीर रंजन चौधरी, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., डॉ. निशिकांत दुबे, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, डॉ. के. जयकुमार, प्रो. सौगत रे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती प्रतिमा मंडल और डॉ. जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री।

चर्चा का जवाब देते हुए, गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेम्बली, लोकतंत्र का मूल है। मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया कि डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर विधान सभा में 107 सीटें थीं और अब यह संख्या 114 हो गई है, पहले 2 मनोनीत सदस्य होते थे, लेकिन अब 5 मनोनीत सदस्य होंगे। मंत्री महोदय ने आगे यह भी बताया कि आज की स्थिति के अनुसार 5,675 कश्मीरी विस्थापित परिवार रोजगार पैकेज का लाभ उठा रहे हैं; प्रति व्यक्ति 3,250 रुपये की नकद राहत दी जा रही है, जो अधिकतम 13,000 रुपये प्रति परिवार है; और इसके अलावा, सरकार प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो चीनी प्रदान करती है। उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर से वापस आए लोगों को 5,50,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी है। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि अनुच्छेद 370 को हटाने से अलगाववाद कम होगा और इससे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली भावनाओं पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक आतंकवाद की 7,217 घटनाएं हुईं, जबकि उनकी सरकार के दौरान, 2014 से 2023 तक, केवल 2,000 ऐसी घटनाएं हुईं और इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है; इस सरकार के शासन में नागरिकों की मौतों की संख्या में 72 प्रतिशत की कमी आई है और सुरक्षा बलों के मृत्यु में 59 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि गृह मंत्रालय द्वारा हर महीने सुरक्षा की समीक्षा की जाती है और हर तीन महीने में संघ राज्यक्षेत्र का दौरा करके तिमाही समीक्षा की जाती है और एक जीरो टेरर प्लान शुरू किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि एक कम्पलीट एरिया डोमिनेशन की योजना भी तैयार की गई थी, जिसे वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण की पूरी प्रणाली को नष्ट करने के लिए मामले दर्ज किए गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का कानून संबंधी अधिनियम, वन अधिकार संबंधी अधिनियम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार निवारण अधिनियम, दि व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को संघ राज्यक्षेत्र में लागू नहीं किया गया था जिससे बड़े पैमाने पर जनता का नुकसान हुआ और अब ऐसे सभी केंद्रीय अधिनियम लागू

हो गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, और अब इसे 5 वर्ष किया गया है, और कई बड़े बदलाव शुरु किए गए हैं जिनका उद्देश्य संघ राज्यक्षेत्र में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने जानकारी दी कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले जीएसटी संग्रह केवल एक लाख करोड़ रुपये था, जो अब 2,27,927 करोड़ रुपये हो गया है। यह केवल 5 वर्षों में दोगुना हो गया है। जम्मू-कश्मीर पहला राज्य है जहां दो एम्स स्थापित किए गए हैं। आजादी के बाद पिछले 70 वर्षों में, जम्मू-कश्मीर में चार मेडिकल कॉलेज थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज और 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए गए हैं। मेडिकल सीटों की संख्या 500 थी और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 800 सीटें बढ़ी हैं। मेडिकल पीजी सीटें 367 हुआ करती थीं और उनमें 397 नई सीटें शामिल की गई हैं। पहले, लगभग 6 लाख लोग मध्याहन् भोजन के लाभार्थी थे और अब 9 लाख 13 हजार लोगों को मध्याहन् भोजन मिल मिलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की औसत 158 किलोमीटर थी जो अब बढ़कर 89 हजार 68 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। स्मार्ट सिटी मिशन तो पहले अस्तित्व में भी नहीं था। पिछले 70 वर्षों में 24 हजार घर प्रदान किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 1 लाख 45 हजार लोगों को घर दिए हैं। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 22 थी जो अब घटकर 14.30 हो गई है। पहले 47 जन औषधि केंद्र थे, जिनका उद्देश्य सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराना था, जिनकी संख्या अब बढ़कर 227 हो गई है। पाँच वर्षों में खेलों में युवाओं की भागीदारी 2 लाख से बढ़कर 60 लाख हो गई है। पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 6 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गई है। ये सभी परिवर्तन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हुए हैं। उन्होंने यह कहते हुए बात समाप्त कि अब माहौल अच्छा है और इसका श्रेय आतंकवादी गतिविधियों में हुई कमी को दिया जा सकता है और सभी सकारात्मक विकास कार्यों का श्रेय भी आतंकवादी गतिविधियों में हुई कमी को दिया जा सकता है।

विधेयक पारित हुआ।

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023: 6 दिसंबर 2023 को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए है। उन्होंने जानकारी दी कि तेलंगाना सरकार ने मुलुगु जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जगह दी है और राज्य सरकार ने 335.04 एकड़ जमीन की पेशकश की है। मंत्री महोदय ने आगे जानकारी दी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद) ने विश्वविद्यालय के लिए विस्तृत

परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत 889.07 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा गया है और यह विश्वविद्यालय आदिवासी कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, औषधीय प्रणालियों, रीति-रिवाजों, वन-आधारित आर्थिक गतिविधियों आदि में अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, श्री सप्तगिरि शंकर उलाका (कांग्रेस) ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 का उद्देश्य तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करना है। उनकी राय थी कि जनजातीय विश्वविद्यालय में आरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन देखा जाता है और उन्होंने पाया कि जनजातीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत होती है और परीक्षा केंद्र बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण उनका नामांकन कम हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि ओडिशा के कोरापुट में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जहां 23 प्रोफेसर के पद हैं, जिनमें से 14 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, लेकिन केवल दो पदों पर भर्ती की गई। उन्होंने उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी, एचईएफए के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण और अनुदान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा को धन आवंटित करने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि आईआईटी और आईआईएम में करीब 13,000 छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं और जो मुख्यधारा में आते हैं, उन्हें जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे पाया कि आईआईटी में आत्महत्या की कई घटनाएं हुई हैं और यह केवल अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के साथ हुआ है। उनका मानना था कि केवल बुनियादी ढांचे का विकास पर्याप्त नहीं होगा और इसके लिए संपूर्ण आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह अनुरोध किया कि सरकार को उनकी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने तथा आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

[3]चर्चा में भाग लेते हुए, श्री ए. राजा (डी.एम.के.) ने कहा कि हमें न केवल आरक्षण की रक्षा और संरक्षण करना चाहिए बल्कि हमें वास्तव में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए । ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा और आर्थिक प्रगति के मामले में उनका हजारों वर्षों तक उत्पीड़न होता रहा है। उन्होंने यह नोट किया कि आईआईटी परिसरों में दलित और अपिव समुदाय के विद्यार्थी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं । पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों से लगभग 4,596 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों, 2,424 अनुसूचित जाति के छात्रों और 2,622 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। इस बात का अवलोकन करते हुए कि लगभग 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया जाता है। उन्होंने यह नोट किया कि आईआईटी में प्रोफेसरों को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है और उच्च शिक्षण पदों पर एससी/एसटी/ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है । उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष मार्च में आरक्षित श्रेणी की 526 रिक्तियां थीं। इन 526 रिक्तियों में से 123 रिक्तियां अनुसूचित जाति के लिए, 61 रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के लिए, 221 रिक्तियां अपिव के लिए, 86 रिक्तियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और 42 रिक्तियां दिव्यांग श्रेणी के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 5,000 शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं और इन 5,000 रिक्त पदों में से 4,000 पद अपिव/अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए आरक्षित हैं । उन्होंने यह नोट करते हुए खेद व्यक्त किया कि इन रिक्त पदों में से कोई भी पद भरा नहीं गया है । उन्होंने यह भी कहा कि उचित सुविधाओं के बिना एकलव्य स्कूलों की हालत खराब है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के हित में आईआईटी में जातिवाद और रैगिंग की घटनाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं में इन सभी असमानताओं को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए।

---

[3]चर्चा में भाग लेने वाले अन्य गण्यमान्य व्यक्ति: सर्वश्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, चंद्र शेखर साहू, बी.बी. पाटील, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित, राजीव प्रताप रूडी, कोडिकुन्नील सुरेश, राहुल रमेश शेवाले, हसनैन मसूदी, सय्यद ईमत्याज जलील, तापिर गाव, जामयांग सेरिंग नामग्याल, कौशलेन्द्र कुमार, अरविंद सावंत, जी. सेल्वम, गिरीश चन्द्र, गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल, रामशिरोमणि वर्मा, राजू बिष्ट, एन.के. प्रेमचन्द्रन, रघु राम कृष्ण राजू, राम मोहन नायडू किंजरापु, वी. वैथिलिंगम, जगदम्बिका पाल, रितेश पाण्डेय, अधीर रंजन चौधरी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, एडवोकेट ए.एम.आरिफ़, डॉ. आलोक कुमार सुमन, डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी, डॉ. एस.टी. हसन, डॉ. सत्यपाल सिंह, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, डॉ. मोहम्मद जावेद, डॉ निशिकांत दुबे, प्रो. सौगत राय, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्रीमती संगीता आज़ाद, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और सुश्री सुनीता दुग्गल।

चर्चा का उत्तर देते हुए, शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा के तीन-चार विषयों पर सभी सदस्यों ने अपनी चिंता प्रकट की है और उन्होंने अनु.जाति/अनु.जनजाति/अपिव प्राध्यापकों की नियुक्ति तथा विद्यार्थियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में बताया। यह जानकारी देते हुए उन्होंने यह कहा कि सरकार द्वारा हाल में अध्यापकों की नियुक्ति का अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि पहले सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु पी.एच.डी. होना अनिवार्य था जिसके कारण अनु.जाति/अनु.जनजाति के लोग सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त नहीं हो पाते थे। इसलिए सरकार ने उस अनिवार्यता को हटाकर स्नातकोत्तर कर दिया है। इसलिए जो लोग पी.एच.डी. कर रहे थे उन्होंने पी.एच.डी. छोड़कर सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मंत्री महोदय ने कहा कि जनजातीय विश्वविद्यालय का अर्थ है कि यह विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र में खोला जाएगा और उसमें जनजातीय से संबंधित विषयों तथा चुनौतियों के बारे में चर्चा की जाएगी एवं उस विश्वविद्यालय में भारत की संवैधानिक व्यवस्था के प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्त आरक्षण के अनुसार विद्यार्थी पढ़ेंगे। वर्तमान समय में इन संस्थाओं में उससे अधिक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। यह नोट करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में कुल नामांकन अनुपात 23 प्रतिशत होता था जो वर्ष 2021-22 के सर्वेक्षण के अनुसार बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि आज भारत में नए विश्वविद्यालय और नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। गुणात्मक उच्च शिक्षा के नए संस्थान खोले जा रहे हैं और नए पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि पहले हमारे यहां एआई में स्नातक पाठ्यक्रम नहीं होता था और हमारे चिकित्सीय संस्थान तथा इंजीनियरिंग संस्थान में संयुक्त सहयोगात्मक पाठ्यक्रम की पढ़ाई नहीं होती थी। आज भारत के कई राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के सहयोगात्मक संस्थान खोले जाने के फलस्वरूप विद्यार्थी देश में ही अध्ययनरत हैं जिसके कारण इस संबंध में वर्ष 2014 से 2021-2022 तक आज देश में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014 में जितनी महिलाएं पढ़ती थीं, छात्राएं पढ़ती थीं उसकी तुलना में आज 31.6 प्रतिशत अधिक महिलाएं और छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं और एसटी वर्ग के छात्रों की संख्या में 65.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो सबसे अधिक है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि एसटी वर्ग की छात्राओं की संख्या में वर्ष 2014-15 की तुलना में 2021-22 में 80 प्रतिशत की वृद्धि और एससी वर्ग की छात्राओं की संख्या में 43.8 प्रतिशत की वृद्धि एवं ओबीसी वर्ग की छात्राओं की संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही, महिला वैज्ञानिकों की संख्या में 81 प्रतिशत, पीएच.डी. करने वाली महिलाओं की संख्या में 106

प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय ने यह भी सूचना दी कि पिछले दो माह के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में 11,272 नियुक्तियां हुई हैं जिसमें 1402 एससी, 572 एसटी और 2321 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि वर्ष 2014-15 के दौरान 16 लाख 41 हजार जनजातीय विद्यार्थी थे जिनकी संख्या में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 के दौरान, जीडीपी का 3.84 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया गया था जो अब बढ़कर 4.64 प्रतिशत हो गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में सात नए आईआईटी, सात नए आईआईएम, दो नए आईआईएसईआर और 16 ट्रिपल आईटी खोले गए हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 40 से अधिक है। सरकार द्वारा जनजातीय लोगों की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर 24 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोले जा रहे हैं जिन पर 28 हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भारत की सभी स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। यह कार्य तकनीकी से ही संभव होगा। उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि आज की शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं है बल्कि नौकरी देने वाले बनना भी है। रैंकिग के बारे में उठाए गए मुद्दे का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूरू शोध के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष पांच संस्थानों में से एक बन चुका है। भारत की प्रसिद्ध आईआईटी, दिल्ली आबूधाबी में अपना कैम्पस खोल रही है और कुछ दिनों के पश्चात् वहां पढ़ाई शुरू होने वाली है। अफ्रीका महाद्वीप को ध्यान में रखते हुए तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी मद्रास द्वारा अपना कैम्पस खोला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा विश्व के अन्य देशों में अपने कैंपस खोले जाने के फलस्वरूप भारत सरकार भी अन्य देशों के गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैम्पस खोलने की अनुमति देने जा रही है। अपनी बात को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित वर्गों के लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।

विधेयक पारित हुआ।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023: गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री नित्यानन्द राय द्वारा 12 दिसम्बर 2023 विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

चर्चा को आरम्भ करते हुए, श्री जुगल किशोर शर्मा (बीजेपी) ने कहा कि इस विधेयक के पारित होते ही जम्मू-कश्मीर विधान सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित

होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं चाहे एसटी वर्ग के लोगों के राजनीतिक आरक्षण की बात हो या ओबीसी वर्ग के लोगों को संवैधानिक संरक्षण मिलने की बात हो या पीओके के व्यस्क शरणार्थियों को अधिकार देने की बात हो या वाल्मिकी समाज का मान-सम्मान बढ़ाने की बात हो, केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। श्री शर्मा ने यह भी कहा केन्द्र सरकार ने जम्मू में और कश्मीर घाटी में अनेक मेडिकल कॉलेज खोले हैं तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं जम्मू-कश्मीर को दी हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में सभी लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक की स्कूल फीस माफ कर दी गई है। मासिक धर्म स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, 89 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 951 बालिका विद्यालयों में सैनीटरी पैड से संबंधित मशीनें स्थापित की गई हैं और अगले दो माह तक 1482 स्कूलों में ऐसी और मशीनें स्थापित की जाएंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में 'बेटी है अनमोल' योजना लागू की गई है और विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली 10,000 लड़कियां इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि बहनों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, 'तेजस्विनी' योजना के माध्यम से 5,000 से अधिक युवा महिलाओं ने आवेदन किया है और 4668 इकाइयां मंजूर की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमिता पहल को प्रोत्साहित किया गया है और 'मुमकिन' योजना लागू की गई है और 'हर घर नल से जल' योजना से भी माताओं-बहनों को बहुत लाभ हुआ है। जम्मू-कश्मीर के सभी शिक्षण संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में माताओं और बहनों के लिए सीटें भी आरक्षित की गई हैं।

[4]चर्चा में भाग लेते हुए, श्री अधीर रंजन चौधरी (आईएनसी) ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह विधेयक दूसरी बार ला रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे और उसका राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में 3,000 किलोमीटर लंबा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है और पीओके को इसमें शामिल कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय

[4]चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य: सर्वश्री ए. राजा, कृपाल बालाजी तुमाने, कौशलेंद्र कुमार, भर्तृहरि महताब, मलूक नागर, अरविंद सावंत, गुरजीत सिंह औजला, हसनैन मसूदी, के. नवासखनी, एन.के. प्रेमचंद्रन, जामयांग सेरिंग नामग्याल, वैथीलिंगम वे., एडवोकेट ए.एम. आरिफ, डॉ. आलोक कुमार सुमन, डॉ. निशिकांत दुबे, प्रो. सौगत राय, श्रीमती चिंता अनुराधा, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्रीमती जसकौर मीणा।

परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के नवीनतम निष्कर्षों की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुपोषण का स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और 6 से 59 महीने की उम्र के बच्चों में एनीमिया का स्तर 2015-16 के 53.8 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 72.7 प्रतिशत हो गया है और 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 2015-16 के 48.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 65.9 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में प्रति लाख आबादी पर केवल 17 बेड हैं जो प्रति लाख आबादी पर 24 बेड के राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धारित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जम्मू-कश्मीर की आबादी में स्टाफ नर्सों का दूसरा सबसे कम अनुपात है। उन्होंने विधेयक का स्वागत किया।

चर्चा का उत्तर देते हुए, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं का उत्थान करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना है। इसमें दोनों विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक- तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान शामिल है और उन्होंने इसे पारित करने का आग्रह किया ।

उन्होंने प्राचीन भारतीय महिलाओं की सम्मानजनक सामाजिक स्थिति पर जोर दिया, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता तथा शिक्षा और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला । उन्होंने आगे कहा कि भारत की महिलाओं ने देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। माननीय मंत्री ने आगे कहा कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में लड़कियों का नामांकन वर्तमान में 43 प्रतिशत है, जो अमेरिका और जर्मनी से अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि हर साल 50 प्रतिशत महिलाएं सफलतापूर्वक चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं, जबकि भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलाएं होती हैं। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि चंद्रयान -3 मिशन के साथ-साथ इसरो के कई मिशनों में हासिल की गई सफलता में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है ।

महिलाओं की उन्नति के माध्यम से सामुदायिक प्रगति का आकलन करने के बाबा साहेब अंबेडकर के मत का उल्लेख करते हुए, माननीय मंत्री ने अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से जम्मू-कश्मीर में महिला-केंद्रित पहलों में सुधार पर प्रकाश डाला । जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के लिए किए गए कार्यों के संबंध में, माननीय मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 से पहले, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब

100 प्रतिशत महिलाएं विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधवा पेंशन के दायरे में 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग शामिल नहीं थे लेकिन अब वे पूरी तरह से शामिल कर लिए गए हैं और 100 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं के लिए केवल 6 वन-स्टॉप सेंटर थे, आज 20 हैं और कश्मीर पूरे देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाला डिस्ट्रिक्ट हब है। पहले इनकी संख्या शून्य थी, लेकिन अब 20 है और जिला विशेष महिला प्रकोष्ठ भी 20 हैं । उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं।

मंत्री महोदय ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि जब आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी, तो वे संघर्ष और प्रगति का युग देखेंगी और इस बात पर जोर दिया कि इसका केवल एक ही कारण है — माननीय प्रधानमंत्री मोदी का महिलाओं के प्रति सम्मान और उन्हें अवसर और अधिकार प्रदान करने का उनका प्रयास। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से महिलाओं को लाभ हुआ है एवं उन्होंने प्रगति की है और उनका भविष्य उज्ज्वल होना तय है। उन्होंने सभी सदस्यों से समर्थन करने और विधेयक पारित करने का अनुरोध किया ।

विधेयक पारित हुआ।

डाकघर विधेयक, 2023 (राज्य सभा द्वारा यथापारित): 13 दिसंबर 2023 को, रेल मंत्री; संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में डाकघर को डाक वितरण से सेवा वितरण में बदल दिया गया है और इसे बैंकिंग प्रणाली में बदल दिया गया है और इस बात की जानकारी दी कि डाकघर के माध्यम से पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था की गई है, और कुल्लू मुख्य डाकघर में पासपोर्ट कार्यालय सेवा केंद्र खुलने के साथ ही एक ही दिन में पासपोर्ट बन जाता है। इसी तरह ओडिशा के बोलांगीर जिले के आदर्शपारा के एक निवासी का पासपोर्ट बोलांगीर मुख्यालय में ही बन गया । उन्होंने आगे कहा कि डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग डाकघर के माध्यम से उस क्षेत्र से अपने हाथ से बने सामान या स्थानीय वस्तुओं का निर्यात आसानी से कर सकते हैं। अतः डाकघर को डाकघर से बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक देशवासियों को लाभ मिल चुका है। 2004 से 2014 के बीच करीब 660 डाकघर बंद हो चुके हैं। सरकार ने इस पूरे नेटवर्क को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी ली और इसे मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। सरकार ने 5000 नए डाकघर खोले हैं। हाल ही में 5,746 नए डाकघरों को भी स्वीकृति दी गई है।

डाक नेटवर्क में लगभग एक लाख अट्ठाईस हजार लोगों को नए रोजगार दिए गए हैं। इसी तरह, 13,500 डाकघरों में आधार सेवा केंद्र खोले गए हैं और 3 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं।

चर्चा शुरू करते हुए, डॉ. शशि थरूर (आईएनसी) ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के तहत नागरिकों को प्रदत्त वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए खुद को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। सरकार विधेयक के खंड 9 के माध्यम से ये शक्तियां ग्रहण करती है। इसके अतिरिक्त, खंड 9(3) के माध्यम से, सरकार पुनः एक साधारण अधिसूचना द्वारा डाकघर के किसी भी अधिकारी को किसी वस्तु को जब्त करने का अधिकार दे सकती है। उनका मत है कि यह विधेयक औपनिवेशिक युग के कानून की तुलना में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए कहीं अधिक हानिकारक है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ मायनों में, 1898 का अधिनियम कम निरंकुश था क्योंकि यद्यपि यह इंटरसेप्शन की अनुमति देता था, लेकिन इस विधेयक के विपरीत, उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत इंटरसेप्शन किया जा सकता है। वास्तव में, यह भी परिभाषित नहीं करके कि किस तरह की सामग्री और वस्तु डाक द्वारा नहीं भेजी जा सकती है, जो कि 1898 अधिनियम विहित करता है, सरकार ने भारतीयों को इस सामूहिक निगरानी के प्रयास के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने की कोशिश की है। भारतीयों को उनके पत्राचार और प्रेषित वस्तु को रोकने, हिरासत में लेने या नष्ट करने के मामले में अंधेरे में रखकर और उन्हें इन निर्णयों का विरोध करने की अनुमति न देकर सरकार ने प्राकृतिक न्याय के हर सिद्धांत और कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। आज हमारे देश में निजी कूरियर सेवाएं भारतीय डाक सेवा की तुलना में भारत के लोगों के प्रति कहीं अधिक जवाबदेह हैं। चूंकि 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे निजी कूरियर को जिम्मेदार मानता है, जबकि यह भारतीय डाक पर लागू नहीं होता है। भारतीय डाक के माध्यम से एक पत्र या पार्सल भेजने का अर्थ इसे एक ऐसे ब्लैक होल में फेंक देने जैसा है, जिसमें इस बात की कोई जवाबदेही नहीं है कि यह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। डाक कर्मियों को वस्तुओं के इंटरसेप्शन से संबंधित दायित्व से छूट देना एक अलग बात होती।

उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक उन्हें नुकसान, गलत वितरण, देरी या क्षति जैसी गंभीर गलतियों के लिए उत्तरदायी नहीं मानता है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और इस कानून के अंतर्गत, यदि वे वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गये हों, गलत तरीके से भेजा गया हो, या चोरी

किया गया हो, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके अलावा, यह देखते हुए कि इंडिया पोस्ट अपने पोर्टफोलियो में वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की एक श्रृंखला जोड़ने की योजना बना रहा है, यह अनिवार्य है कि विशेष रूप से ऐसी सेवाएँ प्रदान करते समय जहाँ नागरिकों का संवेदनशील डेटा शामिल है, कि हम अपने उपभोक्ताओं और अपने नागरिकों को धोखाधड़ी, डेटा लीक और इसी तरह के उल्लंघनों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ें। शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति में, नागरिकों के पास हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार न्यायालयों में जाकर न्याय पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और इससे हमारी पहले से ही बोझ से दबी न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या और बढ़ जाएगी। 1898 का भारतीय डाकघर अधिनियम, जो कि एक औपनिवेशिक कानून था, इस नए कानून की तुलना में भारतीय लोगों के प्रति कहीं अधिक जवाबदेह था। यदि कोई अधिकारी वास्तव में जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो 1898 के विधेयक के विपरीत, इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे क्या सज़ा दी जाएगी। डाक सुविधाओं के पूर्ण डिजिटल सुधार के बिना, डाकघरों का अस्तित्व बनाए रखना भी संभव नहीं है। श्री थरूर का मत था कि यदि इस विधेयक में भारतीय डाक को ई-कॉमर्स, ई-गवर्नमेंट और ई-वित्त सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, तो सरकार को इसके तीव्र डिजिटलीकरण और विविधीकरण की ओर बढ़ना चाहिए, और एक सरल कदम एन्क्रिप्टेड, डिजिटल पोस्टबॉक्स सेवा की शुरुआत करना है, जो कि भारतीय डाक ई-मेल सेवा की तरह है, जिससे भारतीयों के डाक संबंधी खर्चों में काफी कमी लाएगा। उन्होंने यह कहते हुए चर्चा का समापन किया कि उन्हें दस्तावेज़ अपलोड करने और संग्रहित करने तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं और अनुस्मारक प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए।

[5]चर्चा में भाग लेते हुए श्री तापिर गाव (भाजपा) ने कहा कि सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने वर्ष 2014 से 2023 तक 5,000 नए डाकघर खोले हैं। इन डाकघरों के माध्यम से सुदूर एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित गांवों में डाक संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज की स्थिति के अनुसार भारत में डाकघर बचत बैंक में 28 करोड़ खाते खोले गए हैं और उन खातों में 17 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इसके माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 3 करोड़ खाते खोले गए हैं और 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। डाक सेवा नागरिक केंद्रित है। अभी तक में देश में 434 पासपोर्ट सेवा केंद्र

[5]चर्चा में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति: सर्वश्री भोला सिंह, प्रतापराव जाधव, रामशिरोमणि वर्मा और डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती।

खोले गए हैं, जिनमें 1 करोड़ 25 लाख आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इसके अंतर्गत आधार नामांकन के लिए कुल 13,500 केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि डाक विभाग ने 1.54 लाख एक्सेस प्वाइंट के साथ 650 शाखाएं खोली हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंकों में 8 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं और इनमें 8,800 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। इसके साथ ही, देश में आधार के माध्यम से की जाने वाली भुगतान प्रणाली (आधार इनेबल्ड पेमेंट्स) में 10 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है और 3.5 करोड़ डीबीटी खाते खोले गए हैं। इस डाक सेवा से दूर-दराज के गांवों और हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों और हमारे देशवासियों सहित कई लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त की कि इस डाक सेवा के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र के दूर-दराज के गांवों में भी डाक सेवा खाते खोले जाने चाहिए ताकि गरीब लोग भी सारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।

चर्चा का उत्तर देते हुए, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि 170 साल पुराना यह विभाग देश के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा है और सरकार लगभग 1 लाख 64 हजार डाकघरों के माध्यम से हर गांव, हर घर और हर व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाएं पहुंचा रही है और अंत्योदय के संबंध में डाक विभाग की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवा शुरू होने के बाद विभाग ने गांव-गांव में जीवन बीमा और सामान्य बीमा उपलब्ध कराने और महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए काफी काम किया है। मंत्री महोदय ने जानकारी दी कि विभाग ने अब तक 'सुकन्या समृद्धि योजना' के अंतर्गत तीन करोड़ खाते खोलकर बचत खातों में 1,41,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं। मंत्री महोदय ने आगे बताया कि विभाग ने 1,28,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, 400 से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं और आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं शुरू की गई हैं और 28 करोड़ से अधिक लाभार्थी डीबीटी के माध्यम से डाक विभाग से लाभ उठा रहे हैं और 150 से अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाओं में से 90 से अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाएं अकेले इस विभाग द्वारा देश को प्रदान की जाती हैं। उन्होंने यह कहते हुए अपना संभाषण समाप्त किया कि आने वाले समय में यह विधेयक देश के हित में बहुत परिवर्तनकारी साबित होगा।

विधेयक पारित हुआ।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023: 19 दिसंबर, 2023 को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने विधेयक को विचार के लिए प्रस्तुत किया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, डॉ. तालारी रंगैया (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता को अंगीकार करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 से एक महत्वपूर्ण बदलाव का द्योतक है, जो अधिक एकीकृत, न्यायसंगत, उत्तरदायी कानूनी ढांचा तैयार करता है और जो वर्तमान चिंताओं और बढ़ते सामाजिक मानकों को रेखांकिक करता है। उन्होंने आगे बताया यह विधेयक आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और साइबर अपराध जैसी आज की गंभीर चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है। इस विधेयक में भारत के बाहर किए गए देश और उसके नागरिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए 'आतंकवादी कृत्यों' के दायरे का विस्तार किया गया है। यह इन बढ़ते खतरों के विरुद्ध कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए कानूनी खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। यह विधायी परिवर्तन एक न्यायिक प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ठोस कदम है जो अनुकूलनीय, न्यायसंगत और प्रत्येक नागरिक के अधिकार और सुरक्षा की रक्षा करने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के प्रावधान निष्पक्षता, औचित्य और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सामूहिक इच्छा को प्रतिध्वनित करते हैं। इस विधेयक में उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्वीकार करते हुए, उनका मत है कि गलत तरीके से हिरासत में लिए गए या आरोपी व्यक्तियों के लिए मुआवज़ा और निवारण सुनिश्चित करने के उपायों की समर्थन करना आवश्यक है। गवाहों की सुरक्षा के बेहतर उपायों के संबंध में, गवाहों की गवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान संभावित रूप से गवाह सुरक्षा को बढ़ाता है और रिकॉर्ड किए गए बयानों की सटीकता को बढ़ाता है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों और वकीलों को नई प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और कानूनी मामलों में भ्रम और असंगति से बचने के लिए कानून की सटीक व्याख्या करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह उल्लेख करते हुए कि यह विधेयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के दायरे को बढ़ाता है और मूल अधिनियम से कुछ औपनिवेशिक संदर्भों को हटाता है, उन्होंने कहा कि पुलिस जांच की प्रभावशीलता बढ़ाने और मामले के समाधान में तेज़ी लाने के लिए, पुलिस स्टेशनों को अतिरिक्त फोरेंसिक संसाधनों, अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों और समर्पित जांच विंग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होती है। साक्ष्य संग्रह में फोरेंसिक तकनीकों का उपयोग विशेष रुप से हत्या, यौन उत्पीड़न और चोरी तथा सेंध-मारी जैसे गंभीर अपराधों में मजबूत मामला बनाने में महत्वपूर्ण है। यह बताते हुए कहा कि हत्या,

यौन उत्पीड़न, अपहरण और मानव तस्करी सहित मानव-तस्करों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों में भारत में दोष सिद्धि दर के कम होने का एक प्रमुख कारण सबूतों की कमी, तथा विशेष प्रशिक्षण में भी काफी कमी है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने आपराधिक जांच के हर चरण में फोरेंसिक विज्ञान में विशेषज्ञता वाले कर्मियों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया है।

[6]चर्चा में भाग लेते हुए, श्री रविशंकर प्रसाद (भाजपा) ने कहा कि भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय दण्ड संहिता में शास्ति पर बल दिया गया था परन्तु भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर बल दिया गया है। वर्ष 1860 में भारतीय दण्ड संहिता, वर्ष 1872 में साक्ष्य अधिनियम और वर्ष 1882 में दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1973 में दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुसार तीनों संहिताओं में संशोधन करने हेतु सुविचारित प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय संहिता और शेष दो कानूनों में बदलाव हेतु सरकार द्वारा अत्यधिक संवाद किया गया है। विद्वानों, न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों, कानून के प्रोफेसरों आदि सबसे परामर्श किया गया और माननीय गृह मंत्री स्वयं इस संबंध में 158 परामर्शों में उपस्थित रहे। उन्होंने आगे कहा कि पुरानी दंड संहिता में 511 प्रावधान थे और नई दण्ड संहिता में 356 प्रावधान होंगे; 175 अनुभागों को पूरी तरह से बदल दिया गया है, 8 नए खंड जोड़े गए हैं; 22 धाराओं का निरसन कर दिया गया है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता की सीआरपीसी में अब 533 उपबंध होंगे। प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इस

[6]चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य: सर्वश्री गजानन कीर्तिकर, भर्तृहरि महताब, विष्णु दयाल राम, प्रिंस राज, तेजस्वी सूर्या, पी.पी. चौधरी, दिलीप सैकिया, गणेश सिंह, राम कृपाल यादव, जगदंबिका पाल, प्रताप चंद्र सारंगी, असादुद्दीन ओवैसी, रमेश बिधूड़ी, राजीव प्रताप रूडी, लावू श्री कृष्णा देवरायालु, जुगल किशोर शर्मा, जामयांग शेरिंग नामग्याल, डॉ. सत्यपाल सिंह, डॉ. निशिकांत दुबे, डॉ. जयंत कुमार रॉय, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, कुमारी चन्द्राणी मुर्मू, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सरदार सिमरनजीत सिंह मान, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, श्रीमती जसकौर मीना, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती पूनम महाजन, श्रीमती हेमामालिनी और सुश्री सुनीता दुग्गल।

पूरे मामले में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम प्रौद्योगिकी का सदुपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि अब पूरा विचारण और प्रतिपृछा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से हो पाएगी तथा एफआईआर, मुकद्दमा दर्ज करना एवं चार्जशीट से निर्णय तक सभी को डिजिटल करने का प्रावधान किया गया है। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी होना आवश्यक है और बिना वीडियो रिकार्डिंग के किसी भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा। यह पारदर्शिता को स्थापित करता है। संक्षिप्त विचारण के प्रावधानों में परिवर्तन से अपर जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों की अदालतों में लंबित हजारों मामलों को सीधे निचली अदालतों में स्थानांतरित किया जा सकेगा, यह एक अभिनव विचार है। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक में प्रावधान है कि एक निश्चित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर होने के पश्चात, मामले की सुनवाई की जाएगी और सुनवाई के 30 दिनों के अंदर निर्णय देना होगा जिसे सात दिनों में अपलोड करना होगा। इन विधेयकों में मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग को अलग से अपराध बनाया गया है और इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। आतंकवाद को यहां बहुत विस्तार से परिभाषित किया गया है। श्री प्रसाद ने चर्चा समाप्त करते हुए कहा कि छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की अवधारणा शुरू करना एक बहुत ही अभिनव विचार है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह प्रावधान बहुत से लोगों को सुधार करने का अच्छा अवसर प्रदान करेगा।

चर्चा का उत्तर देते हुए, गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्दर आत्मा डालने का प्रयास किया गया है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि यहां पहले दंड केन्द्रित सोच वाले कानून थे और अब पीड़ित केन्द्रित न्याय का उद्भव होने जा रहा है। न्याय को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रक्रिया के माध्यम से साकार किया गया है। उन्होंने सूचित किया कि इसे लागू करने हेतु निष्पक्ष, समयबद्ध और साक्ष्य आधारित त्वरित परीक्षण किया जायेगा तथा इससे न्यायालय तथा जेल का बोझ कम होने वाला है एवं सजा दर में भी वृद्धि होने वाली है। कई मामलों में पुलिस की जवाबदेही तय की गई है। अब यह तय किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना हर पुलिस स्टेशन में रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है और जीरो एफआईआर को प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय पीड़ित की अनुमित के बिना और उसके पक्ष को सुने बिना केवल राज्य के कहने पर मुकद्दमें को वापिस नहीं लिया जा सकता है । मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि संगठित अपराध को भी पहली बार परिभाषित किया गया है। इससे पूर्व इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। उन्होंने यह

भी कहा कि सरकार भीड़ द्वारा हत्या के संबंध में नया प्रावधान लेकर आई है और बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को सात दिन के अंदर पुलिस थाने को और न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से भेजने का प्रावधान भी किया गया। इससे पहले चार्जशीट दाखिल करने का कोई समय निर्धारित नहीं था, परन्तु अब चार्जशीट को 180 दिन के पश्चात लम्बित नहीं रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के संबंध में भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा साक्ष्य, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके जांच की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु और 90 प्रतिशत दोषसिद्धि दर को लक्षित करने हेतु सरकार द्वारा उन सभी अपराधों में जिनमें सजा सात वर्ष से अधिक है, एफएसएल टीम का दौरा अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। सरकार एक नई गवाह संरक्षण योजना भी लेकर आई है। प्रत्येक राज्य को इसे घोषित करना होगा। मंत्री महोदय ने यह आश्वस्त किया कि संपूर्ण देश में स्थित सभी पुलिस थानों में इसे लागू किए जाने की स्थिति में हमारी न्यायिक प्रणाली विश्व में एक अति-आधुनिक न्यायिक प्रणाली बन जाएगी। आईसीजेएस के अंतर्गत फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, पुलिस स्टेशनों, गृह मामलों के विभाग, लोक अभियोजक के कार्यालयों, जेलों और न्यायालयों को एक ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन करने का कार्य अंतिम चरण में है। इसके माध्यम से न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए बड़ी राहत होगी और न्याय जल्दी से मिलेगा। स्मार्टफोन, लैपटॉप, संदेश, वेबसाइट और स्थानीय साक्ष्य को साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। मंत्री महोदय ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश होने की अनुमति और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता और इसके प्रवर्तन की पूरी प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।

विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023: 19 दिसम्बर, 2023 को वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि केन्द्रीय कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 अर्थात् सीजीएसटी अधिनियम, सीजीटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का उपबंध करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलीय प्राधिकरण पहला मंच है जहां जीएसटी मुकद्दमा प्रक्रिया राज्य में ही अभिसरित हो जाती है अर्थात् केंद्र और राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा पारित अपीलीय आदेश उसी अपीलीय मंच का हिस्सा बन जाते है। जहां तक जीएसटी

अपीलीय अधिकरण का संबंध है, न्यायपीठों को अधिसूचित किया गया था, परन्तु इसे उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 109 और 110 को खारिज कर दिया। अगस्त 2021 में, अधिकरण सुधार अधिनियम लागू किया गया था, जिसके द्वारा विभिन्न न्यायाधिकरणों के लिए योग्यता और चयन प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए, सीजीएसटी अधिनियम को 2023 के वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें उक्त संशोधित जीएसटी अपीलीय अधिकरण में एक प्रधान न्यायपीठ और विभिन्न राज्य न्यायपीठें होंगी, जिन्हें अधिसूचित किया जाना है। प्रधान न्यायपीठ में एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य जो केंद्र से संबंधित है, और राज्य का एक तकनीकी सदस्य होगा। राज्य की न्यायपीठों में दो न्यायिक सदस्य, केंद्र का एक तकनीकी सदस्य और राज्य का एक तकनीकी सदस्य होगा। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 और 110 के प्रावधान, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

चर्चा आरंभ करते हुए, डॉ. निशिकांत दुबे (बीजेपी) ने कहा कि 37 ऐसे कर हैं जिनका विलय किया गया है। इसलिए जब उपभोक्ता तक सामान पहुंचता है तो सस्ते में पहुंचता है और इसी कारण हमारी जीडीपी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दूसरा विधान है, जिसके लिए धारा 109 और 110 को संशोधित करने की बात कही गई। जीएसटी का दूसरा अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया गया है जो और भी महत्वपूर्ण है। टैक्स का मुकद्दमा इतना बड़ा होता है कि जब अपीलीय प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के पश्चात् मामला उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाता है तो अनावश्यक विलम्ब होता है और इस विलम्ब की वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती है। भारत सरकार ने इसके माध्यम से बढ़िया काम किया कि एक तो न्यायाधिकरण को न्यायाधिकरण अधिनियम में ले आए। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान जज के नेतृत्व में समिति का गठन किया जाएगा और वह समिति तय करेगी कि किसका अध्यक्ष होगा और सदस्य कौन होगा। जिनको कर के संबंध में प्राधिकरण है और दस वर्ष का अनुभव है तो वे भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। इससे निर्णय बहुत आसानी से होगा और उच्च न्यायालय में मुकद्दमा फंसता है, वह कम होगा। लगभग 14000 से ऊपर मामलें लंबित हैं। इन सब मामलों को खत्म करने के लिए भारत सरकार व्यापक परिणामों वाला विधेयक लेकर आई है।

[7]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी (बीजद) ने कहा कि पिछले छह वर्षों में जीएसटी ने पूरे देश में एक समान प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन सरलीकरण सुनिश्चित किया है। लेकिन अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व की हानि के लिए पूर्ण मुआवजे में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है। महामारी के कारण राज्यों के राजस्व में भारी गिरावट आई है। उन्होंने सरकार से राज्यों को लंबित जीएसटी मुआवजे को समय पर जारी करने का आग्रह किया। केंद्र की नवंबर 2021 की अधिसूचना में 1000 रुपये से अधिक के मूल्य वर्ग वाली वस्तुओं के लिए कई वस्त्रों और परिधानों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है, जो हथकरघा क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने सरकार से सभी वस्त्रों और परिधान उत्पादों पर पांच प्रतिशत जीएसटी के प्रस्ताव पर विचार करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए दांव के पूर्ण-अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया है, और महसूस किया कि यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या संशोधन स्पष्टीकरण है और इसलिए, इसका भूतलक्षी अनुप्रयोग है, अथवा क्या इसे 1 अक्तूबर, 2023 के बाद ही प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह पिछली अवधि की देनदारियों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे और मझोले व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने महसूस किया कि कर दरों को सरल बनाने से एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, आयात प्रतिस्पर्धी बनेगा और निर्यात संभावनाओं में सुधार होगा । उन्होंने केंदू के पत्तों पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंदू के पत्तों पर केंद्रीय कर शून्य था। केंद्र सरकार को इस मामले को जीएसटी परिषद में रखना चाहिए और दर को संशोधित कर पांच फीसदी कर देना चाहिए। लोक लेखा समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में केंद्र से अस्पतालों और अनुसंधान संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आयातित दवा उत्पादों के लिए जीएसटी छूट प्रदान करने के लिए कहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है जहां तत्काल सुधारों की आवश्यकता है।

चर्चा का उत्तर देते हुए, वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी पोर्टल के कई उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही गड़बड़ियों या कठिनाइयों

---

[7]**चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** सर्वश्री धैर्यशील संभाजीराव माने, शंकर लालवानी और लावू श्रीकृष्णा देवरायालु।

को उठाया गया है। इंदौर के एक सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे को संबोधित करते हुए, जिन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश में भोपाल के लिए केवल एक ट्रिब्यूनल की घोषणा की गई है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को वन प्लस वन ट्रिब्यूनल मिलने जा रहा है। दूसरा इंदौर में स्थित हो सकता है या होगा। उन्होंने तेंदू पत्ते के लिए जीएसटी दरों के विषय के बारे में कहा कि विचारों की कोई सर्वसम्मति नहीं थी इसलिए सरकार किसी भी निर्णय पर पहुंचने में सक्षम नहीं है जो ओडिशा चाहता है। भूतलक्षी प्रभाव से ऑनलाइन गेमिंग पर संभावित प्रभाव से कराधान के मुद्दे के बारे में मंत्री ने कहा कि उस लेवी पर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था और उसके अनुसार 28 प्रतिशत कर है, और कहा कि यह किस पर लागू होगा और किस पर यह प्रभाव पड़ेगा, यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है। आंध्र प्रदेश के सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में जीएसटी के अंतर्गत एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। एमएसएमई के समक्ष आने वाले मुद्दों पर, उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जीएसटी परिषद और केंद्रीय स्तर पर जीएसटी भी विभिन्न एमएसएमई समूहों के साथ बातचीत करते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ परिषद की टीम ने बैठकर उनके मुद्दों को सुलझाया है, उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम हैं जिन पर एमएसएमई का पैसा बकाया है। मंत्री जी ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि सभी मंत्री इस बात पर बहुत ध्यान से विचार कर रहे हैं कि विलंब 45 दिनों से अधिक न हो और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम अधिकांशतः अब बेहतर ढंग से इसका पालन करते हैं।

विधेयक पारित हुआ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023: 19 दिसंबर, 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ-साथ एक बड़ा महानगरीय शहर भी है और जहां तक आर्थिक कार्यकलापों का संबंध है, यह विकास के प्रमुख घटकों में से एक है। पिछले कुछ समय से दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों, अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों, टियर-II और टियर-III शहरों से बड़ी संख्या में आबादी का आगमन हुआ है, बड़ी मात्रा में अनधिकृत निर्माण गतिविधियां हुई हैं, अतिक्रमण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 2006 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सीलिंग और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 अक्तूबर, 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और पीएम उदय योजना शुरू की

गई, लेकिन इसके तुरंत बाद हमें महामारी का सामना करना पड़ा। पंजीकरण के लिए लगभग 1,17,340 परिवारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 20,881 परिवारों को प्राधिकार पर्ची/हस्तांतरण विलेख जारी किए गए हैं। इसलिए, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ने इस कानून के अंतर्गत संरक्षण को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने की आवश्यकता बताई। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्यथा, दिल्ली की जो आबादी असुरक्षित है, उसके विरुद्ध सीलिंग, अतिक्रमण हटाने और विस्थापन की कार्रवाई की जा सकती है । इसके अलावा, उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान 2041 को अधिसूचित करने का अंतिम चरण आ चुका है और डीडीए और एमसीडी को भी अतिक्रमण और अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या से निपटने के लिए मानदंडों और नीतिगत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने संबंधी उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। यह सूचित करते हुए कि उनका मंत्रालय 2011 अधिनियम के अंतर्गत हुई प्रगति और विभिन्न कार्यों की निगरानी के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है, उन्होंने इस संरक्षण को और तीन साल अर्थात 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने के लिए सदन की स्वीकृति मांगी।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, श्री रमेश बिधूड़ी (भाजपा) ने कहा कि प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराने के बाद मालिकाना हक ले लिया है। केंद्र सरकार ने पिछले ढाई से तीन वर्षों में दिल्ली के विकास के लिए निगम और डीडीए के माध्यम से लगभग एक लाख हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 61 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है, जिससे पिछले सात वर्षों में राजधानी दिल्ली में 28,526 लोगों को खुले में शौच से बचाने के लिए शौचालयों का निर्माण कराया गया है। 107 वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लांट्स लगाने का काम केंद्र सरकार की इस योजना से डीडीए और एमसीडी के माध्यम से हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है कि वर्ष 2027 तक देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास एक घर होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 692 करोड़ रुपये के आवास ऋण पर सब्सिडी प्रदान की गई है और दिल्ली में 29,976 परिवारों को 2.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिली है।

[8]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री राहुल रमेश शेवाले (एसएस) ने कहा कि यह विधेयक अनधिकृत निर्माण के संरक्षण के प्रावधान की वैधता को और 3 वर्ष की अवधि के लिए

---

[8]**चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा

बढ़ाने का प्रावधान करता है। पिछले कई वर्षों में दिल्ली में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण आवास, वाणिज्यिक स्थान और अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग में वृद्धि हुई है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 700 एकड़ में झुग्गियां फैली हैं और उनमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में लगभग 90 प्रतिशत झुग्गियां अनियमित कॉलोनियों के रूप में सरकारी भूमि पर हैं। सस्ते शहरी आवास की बढ़ती मांग और अपर्याप्त आपूर्ति ने मलिन बस्तियों को प्रोत्साहित किया है। पिछली सरकारें शहरी गरीब झुग्गीवासियों को उनके द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं में शामिल करने में असफल रही हैं। यह देखते हुए कि प्रस्तावित तीन साल के विस्तार से संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत मिली है, उन्होंने कहा कि व्यापार संगठन लंबे समय से केंद्र सरकार से इसकी मांग कर रहे थे। उनका विचार था कि यह विधेयक शहर में किसी भी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करेगा जब तक कि सरकार दिल्ली का मास्टर प्लान नहीं लाती है जो मलिन बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों, फार्म हाउसों और ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। उनका विचार था कि यह विधेयक शहर में किसी भी कार्रवाई से उस समय तक सुरक्षा प्रदान करेगा, जब तक कि सरकार दिल्ली का मास्टर प्लान लेकर आएगी जो झुग्गियों, अनधिकृत कॉलोनियों, फार्म हाउसों और ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के प्रावधान के लिए एक रूपरेखा की व्यवस्था करेगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए कि विदेशी घुसपैठियों को झुग्गी-झोपड़ियों में बसाना एक बड़ी समस्या है, उन्होंने नोट किया कि इस समस्या से निदान पाने के लिए विदेशी घुसपैठियों की पहचान करना भी बहुत जरूरी है और उन्होंने सरकार से इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया।

चर्चा का उत्तर देते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इससे वे लोग प्रभावित होंगे जो तथाकथित अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं, जिनके लिए पहले ही *मालिकाना हक, जहां झुग्गी वहीं मकान* का प्रावधान किया जा चुका है। एक अन्य मुद्दा पुरानी विकसित कॉलोनियों का शहरी रुप में उत्थान किए जाने से संबंधित था। आज दिल्ली की जनसंख्या करीब ढाई करोड़ है। करीब ढाई करोड़ की आबादी में से करीब 40 लाख लोगों को *मालिकाना हक* से लाभ मिलेगा। इसके बाद *जहां झुग्गी वहीं मकान* से करीब 10 लाख लोगों को लाभ होगा। और जब लैंड पुलिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा तो इसके अंतर्गत 138 सेक्टरों में करीब 20,000 हेक्टेयर भूमि कवर होगी और इससे 70 लाख अन्य लोग लाभान्वित होंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि दिल्ली न केवल एक महानगर है जिसकी आबादी बढ़ रही है तथा जिसका आर्थिक विकास हो रहा है बल्कि वास्तव में

इसका पुनर्विकास भी हो रहा है इसलिए इन योजनाओं से करीब 1.20 करोड़ लोगों को लाभ होगा। सेंट्रल विस्टा, भारत मंडपम और यशोभूमि जैसी कई परियोजनाएँ शुरू हुई हैं और अगर आप चारों ओर देखें तो बड़े पैमाने पर पुनर्विकास हो रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस विधेयक में विशेष रूप से अगले तीन वर्षों के लिए विस्तार किए जाने का प्रावधान किया गया है और यह विस्तार उन्हें नीतिगत मामलों पर व्यापक विचार-विमर्श करने और अनधिकृत कॉलोनियों के व्यवस्थित विकास पर मार्गदर्शन करने के लिए अतिरिक्त समय और लचीलापन प्रदान करेगा। यह जानकारी देते हुए कि मास्टर प्लान अपने अंतिम चरण में है और उन्होंने इस नीति को तैयार करने में अच्छी खासी पहल कर ली है और अब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के नागरिकों, सभी पक्षों, जो वहां रहते हैं, किसान भाई जो भूमि के मालिक हैं तथा अन्य सभी को पर्याप्त लाभ प्राप्त होंगे।

विधेयक पारित हुआ।

दूरसंचार विधेयक, 2023: 20 दिसंबर, 2023 को रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता के दूरगामी परिणामों वाले तीन अधिनियमों को निरस्त करके भारत की संस्कृति और संविधान के अनुसार नए विधेयक पुरःस्थापित किए गए हैं। इसको ज्ञान में रखते हुए इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम को निरस्त करके आज की अर्थव्यवस्था और भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुसार एक नया विधेयक पेश किया गया है, जो इस डिजिटल युग का एक बड़ा प्रवर्तक है। पिछले साढ़े नौ वर्षों में डिजिटल इंडिया की एक क्रांति आई है, जिसने देश के लोगों के मन और जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। दुनिया में सबसे तेज 5-जी की शुरुआत भारत में हुई है। दूरसंचार क्षेत्र एक बहुत अच्छे उभरते हुए क्षेत्र के रूप में है, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त प्रगति लाता है।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, डॉ. संजीव कुमार सिंगारी (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि विधेयक में भारतीय तार अधिनियम, 1885; भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933; तारयंत्र संबंधी तार (विधि-विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 जैसे पुराने अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। विधेयक में एक महत्वपूर्ण नियामक बदलाव, लाइसेंस को प्राधिकार में बदलना है। उन्होंने कहा कि विधेयक में एक सकारात्मक बात राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संचार प्रणालियों का अवरोधन (इंटरसेप्शन) है। दूसरी सकारात्मक बात साइबर हमलों और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा है। इस विधेयक में

नागरिक सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। विधेयक की एक और सकारात्मक विशेषता *डिजिटल भारत निधि* नामक संशोधित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, जिससे बिना सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए अनुसंधान, विकास, पायलट परियोजनाओं और नए बुनियादी ढांचे को खड़ा करने का प्रस्ताव है। विधेयक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकार को उपभोक्ताओं के हित में प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि को माफ करने और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का अधिकार देना है। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण डिजिटल डिवाइड पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डिजिटल कनेक्टिविटी निस्संदेह समय की मांग है। इससे सरकारी योजनाओं में अनियमितताएं रोकी जा सकती हैं और त्वरित सेवाएं दी जा सकती हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह आंध्र प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर डिजिटल कनेक्टिविटी स्थापित करने का ध्यान रखे। यह ग्राम सचिवालय प्रणाली और स्वयंसेवी सेवा प्रणाली बहुत ही अनुकरणीय है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। हमारे जैसे विविधता वाले देश के लिए क्षेत्रीय भाषा को लाना भी आवश्यक है। साइबर सुरक्षा, नेटवर्क रखरखाव और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में क्षमता-निर्माण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। बीएसएनएल में रिक्त पदों को भरने पर ध्यान देना चाहिए। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए, विधेयक भारत के दूरसंचार परिदृश्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता है।

[9]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री जयंत सिन्हा (भाजपा) ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में नौ प्रतिशत का योगदान देता है। इस सेक्टर में आज लगभग 40 लाख लोग कार्यरत हैं। वर्तमान में 118 करोड़ लोग दूरसंचार सेवा के उपभोक्ता हैं। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में क्रांति आई है। इंटरनेट की स्पीड अब 40, 50 या 75 मेगाबाइट प्रति सेकंड हो गई है, जो पहले 1.3 मेगाबाइट प्रति सेकंड हुआ करती थी। अच्छी कनेक्टिविटी मिलने से आज हम लोगों को दूरसंचार के द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं। ढांचागत सुधार से हमारे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति होने वाली है। स्पेक्ट्रम में सुधार हुआ है। अब स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से ही किया जाएगा। एक और ढांचागत सुधार दूरसंचार से जुड़ी सुरक्षा और नेटवर्क की सुरक्षा के बारे में है। अब बायोमेट्रिक पहचान और प्रमाणन के

[9]**चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** सर्वश्री भर्तृहरि महताब और श्रीरंग अप्पा बारणे।

बाद ही सिम कार्ड जारी किए जाएंगे। विवादों से संबंधित निपटारों का बहुत अच्छा ढांचागत सुधार भी लागू किया गया है।

चर्चा का उत्तर देते हुए रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक में प्रमुख सुधार प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में है। धोखाधड़ी से प्राप्त की गई सिम लेने के मामले में बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार सम्मिलित करके जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश के माध्यम से राइट-ऑफ-वे सुधार लाया गया है। इस विधेयक में लाइसेंस का सुधार और स्पेक्ट्रम सुधार है, तथा डिजिटल बाय-डिजाइन चार-स्तरीय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ढांचा बनाया गया है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के मानक साइबर सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया गया है, तथा संवैधानिक अनुच्छेदों के अनुसार किए जाने वाले इंटरसेप्शन के लिए वही प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है और उसी तरह से संतुलन स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। आगे जानकारी दी कि डिजिटल इंडिया कोष के माध्यम से नई तकनीक और नए उत्पाद विकसित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी और नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनेक विनियामकों की व्यवस्था होगी और अंत में, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह बहुत बड़ा उद्योग है। इस विधेयक में उल्लिखित तकनीकी और प्रशासनिक कारण बहुत विशिष्ट और अस्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। पावर ग्रिड, मेट्रो और रेलवे जैसी सार्वजनिक सुविधाएं जनहित में दी जाती हैं और भविष्य में भी प्रशासनिक दृष्टि से दी जाएंगी। जिन जगहों पर तकनीकी कारणों से स्पेक्ट्रम की नीलामी संभव नहीं है, वहां प्रशासनिक रूप से सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यह व्यवस्था इस विधेयक के माध्यम से लायी जा रही है। इससे बहुत सारी याचिकाएं भी दायर नहीं होंगी। स्पेक्ट्रम के कुछ बड़े सुधार भी लाए जा रहे हैं। इससे पूरे स्पेक्ट्रम में लचीलापन आएगा और विकास की नई गति आएगी।

यथासंशोधित विधेयक पारित हुआ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा पदावधि) विधेयक, 2023 (राज्य सभा द्वारा यथापारित): 21 दिसंबर, 2023 को विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कुछ कानूनों को अधिनियमित करने

की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जैसा कि संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पना की गई थी।

यह नोट करते हुए उन्होंने कहा कि कई वर्ष बीत गये है परन्तु इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून नहीं होने की वजह से उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा इस संबंध में कानून बनाए जाने तक एक काम चलाऊ व्यवस्था की गई थी। इसलिए सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक लेकर आई है जिसे राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि इस विधेयक में एक आधिकारिक संशोधन खंड छह से संबंधित था। मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले खोजबीन समिति की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के एक सचिव द्वारा की जाती थी परन्तु इस आधिकारिक संशोधन के माध्यम से उस खोजबीन समिति की अध्यक्षता अब विधि मंत्री द्वारा की जायेगी और दो सचिव उसके सदस्य होंगे। इसके पश्चात् चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। सरकार द्वारा विधेयक के खंड 10 में एक आधिकारिक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है और इस संशोधन के अंतर्गत उनका वेतन एवं भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होंगे। उन्होंने आगे यह भी बताया कि खंड पंद्रह में एक आधिकारिक संशोधन किया गया है कि माननीय राष्ट्रपति द्वारा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करने हेतु नियमों को अधिसूचित किया जायेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को यह सुरक्षा प्रदान की गई है कि उनकी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई संपादित किये जाने के प्रकरणों में उन पर न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

चर्चा आरंभ करते हुए, श्रीमती चिंता अनुराधा (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य यह उपबंध करना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष का नेता या लोक सभा में बड़े विपक्षी दल का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। विधेयक में खोजबीन समिति का भी उपबंध किया गया है, जिसके द्वारा चयन समिति के विचार के लिए पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करना और चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सुरक्षित करना है।

[10]चर्चा में भाग लेते हुए, श्री भर्तृहरि महताब (बीजेडी) ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 1950 के दशक में किया गया था, परन्तु वर्ष 1991 में संसद द्वारा पहली बार इस संबंध में कानून बनाया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और ऐसे चुनाव आयुक्त शामिल होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाएंगे। संसद द्वारा तब चुनाव आयोग अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के वेतन को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्तर पर निर्धारित किया गया था। परन्तु, इसमें उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया था। मार्च, 2023 में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उनकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने एक चयन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया, तो तब तक जारी रहेगी जब तक कि संसद इस संबंध में कानून नहीं बना लेती। न्यायालय द्वारा निर्देश दिया कि उनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए और उक्त चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। श्री भर्तृहरि महताब ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से इसमें सुधार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक में एक चयन समिति का प्रावधान किया गया है, परन्तु भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर इसमें प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित एक कैबिनेट मंत्री का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से तटस्थ रही हैं। अधिकांश मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपने दायित्वों के प्रति दृढ़ता के साथ न्याय किया है। श्री महताब ने चर्चा समाप्त करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने 70 से अधिक वर्षों तक सभी राष्ट्रीय चुनावों को ईमानदारी से संपन्न कराया है और इसने देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को कलंकित नहीं होने दिया है।

चर्चा का उत्तर देते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री; संसदीय कार्य कार्यालय में राज्य मंत्री; संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब इस बात पर चर्चा हुई थी कि देश में चुनाव कैसे होंगे और इसके पश्चात संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 324 बनाया था। परन्तु अनुच्छेद 324(2) में एक प्रावधान

---

[10]चर्चा के दौरान भाग लेने वाले अन्य गण्यमान्य: सर्वश्री राहुल रमेश शेवाले, शंकर लालवानी, संजय सेठ, असादुद्दीन ओवैसी, जयदेव गल्ला, सुधीर गुप्ता, दिलीप घोष, राजीव प्रताप रूडी, डॉ. संजय जायसवाल और डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी।

किया गया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए संसद अधिनियम बनाएगी। वर्ष 1991 में इस संबंध में एक अधिनियम अधिनियमित किया गया, परन्तु उसमें नियुक्ति संबंधी प्रावधान शामिल नहीं किया गया। 02 मार्च, 2023 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय में भी इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई। माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यह विधेयक लेकर आई है और उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है।

विधेयक पारित हुआ।

प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 (राज्य सभा द्वारा यथापारित): 21 दिसंबर, 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

चर्चा आरम्भ करते हुए, डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा कि जहां तक अखबार का विषय है, उन्होंने भारत के प्रैस महापंजीयक की स्थापना को लेकर चर्चाएं की हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के महापंजीयक के माध्यम से कड़ाई किये जाने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक जैसे कई कानूनों को प्रस्तुत करने का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन्होंने यह अच्छा कार्य किया है कि प्रत्येक जिले में अभियोजन निदेशक का एक अलग पद सफलतापूर्वक बनाया गया है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से यह तय कर सकेंगे कि मामले को आगे बढ़ाना है या नहीं। डॉ. दुबे ने विज्ञापनों को सुरक्षित करने के प्रयास के नगण्य प्रसार वाले यूट्यूब चैनलों या समाचार पत्रों के माध्यम से ब्लैकमेलिंग की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने की सराहना की। उन्होंने इन उपायों के कार्यान्वयन के लिए आग्रह करते हुए कहा कि यह व्यापार करने में आसानी से काफी वृद्धि करेगा। प्रैस पंजीयक द्वारा लगाए गए जुर्माने के बार-बार उल्लंघन के परिणामों की अस्पष्टता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने यह पूछा कि क्या बाद के अपराधों पर इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है, विशेषरूप से उन मामलों में जहां एक अखबार उच्च प्रसार आंकड़ों का झूठा दावा करता है। उन्होंने गलत प्रसार और रजिस्ट्रीकरण के बारे में शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक निर्धारित समय-सीमा तय करने हेतु आग्रह किया और कहा कि समय-सीमा निर्धारित करने से अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन की सुविधा होगी।

[11]*चर्चा में भाग लेते हुए*, श्री कुरुवा गोरंतला माधव (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि यह विधेयक प्रेस के विनियमन, चाहे वह मुद्रित रूप में हो या डिजिटल रूप में, में अति आवश्यक आधुनिकीकरण लाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रेस महापंजीयक के साथ डिजिटल मीडिया हाउसों के पंजीकरण से भारत में फर्जी खबरों के खतरे पर अंकुश लगेगा, जिससे नए डिजिटल मंचों, ऐप्स और वेबसाइटों के मनमाने ढंग से गठन को रोका जा सकेगा। उन्होंने महसूस किया कि प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड की स्थापना से पंजीकरण और संबंधित विवादों में न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस अधिनियम में डिजिटल मीडिया के रूपों को शामिल नहीं किया गया है, और इस विधेयक को स्वतंत्र प्रेस पर नियामक नियंत्रण का विस्तार करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह चेतावनी देते हुए कि फर्जी खबरें समाज में गंभीर अराजकता पैदा कर सकती हैं, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया है, उन्होंने देश में फर्जी खबरों की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गये ठोस प्रयासों के बारे में बताते हुए यह भी सुझाव दिया कि अधिनियम के अनुचित और मनमाने उपयोग के विरुद्ध कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि देश में प्रेस की स्वतंत्रता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने चर्चा समाप्त करते हुए पेड न्यूज और कारपोरेट मंचों द्वारा नाजायज हस्तक्षेप के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र वित्तीय लेखापरीक्षा प्राधिकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

चर्चा का उत्तर देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को स्वतंत्र भी होना चाहिए और उसे अवसर भी मिलने चाहिए। मीडिया को दबाने के लिए कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू करने के लिए आठ चरण होते थे। अब केवल एक बार ऑनलाइन आवेदन आरएनआई (भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय) में जमा करना होगा और उसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की आवश्यकता होगी। यदि जिला मजिस्ट्रेट साठ दिनों में जवाब नहीं देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साठ दिनों के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र और शीर्षक प्रदान किया जाएगा। विधेयक

[11]चर्चा में भाग लेने वाले अन्य गण्यमान्य: सर्वश्री राहुल रमेश शेवाले, भर्तृहरि महताब, गणेश सिंह, सय्यद ईमत्याज जलील, रमेश बिधूड़ी, बिद्युत बरन महतो, राम कृपाल यादव, जुगल किशोर शर्मा और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल।

में यह उपबंध है कि गैर-कानूनी कार्रवाई या आतंकवादी कृत्यों में शामिल किसी भी व्यक्ति को समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी। अब किसी को प्रेस स्थापित करने के लिए केवल एक ऑनलाइन सूचना देनी होगी। सरकार की प्रतिबद्धता थी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, उन्हें अवसर मिले और उनकी सरकार यह अवसर देने के लिए एक विधेयक लाई है। इससे पहले बिना अनुमति प्रेस चलाने पर कारावास की सजा का प्रावधान था। अब सरकार ने लोगों के लिए प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सूचना देना बहुत आसान कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन आकर आवेदन करने की अनुमति दी गई है और दो महीने के बाद उनका प्रमाण पत्र, शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें दे दिया जाएगा। अगर कोई विदेशी पत्रिका भारत में कोई संस्करण निकालना चाहती है तो उसे पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस विधेयक के माध्यम से प्रेस महा पंजीयक को किसी पब्लिकेशन पर उचित कार्रवाई करने और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। मंत्री महोदय ने आगे बताया कि 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है, और अगर यह बार-बार भुगतान नहीं करता है, तो उस पर लगभग 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और असाधारण स्थिति में इस मामले में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यदि कोई प्रकाशन गलत जानकारी देता है या प्रस्तुत करता है, यदि वह अपने लाइसेंस और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी या तथ्य को छिपाता है, यानी गलत प्रस्तुतीकरण करता है और तथ्यों को भी छुपाता है, तो प्रेस पंजीयक को ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने आगे बताया कि अगर किसी ने दैनिक अखबार का लाइसेंस लिया है और वह 50 फीसदी से कम समय में समाचार पत्र प्रकाशित करता है तो उसे बंद करने का प्रावधान है। यदि कोई 15 दिन में एक बार समाचार पत्र या पत्रिका छापने को कहता है और ऐसा नहीं करता है तो नोटिस देने के बाद उसे निलंबित करने और बाद में रद्द करने का प्रावधान किया गया है। यदि प्रकाशक दो साल तक वार्षिक विवरण नहीं देता है तो दो साल बाद भी उसे नोटिस दिया जाता है और उसे निलंबित किया जा सकता है। यदि कोई प्रकाशन एक राज्य में एक नाम से चल रहा है और दूसरा प्रकाशन उसी नाम से किसी अन्य भाषा में चल रहा है तो प्रेस महापंजीयक योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करके किसी भी प्रकाशन को रोक सकता है या उसे किसी अन्य नाम के प्रकाशन को प्रकाशित करने के लिए कह सकता है। यदि कोई प्रसार से संबंधित गलत आंकड़ा और गलत वार्षिक विवरण प्रदान करता है, तो उसे निलंबित किया जा सकता है। इसकी अवधि 30 दिन से लेकर 180 दिन तक होगी। यदि उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास जाना है तो वह प्रेस और रजिस्ट्रीकरण

अपीलीय बोर्ड के पास जा सकता है। यह जानकारी देते हुए कि सरकार ने चैनलों की सामग्री को केबल टेलीविजन नेटवर्क के तहत शामिल किया है और बाकी ऑनलाइन समाचार आईटी नियमों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए विज्ञापन की नीति भी लाई है ताकि उन्हें भी अवसर मिल सके।

विधेयक पारित हुआ।

ग. प्रश्न काल

सत्रहवीं लोक सभा का चौदहवां सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ और 21 दिसंबर, 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

सदस्यों द्वारा सभा पटल पर रखे गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की वास्तविक संख्या 18165 (तारांकित 8367 + अतारांकित 9798) थी। तथापि दो या अधिक मंत्रालयों से सम्बद्ध प्रश्नों को अलग अलग करने पर तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की वास्तविक संख्या बढ़कर 18307 हो गई। सदस्यों से चार (04) अल्पकालीन प्रश्नों की सूचनाएं (एसएनक्यू) भी प्राप्त हुईं। किसी एक दिन बैलट के लिए सम्मिलित किए गए प्रश्नों की अधिकतम सूचनाओं की संख्या 18 दिसंबर, 2023 को हुई बैठक में 1365 (तारांकित-637 + अतारांकित-728) थी। किसी एक दिन बैलट के लिए सम्मिलित किए गए प्रश्नों की न्यूनतम सूचनाओं की संख्या 4 दिसंबर, 2023 को हुई बैठक में 879 (तारांकित 377 + अतारांकित 502) थी। बैलट के लिए शामिल किए गए अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 4 दिसंबर, 2023 और 18 दिसंबर, 2023 को क्रमशः 203 और 310 थी।

सूचनाओं की ग्राह्यता की जांच लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, अध्यक्ष के निदेशों, संसदीय परंपराओं और पूर्वोदाहरणों के आलोक में की गई। प्राप्त तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्नों की 18307 सूचनाओं (अलग-अलग किये गये प्रश्नों सहित) में से 267* प्रश्न तारांकित प्रश्नों की सूचियों में और 3065* प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूचियों में शामिल किए गए थे। सत्र के दौरान प्राप्त चार (04) अल्प सूचना प्रश्न अस्वीकृत कर दिए।

गृहीत प्रश्नों की सूचनाओं का मंत्रालय-वार अलग-अलग ब्यौरा दर्शाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने अधिकतम प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) अर्थात्

1123 प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके पश्चात् कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 796 प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का उत्तर दिया।

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 363 सदस्यों के नाम सम्मिलित किए गए। गृहीत/जोड़े गए प्रश्नों की अधिकतम संख्या 40 थी जो संसद सदस्य सर्वश्री श्रीरंग आप्पा बारणे, सुधीर गुप्ता और प्रतापराव जाधव के थे।

प्रश्नों की सूचियों में सम्मिलित अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः 12 दिसंबर 2023 को 303 और 4 दिसंबर 2023 को 201 थी।

सत्र के दौरान आधे घंटे की चर्चा के लिए एक (1) सूचना प्राप्त हुई किन्तु उसे अनुमति प्रदान नहीं की गयी। लोक सभा में पूर्व में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में संशोधन के लिए मंत्रियों द्वारा दो (2) वक्तव्य प्राप्त हुए।

सत्र के दौरान कुल 55 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया/लिया गया। प्रति बैठक औसतन 3.929 तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। एक मंत्री (आवासन और शहरी मामले) द्वारा एक दिन में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 21 दिसंबर 2023 को चार थी और एक दिन में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या 19 दिसंबर 2023 को एक थी। सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्नों की सूचियों में सम्मिलित प्रश्नों की औसत संख्या प्रतिदिन 230 थी। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर में कुल 3277 (212*+ 3065) विवरण सभा पटल पर रखे गए।

घ. निधन संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान लोक सभा के 8 पूर्व सदस्यों, सर्वश्री ताराचंद शिवाजी, विजय कुमार यादव, सरताज सिंह छतवाल, प्रभातसिंह प्रतापसिंह चौहान, डी.बी. चंद्रे गौड़ा, बासुदेव आचार्य, बबनराव ढाकाने, धर्माना मंडय्या सादुल और अमीर ऑफ कुवैत एच.एच. शेख नवाफ अल-अहमद, अल-जबेर, अल-सबा के निधन के बारे में उल्लेख किया गया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

राज्य सभा

दो सौ बासठवां सत्र*

राज्य सभा के 262वें सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण और अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार हैं:

राज्य सभा का दो सौ बासठवां (262वां) सत्र (शीतकालीन) 4 दिसंबर 2023 को प्रारंभ हुआ और 21 दिसंबर 2023 को निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

262वें सत्र के दौरान राज्य सभा की कुल 14 बैठकें हुईं और सभा ने लगभग 67 घंटे और 26 मिनट तक कार्य किया। विधायी और अन्य कार्यों का निष्पादन करने हेतु सभा की बैठक निर्धारित समय से लगभग 6 घंटे 35 मिनट अधिक चली।

"देश में आर्थिक स्थिति" संबंधी विषय पर अल्पकालिक चर्चा

5 दिसंबर 2023 को, श्री देरेक ओब्राईन ने "देश में आर्थिक स्थिति" पर अल्पकालिक चर्चा का मुद्दा उठाया गया तथा सदस्यों द्वारा इस चर्चा में भाग लेने की रुचि को देखते हुए यह चर्चा 6 और 7 दिसंबर, 2023 को निर्धारित समय से 2 घंटे और 30 मिनट अधिक समय तक जारी रही। कुल मिलाकर 59 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा का समापन वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए उत्तर से हुआ ।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम/अध्यक्षपीठ द्वारा निर्णय-उल्लेख आदि

4 दिसंबर 2023 को, माननीय सभापति ने सभा को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक प्रक्रिया लागू की गई है कि जो सदस्य वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने पार्टी के नेता या सचेतक की स्वीकृति से वाद-विवाद शुरू होने से तीस मिनट पहले सभा पटल कार्यालय को अपना नाम देना चाहिए। प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से पहले संसदीय समाचार भाग-II में पैरा जारी करके भी इस पद्धति को माननीय सदस्यों के ध्यान में लाया जाता है। तथापि, ऐसा देखा गया है कि वाद-विवाद के दौरान, विभिन्न दलों के सदस्यों से ऐसे वाद-विवादों में भाग लेने संबंधी अनुरोध प्राप्त होते हैं और

*जैसा कि राज्य सभा सचिवालय के सभा पटल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

कभी-कभी वे अपने दल के नेता अथवा सचेतक के अनुमोदन के बिना भी भाग लेते हैं। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और वाद-विवाद शुरू होने से कम से कम तीस मिनट पहले अपने दल के नेता अथवा सचेतक के माध्यम से उसमें भाग लेने के लिए अपना नाम भेजें।

8 दिसंबर, 2023 को एक सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा गया कि शुक्रवार को सभा की बैठक अपराह्न 2:30 बजे समवेत होनी है और यह प्रथा पिछले कई वर्षों से प्रचलन में है। माननीय सभापति ने कहा कि संसद सदस्य समाज के सभी वर्गों से चुने जाते हैं और लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2:00 बजे समवेत होती है। इसमें हर वर्ग के सदस्य शामिल होते हैं। समुचित विचार-विमर्श के पश्चात्, सभा को यह इंगित किया गया कि यह प्रक्रिया पिछले सत्र में पहले से ही लागू थी। समय सारणी में एकरूपता लाने के लिए अपराह्न दो बजे से सदन की बैठक संपन्न होगी।

20 और 21 दिसंबर, 2023 को अध्यक्षपीठ ने दिन के लिए अनुमत विशेष उल्लेखों के अनुमोदित पाठ को सदनों के पटल पर रखे जाने की अनुमति दी।

सरकारी विधायी कार्य

सत्र के दौरान, निम्नलिखित सरकारी विधेयक पारित किये गए/लौटाए गए/वापस लिए गए: तेरह विधेयक अर्थात् (एक) डाकघर विधेयक, 2023; (दो) लोक सभा द्वारा यथापारित, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023; (तीन) लोक सभा द्वारा यथापारित, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023; (चार) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकलाप) विधेयक, 2023; (पांच) लोक सभा द्वारा यथापारित, केन्द्रीय विश्विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023; (छह) लोक सभा द्वारा यथापारित, निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2023; (सात) लोक सभा द्वारा यथापारित, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023; (आठ) लोक सभा द्वारा यथापारित, संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023; (नौ) लोक सभा द्वारा यथापारित, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023; (दस) दूरसंचार विधेयक, 2023; (ग्यारह) लोक सभा द्वारा यथापारित, भारतीय न्याय संहिता, 2023; (बारह) लोक सभा द्वारा यथापारित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और (तेरह) लोक सभा द्वारा यथापारित, भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023; सभा द्वारा पारित किए गए।

चार विधेयक अर्थात् (एक) लोक सभा द्वारा यथापारित, विनियोग (संख्या 3) विधेयक; (दो) लोक सभा द्वारा यथापारित, विनियोग (संख्या 4) विधेयक; (तीन) लोक सभा द्वारा यथापारित, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023; और (चार) लोक सभा द्वारा यथापारित, अनंतिम कर संग्रहण विधेयक, 2023; सभा द्वारा वापिस कर दिया गया।

एक विधेयक नामतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008 वापस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य

सत्र के दौरान 8 दिसंबर, 2023 को गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य संपन्न हुआ जिसके लिए अपराह्न 2:00 बजे से शाम 4:50 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। उस दिन 62 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए । चूंकि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित करने के प्रस्तावों के लिए पर्याप्त समय लिया गया था, इसलिए सभापति के सुझाव पर सभा की सहमति से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर सांय 4:30 बजे के पश्चात् भी अर्थात् सांय 5:15 बजे तक चर्चा जारी रखी गई।

सांख्यिकी विवरण

सत्र के दौरान 198 तारांकित प्रश्नों और 2107 अतारांकित प्रश्नों को गृहीत किया गया जिनके उत्तर दिये गये/सभा पटल पर रखे गए। इनमें से 52 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। व्यवधान आदि के कारण सभा को जबरन स्थगित किए जाने के फलस्वरूप दो दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका।

व्यवधानों के कारण कुल 21 घंटे और 3 मिनट समय लगा। हालांकि, मध्याह्न भोज को छोड़कर निर्धारित समय से लगभग 6 घंटे 35 मिनट बैठक करके सभा का समय पूरा किया गया।

सत्र के दौरान लोक महत्व के मामलों पर 81 विशेष उल्लेख किए गए/रखे गए और सभापीठ की अनुमति से 161 मामले (शून्यकाल के दौरान) उठाए गए।

निधन संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान, माननीय सभापति ने पांच पूर्व सदस्यों, नामतः सर्वश्री ललितभाई मेहता, डीबी चंद्रे गौड़ा, डॉ. एम.एस. गिल, प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन और श्रीमती बसंती शर्मा तथा कुवैत के अमीर विदेश राज्य प्रमुख शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के निधन

का भी उल्लेख किया गया। सदन ने दिवंगत सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी सदस्यों के साथ मौन रखा।

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

6 दिसंबर, 2023 को माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने 6 दिसंबर 2023 को राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उनका त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया ।

सभापीठ द्वारा उल्लेख

13 दिसंबर, 2023 को सभापति ने सदन में 13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 22वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

सदस्यों का निष्कासन/निलंबन और विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना

14 दिसंबर, 2023 को, सदन में अनुचित आचरण का प्रदर्शन करते हुए अध्यक्षपीठ के समीप सभा पटल तक पहुंचने, अध्यक्षपीठ की ओर अनुचित इशारे करने और अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना करने तथा नारेबाजी करने के लिए सभापति ने संसद सदस्य श्री देरेक ओब्राईन को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 255 के अधीन तत्काल सभा से बाहर जाने का निर्देश दिया।

संसद सदस्य श्री देरेक ओब्राईन द्वारा निर्देशों की अवहेलना करने और सभा से बाहर जाने से इनकार करने पर, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों की घोर अवहेलना तब देखी गई जब श्री देरेक ओब्राईन नाम लिए जाने और सभा से तुरंत हटने का निर्देश दिए जाने के बावजूद, न केवल कक्ष में बने रहे, बल्कि नारे लगाए, अनुचित इशारे किए और यहां तक कि सदन में अध्यक्षपीठ के समीप से होते हुए सभा पटल तक पहुंच गए। श्री देरेक ओब्राईन की ओर से किए गए ऐसे घोर कदाचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए एक बार फिर श्री देरेक ओब्राईन का नाम लेता हूं।"

तत्पश्चात्, सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत किए गए और सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर संसद सदस्य, श्री देरेक ओब्राईन को नियम 256(2) के अधीन 262वें सत्र की शेष अवधि के लिए राज्य सभा की सेवा से निलंबित कर दिया गया।

चूंकि संसद सदस्य श्री देरेक ओब्राईन नियम 256(3) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अध्यक्ष के बार-बार दिए गए निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने स्थान पर बने रहे, इसलिए सदन के नेता श्री पीयूष गोयल ने उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए राज्य सभा की अनुमति मांगी। अनुमति प्रदान किए जाने पर की गई आपत्तियों पर, सभापति महोदय ने नियम 190(2) के अंतर्गत उन सदस्यों से, जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में थे, अपने-अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध किया। सभापति ने पाया कि 25 से अधिक सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं और जानकारी दी कि सदन के नेता को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति है।

सदन के नेता ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया–

"कि श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य जिन्हें नियम 256(2) के अधीन राज्य सभा की सेवा से निलंबित कर दिया गया था, ने नियम 256(3) का घोर उल्लंघन करते हुए और अध्यक्ष द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों की अवहेलना करते हुए जानबूझकर सभा में बने रहने के आचरण को गंभीरता से लेती है जिससे उनका अपराध और बढ़ जाता है और सभा की गंभीर अवमानना होती है और सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन होता है और अध्यक्ष इस बात से सहमत हैं कि मामले को जांच के लिए राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए, और राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति को जांच की रिपोर्ट तीन माह की अवधि के भीतर देने के लिए सूचित किया गया है।"

प्रस्ताव सदन द्वारा अंगीकार किया गया और सभापति ने घोषणा की कि मामला विशेषाधिकार समिति, राज्य सभा के पास तीन महीने की अवधि के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाए।

सभापति महोदय ने श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य से भी अनुरोध किया कि वे सभा से बाहर चले जाएं ताकि सूचीबद्ध कार्यों पर चर्चा की जा सके। चूंकि सदस्य लगातार अपनी बात पर अड़े रहे और सदन की कार्यवाही में व्यवधान जारी रखा, इसलिए सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

18 दिसंबर, 2023 को सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव पर, 34 संसद सदस्य, जिन्होंने लगातार नारेबाजी की और सदन में अध्यक्षपीठ के समीप चले गए, सदन के नियमों का घोर उल्लंघन किया और अध्यक्ष के अधिकार की घोर अवहेलना की जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई, को 262वें सत्र के शेष समय के लिए सभा की सेवा से निलंबित कर दिया गया।

बाद में दिन के दौरान, नियम 190 के अंतर्गत राज्य सभा द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने और काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स (राज्य सभा) के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 191 और 256 के अधीन सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत और सभा द्वारा स्वीकृत किए गए एक प्रस्ताव पर उन ग्यारह संसद सदस्यों के मामले जिन्होंने लगातार नारेबाजी की और तख्तियां दिखाईं तथा सभा के नियमों का घोर उल्लंघन करने और अध्यक्ष के अधिकार की घोर अवहेलना करते हुए सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के मामले को विशेषाधिकार समिति को नियम 191 के अधीन तीन माह की अवधि के भीतर जांच, अन्वेषण और प्रतिवेदन के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया था और उक्त सदस्यों को तब तक राज्य सभा की सेवा से निलंबित कर दिया गया जब तक कि सभा को विशेषाधिकार समिति को प्रतिवेदन नहीं मिल जाता।

सदस्य के निलंबन की समाप्ति

4 दिसंबर, 2023 को श्री जी.वी.एल.नरसिम्हा राव ने नियम 256(2) के परंतुक के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि श्री राघव चड्ढा, संसद सदस्य, को विशेषाधिकार हनन का दोषी ठहराया जाए और उनके द्वारा अब तक निलंबन में बिताए समय को पर्याप्त सजा के रूप में लिया जाए और सदन श्री राघव चड्ढा, संसद सदस्य को सभा की सेवा से निलंबन को समाप्त करने पर विचार करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उप-सभापति पैनल

4 दिसंबर 2023 को उप-सभापति पैनल का पुनर्गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य श्रीमती फूलो देवी नेताम; श्रीमती एस.फान्गनॉन कोन्याक; श्रीमती दर्शना सिंह; डॉ. सोनल मानसिंह; डॉ. सस्मित पात्रा; श्री वि. विजयसाई रेड्डी; श्री सुखेन्दु शेखर रॉय; और श्री कार्तिकेय शर्मा शामिल थे।

11 दिसंबर, 2023 को उप-सभापति पैनल का पुनर्गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य श्रीमती कांता कर्दम; सुश्री सरोज पांडे; श्रीमती जया बच्चन; श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी; डॉ. सी.एम. रमेश; श्री अखिलेश प्रसाद सिंह; श्री तिरुची शिवा; और श्री सुशील कुमार गुप्ता शामिल थे।

संसदीय शिष्टमंडल का दौरा

18 दिसंबर, 2023 को माननीय सभापति ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका के अध्यक्ष महामहिम श्री महिंदा यापा अभयवर्धन और उनके साथ आए संसदीय

शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत किया, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए विशिष्ट कक्ष में बैठे थे। माननीय सभापति महोदय ने सभा के सभी सदस्यों की ओर से श्रीलंका के संसद सदस्यों, श्रीलंका की सरकार और वहां की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

राज्य सभा के सभी सदस्यों के लिए नए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों और नए वेब समाधानों के संबंध में सुविधा केंद्र/कियोस्क की स्थापना

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक, संसदीय सौध के निकट एक सुविधा-केंद्र/कियोस्क स्थापित किया जो सभी कार्य दिवसों पर दिनांक 04.12.2023 से 22.12.2023 तक सुबह 09:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक कार्य करेगा ताकि माननीय सदस्यों और उनके वैयक्तिक सहायकों को नए एमपीलैड्स वित्त और दिशानिर्देशों और कोष-प्रवाह तंत्र (फण्ड-फ्लो सिस्टम) के बारे में वेब-एप्लिकेशन के माध्यम से आवश्यक जानकारी और सामग्री की सुविधा मिल सके और प्रश्नों का तुरंत समाधान किया जा सके।

संसद के नए भवन में स्थित राज्य सभा सदन में प्रत्येक सदस्य के स्थान पर मल्टी मीडिया उपकरण संस्थापित किये गये हैं ताकि माननीय सदस्यों को उक्त दिवस के कार्यवाही संबंधी प्रपत्रों, संदर्भ दस्तावेजों, सभा के सभी सदस्यों का विवरण इलैक्ट्रानिक रूप से प्राप्त हो सके और सभा में चर्चा/वाद-विवाद में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जा सके तथा मत विभाजन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान भी किया जा सके। माननीय सदस्य पोर्टल के माध्यम से एक उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और वीडियो ट्यूटोरियल परिचालित किया गया है जो उनकी सुविधा के लिए डिवाइस पर ही उपलब्ध कराया गया है।

माननीय सदस्यों को साथ-साथ हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त दस अन्य क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में संसदीय प्रपत्र उपलब्ध कराए गए।

सत्र का समापन

21 दिसंबर, 2023 को सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 दिसंबर 2023 को राज्य सभा का सत्रावसान किया गया।

सत्र समीक्षा

राज्य विधानमंडल

दिल्ली विधान सभा[1]

दिल्ली विधान सभा की सातवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चौथा भाग 15 दिसम्बर, 2023 को आहूत हुआ और 18 दिसम्बर, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। इस दौरान कुल दो बैठकें हुईं।

विधायी कार्य: सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयक (एक) दिल्ली माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023; और (दो) दिल्ली विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किये गये, उन पर विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया।

वित्तीय कार्य: 15 दिसम्बर, 2023 को वित्त मंत्री श्रीमती आतिशी ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों का पहला बैच प्रस्तुत किया गया। मांगों पर विचार किया गया और ध्वनि मत से उन्हें पारित किया गया।

मिजोरम विधान सभा[2]

मिजोरम विधान सभा की नौवीं विधान सभा का चौथा सत्र 12 दिसम्बर, 2023 को आहूत हुआ और 14 दिसम्बर, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। इस दौरान कुल तीन बैठकें हुईं।

अध्यक्ष का चुनाव: 12 दिसंबर, 2023 को श्री लालबियाकज़मा को मिज़ोरम विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

राज्यपाल का संबोधन: वर्ष का प्रथम सत्र होने के फलस्वरूप राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने 13 दिसंबर, 2023 को सदन के सदस्यों को संबोधित किया।

इसी दिन, विधान सभा सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल क्लेमेंट लालमिंगथांगा द्वारा राज्यपाल को अभिभाषण के लिए धन्यवाद संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और श्रीमती बैरिल वन्नेहसांगी द्वारा अनुमोदित किया गया । 14 दिसंबर, 2023 को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन द्वारा चर्चा की गई और इसे पारित किया गया।

---

[1]दिल्ली विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी।

[2]मिजोरम विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी।

उपाध्यक्ष का चुनाव: 14 दिसंबर, 2023 को श्री लालफामकिमा को मिज़ोरम विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

निधन संबंधी उल्लेख: सत्र के दौरान, पूर्व मंत्री श्री लालबियाकज़ुआला के निधन पर निधन संबंधी उल्लेख किया गया।

नागालैंड विधान सभा[3]

चौदहवीं नागालैंड विधान सभा का तीसरा सत्र 9 नवंबर 2023 को प्रारम्भ हुआ और उसी दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

विधायी कार्य: सत्र के दौरान, नागालैंड म्युनिसिपल विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया गया, उस पर विचार किया गया और उसे पारित किया गया।

[3]नागालैंड विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी।

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य

1. पुस्तकें

अल्वा, रोहन जे., ए कॉन्स्टिट्यूशन टू कीपः सेडिशन एंड फ्री स्पीच इन मॉडर्न इंडिया (गुरुग्रामः हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया), 2023।

बारू, संजय, द इम्पोर्टन्स ऑफ शिंजो आबेः इंडिया, जापान एंड इंडो-पैसिफिक (गुरुग्रामः हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स), 2023।

दामोदरन, ए.के., जवाहरलाल नेहरुः ए कॉम्युनिकेटर एंड डेमोक्रेटिक लीडर (दिल्लीः प्राइमस बुक्स), 2023।

घोष, सुभाजीत, कंटेंपररी पॉलिटिक्स इन इंडियाः थ्योरी एंड इश्यूज़ (नई दिल्लीः माया पब्लिशिंग हाउस), 2023।

गुदावर्ती, अजय, सं., पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड इमोशन्स इन न्यू इंडिया (लंदनः रुटलेज), 2023।

इंद्राणी कुंडू, सं., इवॉल्विंग कॉन्स्टीट्यूशनल ज्यूरिसप्रूडेन्स इन इंडिया (नई दिल्लीः सत्यम लॉइंटरनेशनल), 2023।

मधुसूदन, हर्ष और मंत्री, राजीव, ए न्यू आइडिया ऑफ इंडियाः दि सिविलाइजेशनल रिपब्लिक (गुरुग्रामः पेंगुइन रैंडम हाउस), 2023।

मिशेल, लिसा, हेलिंग द स्टेटः इंडियन डेमोक्रेसी बिटवीन इलेक्शन्स (रानीखेतः परमानेंट ब्लैक), 2023।

पचनंदा, आर.के., मोदीः फ्राम विजन टू रियेलिटी (नई दिल्लीः पेंटागन प्रेस एल.एल.पी.), 2023।

राय, अशोक कुमार, द्रौपदी मुर्मूः लाईफ एजुकेशन, अचीवमेंट एंड पॉलिटिक्स, दि अनटोल्ड स्टोरी (नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स), 2023।

रानी उन्नामलाई के., ईकोज ऑफ पेट्रेटिज्म: नेशनलिस्ट राइटिंग्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, (नई दिल्लीः नेशनल बुक ट्रस्ट), 2023

राठौर, आकाश, बिकमिंग बाबासाहेबः द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ भीमराव रामजी (गुरुग्रामः हार्पर कॉलिन्स), 2023

शेखर, शशि, कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शनः मन की बात एंड ईट्स ईंफ्लुएंस ऑन इंडिया (नई दिल्लीः रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), 2023।

सिंह, विकाश, इलेक्शन कैंपेन्स एंड टीवी मीडिया (दिल्लीः राइट्स पब्लिकेशन्स), 2023।

वॉरियर, शोभा, बैटलफील्ड इंडियाः 25 ईयर्स ऑफ पोलिटिक्स और इकोनॉमिक्स (नई दिल्लीः विटस्टा पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड), 2023।

व्हिटिकर, एलन जे., स्पीचेस दैट चेंज्ड द वर्ल्ड (मुंबईः जैको पब्लिशिंग हाउस), 2023।

परिशिष्ट एक

सत्रहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

1. सत्र की अवधि	04.12.2023 से 21.12.2023
2. सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या	14
3. बैठकों में लगा कुल समय	61 घंटे 50 मिनट
4. व्यवधान/स्थगन के कारण हुई समय की बर्बादी	27 घंटे 36 मिनट
5. सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए सभा की देर तक बैठक	08 घंटे 09 मिनट
6. सरकारी विधेयक	
(i) सत्र के आरंभ में लंबित	12
(ii) पुरःस्थापित	12
(iii) राज्य सभा द्वारा यथापारित सभा–पटल पर रखे गए	02
(iv) राज्य सभा द्वारा किसी संशोधन/सिफारिश के साथ लौटाए गए और सभा पटल पर रखे गए	शून्य
(v) जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(vi) पारित	शून्य
(vii) वापस लिए गए	शून्य
(viii) अस्वीकृत	शून्य
(ix) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
(x) राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	04
(xi) सत्र के अंत में लंबित	05

7.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	
	(i) सत्र के आरंभ में लंबित	713
	(ii) पुरःस्थापित	शून्य
	(iii) जिन पर चर्चा हुई	शून्य
	(iv) पारित	शून्य
	(v) वापस लिए गए	शून्य
	(vi) अस्वीकृत	शून्य
	(vii) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	01[1]
	(viii) सत्र के अंत में लंबित	673
8.	नियम 184 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
	(i) प्राप्त सूचनाएं	शून्य
	(ii) गृहीत	शून्य
	(iii) जिन पर चर्चा हुई	शून्य
9.	नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों की संख्या	265
10.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की संख्या	182
11.	नियम 193 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
	(i) प्राप्त सूचनाएं	16
	(ii) गृहीत	शून्य
	(iii) जिन पर चर्चा हुई	शून्य
	(iv) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
12.	नियम 197 के अधीन दिए गए वक्तव्यों की संख्या	शून्य

[1] दसवें सत्र के अंत में।

13.	मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य	34
14.	स्थगन प्रस्ताव	
	(i) प्राप्त सूचनाएं	–
	(ii) सभा के समक्ष लाए गए	–
	(iii) गृहीत	–
15.	ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए मामलों की संख्या	शून्य
16.	सरकारी संकल्प	
	(i) प्राप्त सूचनाएं	शून्य
	(ii) गृहीत	शून्य
	(iii) प्रस्तुत	शून्य
	(iv) स्वीकृत	शून्य
	(v) अस्वीकृत	शून्य
	(vi) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
17.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
	(i) प्राप्त सूचनाएं	03
	(ii) गृहीत	03
	(iii) जिन पर चर्चा हुई	--
	(iv) प्रस्तुत	शून्य
	(v) स्वीकृत	शून्य
	(vi) अस्वीकृत	शून्य
	(vii) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	01[2]
18.	सरकार के प्रस्ताव	
	(i) प्राप्त सूचनाएं	शून्य
	(ii) गृहीत	शून्य

[2] ग्यारहवें सत्र के अंत में।

(iii) प्रस्तुत और जिन पर चर्चा हुई — शून्य

(iv) स्वीकृत — शून्य

(v) अस्वीकृत — शून्य

(vi) वापस लिए गए — शून्य

(vii) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई — शून्य

19. विशेषाधिकार प्रस्ताव

(i) प्राप्त सूचनाएं — 02

(ii) सभा के समक्ष लाए गए — शून्य

(iii) माननीय अध्यक्ष की सहमति प्राप्त नहीं — शून्य

(iv) माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी — शून्य

20. सत्र के दौरान आगंतुकों के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्रों की कुल संख्या — 7044

21. सत्र के दौरान संसदीय संग्रहालय में आगंतुकों की कुल संख्या — –

22. गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या

(i) तारांकित — 267[3]

(ii) अतारांकित — 3065[4]

(iii) अल्प सूचना प्रश्न — शून्य

(iv) आधे घंटे की चर्चा — शून्य

23. संसदीय समितियों का कार्यकरण

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	02	02
(ii)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	-	-

---

[3] सदस्यों के त्यागपत्र/निलंबन के कारण 13 प्रश्न हटाए गए।

[4] सदस्यों के त्यागपत्र/निलंबन के कारण 155 प्रश्न हटाए गए।

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(iii)	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	06	-
(iv)	प्राक्कलन समिति	05	01
(v)	आचार समिति	03	01
(vi)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	03	07
(vii)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीलैड्स)	-	-
(viii)	सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	03	06
(ix)	याचिका समिति	01	08
(x)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	-	-
(xi)	विशेषाधिकार समिति	02	-
(xii)	लोक लेखा समिति	-	-
(xiii)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	12	01
(xiv)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	04	06
(xv)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	05	01
(xvi)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	-	-
(xvii)	आवास समिति	-	-
(xviii)	ग्रंथालय समिति	01	-
(xix)	रेल अभिसमय समिति	-	-
(xx)	नियम समिति	-	-

24. संयुक्त/प्रवर समिति

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	-	-
(ii)	संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति	01	-

25. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति	03	01
(ii)	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	-	-
(iii)	कोयला, खनन और इस्पात संबंधी समिति	-	-
(iv)	रक्षा संबंधी समिति	02	05
(v)	ऊर्जा संबंधी समिति	08	03
(vi)	विदेशी मामलों संबंधी समिति	07	03
(vii)	वित्त संबंधी समिति	05	-
(viii)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	07	06
(ix)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	02	02
(x)	श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति	06	01
(xi)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	03	01
(xii)	रेल संबंधी समिति	05	01
(xiii)	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति	03	01
(xiv)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	03	03
(xv)	आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति	02	01
(xvi)	जल संसाधन संबंधी समिति	02	02

परिशिष्ट दो

राज्य सभा के दो सौ बासठवें सत्र के दौरान किए गए कार्य को दर्शाने वाला विवरण

1. सत्र की अवधि	04.12.2023 से 21.12.2023 तक
2. बैठकों की संख्या	14
3. बैठकों में लगा कुल समय	67 घंटे 26 मिनट
4. मत विभाजन की संख्या	1
5. सरकारी विधेयक	
(i) सत्र के आरंभ में लंबित	25
(ii) पुरःस्थापित	शून्य
(iii) लोक सभा द्वारा यथा पारित सभा पटल पर रखे गये	14
(iv) लोक सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाए गए	शून्य
(v) राज्य सभा द्वारा प्रवर समिति को भेजे गए	शून्य
(vi) राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को भेजे गए	शून्य
(vii) विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों को भेजे गए	शून्य
(viii) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(ix) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(x) विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(xi) जिन पर चर्चा की गई	17
(xii) पारित/लौटाए गए	17
(xiii) वापस लिए गए	1
(xiv) अस्वीकृत	शून्य

(xv) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य
(xvi) राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	04
(xvii) चर्चा स्थगित हुई	शून्य
(xviii) सत्र के अंत में लंबित	21

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(i) सत्र के आरंभ में लंबित	111
(ii) पुरःस्थापित	62
(iii) लोक सभा द्वारा यथापारित सभा पटल पर रखे गये	शून्य
(iv) लोक सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाए गए और सभा पटल पर रखे गये	शून्य
(v) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(vi) जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(vii) वापस लिए गए	शून्य
(viii) पारित	शून्य
(ix) अस्वीकृत	शून्य
(x) राय जानने के लिए परिचालित किए गए	शून्य
(xi) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	01
(xii) चर्चा स्थगित/स्थगन/विलम्बित/समाप्त	शून्य
(xiii) विधेयक को परिचालित करने संबंधी अस्वीकृत हुए प्रस्ताव	शून्य
(xiv) प्रवर समिति को सौंपे गए	शून्य
(xv) विधेयक के प्रभारी सदस्य की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु के कारण व्यपगत हुए विधेयक	6[1]
(xvi) सत्र के अंत तक लंबित (08.08.2022 तक)	154

[1] इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1979 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले 13 लंबित विधेयकों को मूल अधिनियमों के निरसन के मद्देनजर राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची से हटा दिया गया।

7. नियम 176 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या
(अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले)

(i)	प्राप्त सूचनाएं	25
(ii)	गृहीत	01
(iii)	जिन पर चर्चा हुए	शून्य

8. नियम 180 के अधीन दिए गए वक्तव्यों की संख्या
(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण)

(i)	मंत्रियों द्वारा दिए गए/रखे गए वक्तव्य	शून्य
(ii)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य

9. सांविधिक संकल्प

(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अंगीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य

10. सरकारी संकल्प

(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	–
(iii)	प्रस्तुत किए गए	–
(iv)	अंगीकृत	–

11. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(i)	प्राप्त सूचनाएं	05
(ii)	गृहीत	05

(iii) जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(iv) वापस लिए गए	–
(v) अस्वीकृत	–
(vi) अंगीकृत	–
(vii) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	–
(viii) चर्चा स्थगित हुई	–
12. सरकारी प्रस्ताव	
(i) प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii) गृहीत	–
(iii) प्रस्तुत किए गए और जिन पर चर्चा की गई	–
(iv) स्वीकृत	–
(v) जिन पर आंशिक चर्चा की गई	–
13. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव	
(i) प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii) गृहीत	–
(iii) प्रस्तुत किए गए	–
(iv) स्वीकृत	–
(v) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	–
(vi) अस्वीकृत	–
(vii) वापस लिए गए	–
14. सांविधिक नियम में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव	
(i) प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii) गृहीत	शून्य
(iii) प्रस्तुत किए गए	शून्य

(iv) अंगीकृत शून्य

(v) अस्वीकृत शून्य

(vi) वापस लिए गए शून्य

(vii) जिन पर आंशिक चर्चा की गई शून्य

(viii) व्यपगत शून्य

15. संसदीय समिति, यदि कोई गठित की गई, की संख्या, नाम और तारीख

(i) महिला सशक्तिकरण समिति का पुनर्गठन (2023-24) 09.10.2023 से प्रभावी (*देखें राज्य सभा संसदीय समाचार भाग-II, संख्या 63650 दिनांक 18.10.2023*)

(ii) ग्रंथागार समिति का पुनर्गठन (2023-24) 09.10.2023 से प्रभावी (*देखें राज्य सभा संसदीय समाचार भाग-II, संख्या 63651 दिनांक 18.10.2023*)

16. आगंतुकों को जारी किये गए प्रवेश पत्रों की कुल संख्या 6194

17. किसी एक दिन में आगंतुकों को जारी किए गए प्रवेश पत्रों की अधिकतम संख्या और उनके जारी किए जाने की तारीख 12.12.2023 को 202

18. गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या

(i) तारांकित 198

(ii) अतारांकित 2170

(iii) अल्प सूचना प्रश्न शून्य

19. मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा शून्य

20. संसदीय समितियों का कार्यकरण

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	04	02
(ii)	आचार समिति	शून्य	शून्य
(iii)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	04	01

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
(iv)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीलैड्स)	01	शून्य
(v)	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	01	शून्य
(vi)	याचिका समिति	02	शून्य
(vii)	विशेषाधिकार समिति	07	01
(viii)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	01	02
(ix)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(x)	आवास समिति	शून्य	शून्य
(xi)	राज्य सभा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति	01	शून्य
(xii)	नियम समिति	शून्य	शून्य

21. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
(i)	वाणिज्य	04	03
(ii)	गृह मंत्रालय	06	05
(iii)	शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा एवं खेल	03	03
(iv)	उद्योग	02	01
(v)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	01	शून्य
(vi)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति	06	04
(vii)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	03	02
(viii)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय	06	07

22. ऐसे सदस्यों की संख्या जिन्हें सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई — 03

23. प्रस्तुत याचिकाएं — शून्य

24. शपथ लेने वाले नए सदस्यों के नाम तिथि सहित

क्रम सं.	शपथ लेने वाले सदस्यों के नाम	सम्बद्ध दल	शपथ लेने की तिथि
	शून्य	–	–

25. निधन संबंधी उल्लेख

क्रम सं.	नाम	वर्तमान सदस्य/पूर्व सदस्य
1.	श्री ललितभाई मेहता	पूर्व सदस्य
2.	श्रीमती बसंती शर्मा	पूर्व सदस्य
3.	प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन	पूर्व सदस्य
4.	डॉ. एम.एस. गिल	पूर्व सदस्य
5.	श्री डी.बी. चंद्र गौड़ा	पूर्व सदस्य
6.	शेख नवाफ़ अल-अहमद अल-जबर अल-सबा	अमीर ऑफ कुवैत

262वें सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों की सूची

क्रम सं. **बिल का नाम**

1. पोस्ट ऑफिस बिल
2. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक
4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
5. निरस्तीकरण एवं संशोधन विधेयक
6. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
7. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) विधेयक
8. संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक
9. विनियोग (सं.3) विधेयक
10. विनियोग (सं.4) विधेयक
11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल
12. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक
13. अनंतिम कर संग्रह विधेयक
14. दूरसंचार विधेयक
15. भारतीय न्याय संहिता
16. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
17. भारतीय साक्ष्य विधेयक

परिशिष्ट तीन

01 अक्तूबर से 31 दिसम्बर 2023 की अवधि के दौरान राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर–सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
बिहार वि.स.	06.11.2023 से 10.11.2023	5	6 (6)	-	729 (617)	(89)	73 (33)
बिहार वि.प.	06.11.2023 से 10.11.2023	5	6 (6)	-	275 (239)	6 (6)	66 (60)
छत्तीसगढ़ वि.स.	19.12.2023 से 21.12.2023	3	1	1	-	-	-
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात वि.स.	-	-	-	-	-	537 (456)	-
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड वि.स.	15.12.2023 से 21.12.2023	5	4 (5)	-	-	(28)	305 (247)
कर्नाटक वि.स.	04.12.2023 से 15.12.2023	10	17 (17)	-	150 (150)	2206 (2206)	-
कर्नाटक वि.प.	04.12.2023t से 15.12.2023	10	17 (17)	-	869 (150)	350 (719)	-
केरल वि.स.	-	-	-	-	-	-	-

मध्य प्रदेश वि.स.	08.12.2023 से 12.12.2023	4	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.स.	17.12.2023 से 20.12.2023	10	17 (18)	-	7581 (247)	118 (76)	6
महाराष्ट्र वि.प.	17.12.2023 से 20.12.2023	10	(18)	-	1819 (452)	89 (18)	-
मणिपुर वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	12.12.2023 से 14.12.2023	3	-	-	-	-	-
नागालैंड वि.स.	09.11.2023	1	1 (1)	-	-	-	-
ओडिशा वि.स.	21.11.2023 से 24.11.2023	4	1 (1)	5	320 (296)	419 (619)	-
पंजाब वि.स.	28.11.2023 से 29.11.2023	3	6 (6)	-	157(59)	66 (26)	2
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम वि.स.	02.11.2023 से 03.11.2023	2	6 (6)	-	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.**	09.10.2023 से 11.10.2023	3	13 (23)	-	(245)	(7605)	-
	18.11.2023	1					
तेलंगाना वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना वि.प.	15.02.2023 से 16.12.2023	1	-	-	-	-	-
त्रिपुरा वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	28.11.2023 से 01.12.2023	4	9 (9)	-	1196 (547)	1575 (1493)	53 (1)
उत्तर प्रदेश वि.प.	28.11.2023 से 01.12.2023	4	9 (9)	-	95 (92)	64 (60)	6 (6)
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	24.11.2023 से 07.12.2023	10	3 (3)	-	675 (428)	16 (9)	-
संघ राज्यक्षेत्र							
दिल्ली वि.स.	15.12.2023 से 18.12.2023	2	2 (2)	-	40 (40)	188 (188)	-
पुदुचेरी वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई।

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

परिशिष्ट तीन (जारी...)

01 अक्तूबर से 31 दिसम्बर 2023 की अवधि के दौरान समितियों के कार्य/बैठकों की संख्या और प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/प्रवर समिति	अन्य समितियां
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	-	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
बिहार वि.स.	1(1)	12	12	10	-	19(1)	19(3)	10	26	-	10	10	14	-	-	170[क]
बिहार वि.प.	1(1)	11	10	9(1)	-	-	10	10	-	10	10	10	-	-	-	112[ख]
छत्तीसगढ़ वि.स.	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात वि.स.	-	3	1	-	-	2	1	4	2	-	1	-	13	-	-	9[ग]
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड वि.स.	-	-	1	-	-	-	10	10	9	9	-	-	11	-	-	26 (1)[घ]
कर्नाटक वि.स.	1	11	10	1(1)	10	7(1)	9	9(1)	10	-	10	-	6	1	-	39[ङ.]
कर्नाटक वि.प.	-	9	10	1	10	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	7[च]
केरल वि.स.	-	9	9	-	1	11	2	9	7	-	6	-	11	2	-	70[छ]

मध्य प्रदेश वि.स.*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र वि.स.	2(1)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
महाराष्ट्र वि.प.	2	2(1)	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	–
मणिपुर वि.स.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	–
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
मिजोरम वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9(4)[ट]
नागालैंड वि.स.	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	1(ज)	1[ठ]
ओडिशा वि.स.	1(1)	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	2	6	-	15(झ)	41(1) (ड)
पंजाब वि.स.	1(1)	9	15	-	14	11	5	12	9	-	4	15	13	-	39(ञ)	43[ढ]
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
सिक्किम वि.स.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	–
तमिलनाडु वि.स.	1	12(10)	3(2)	-	1	3(18)	-	-	5	-	-	2	8(50)	-	11(4)(ट)	4[ण]
तेलंगाना वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2[त]
तेलंगाना वि.प.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
त्रिपुरा वि.स.	2(2)	2	-	-	1	2(1)	1	-	2	-	-	1	1(1)	1	-	–
उत्तर प्रदेश वि.स.	1(1)	11	15(3)	-	4(5)	7	8(2)	14(3)	11	-	-	-	13(4)	-	27(6)(ठ)	29(9) (थ)
उत्तर प्रदेश वि.प	1	4	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	13	68(1)(ड)	124[द]
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–
पश्चिम बंगाल वि.स.	4(4)	9	6	-	6	8	6	-	13	-	10	6	6(1)	-	265(7)(ढ)	–
संघ राज्यक्षेत्र																
दिल्ली वि.स.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	4(1)(ण)	5[ध]
पुदुचेरी वि.स.	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई।

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(क) प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति -10, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति -10, निवेदन समिति -12, आंतरिक संसाधनों संबंधी समिति -22, महिला एवं बाल कल्याण समिति -10, कृषि विकास उद्योग समिति -9, पर्यटन विकास समिति -39, शून्य काल समिति -12, आचार समिति -11, बिहार विरासत विकास समिति -12, अल्पसंख्यक कल्याण समिति - 10 और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति -13

(ख) सभा पटल पर रखे गए पत्र -10, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति -10, मानवाधिकार समिति -10, जिला परिषद समिति -10, शून्य काल समिति -10, आचार समिति -10, निवेदन समिति -12, राजभाषा समिति -10, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास समिति -10, वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक संसाधन समिति -10 और कार्यान्वयन समिति -10

(ग) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के नियम संबंधी समिति -1, पंचायती राज समिति -3, सामाजिक और शैक्षिणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु कल्याण समिति -3 और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -2

(घ) आंतरिक संसाधन राजस्व और केंद्रीय सहायता समिति -2, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति -11(1), पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति -9 और महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति -4

(ङ) महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति -9, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -13, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण समिति -8 और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति -9

(च) क्लब समिति -3, स्पेशल हाउस कमेटी (नर्सिंग कमेटी) -3 और गंगा कल्याण हाउस कमेटी -1

(छ) वरिष्ठ नागरिक कल्याण संबंधी समिति -10, पर्यावरण संबंधी समिति -10, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -6, पिछड़ा वर्ग समुदायों के कल्याण संबंधी समिति -7, महिला, ट्रांसजेंडर, बाल, एवं दिव्यांग कल्याण समिति -6, मछुआरों और संबद्ध श्रमिकों के कल्याण संबंधी समिति -3, युवा कल्याण और युवा मामलों संबंधी समिति -4, राजभाषा समिति -2, स्थानीय निधि लेखा समिति -12, अनिवासी केरलवासियों के कल्याण संबंधी समिति -6 और विषय समिति -4

(ज) अन्य समिति -1

(झ) हाउस कमेटी ऑन एथिक्स-3, स्थायी समिति -II-2, स्थायी समिति -IV-4, स्थायी समिति -VI-2, स्थायी समिति -VII-1, स्थायी समिति -IX-2 और स्थायी समिति -X-1

(ञ) प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति -2, स्थानीय निकायों संबंधी समिति -6, पंचायती राज संस्थानों संबंधी समिति -14, सहयोग एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलापों संबंधी समिति -6, वर्ष 2023-2024 के लिए कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलापों संबंधी समिति -6 और वर्ष 2023-2024 के लिए बुद्ध दरिया और घग्गर दरिया संबंधी समिति -5

(ट) प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति -(2) और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -11(2)

(ठ) राज्य के स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की जांच संबंधी समिति -7, महिला एवं बाल कल्याण संबंधी संयुक्त समिति -4(1), पंचायती राज समिति -8(5) और संसदीय निगरानी समिति -8

(ड) प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति -4, वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब संबंधी समिति -5, संसदीय अध्ययन संबंधी समिति -3 उत्तर प्रदेश विधानमंडल की आवास संबंधी शिकायतों की जांच संबंधी समिति -2, संसदीय एवं समाज कल्याण समिति -10, विकास प्राधिकरणों, हाउसिंग बोर्ड, जिला पंचायतों और नगर निगम में अनियमितताओं के नियंत्रण संबंधी समिति -8, प्रांतीय विद्युत व्यवस्था की जांच संबंधी समिति -4, विनियमन समीक्षा समिति -4, दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति-5, शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी समिति -3(1), विधायी अधिकारिता समिति -3 और खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के चलन के कारण जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम संबंधी समिति -17

(ढ) बिधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प संबंधी समिति -7, स्थानीय निधि लेखा समिति -9, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -6, समिति प्रणाली के सुधार और कार्यकरण संबंधी समिति -6, कृषि, कृषि विपणन एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा बागवानी संबंधी स्थायी समिति -8, उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम संबंधी स्थायी समिति -11, मत्स्यपालन और पशु संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति -11, उच्च शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -13(2), स्कूली शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -7(1), पर्यावरण, वन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति -7, वित्त एवं योजना संबंधी स्थायी समिति -6, खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी स्थायी समिति -8, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति -10, गृह, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, सुधारात्मक प्रशासन, कानून और न्यायिक संबंधी स्थायी समिति -8, आवास, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और आपदा प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति -7, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा युवा सेवाओं और खेल संबंधी स्थायी समिति -9(1), सिंचाई एवं जलमार्ग तथा जल संसाधन जांच और विकास संबंधी स्थायी समिति -7, श्रम संबंधी स्थायी समिति -11, शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों संबंधी स्थायी समिति -7, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सुन्दरबन मामलों संबंधी स्थायी समिति -11, बिजली एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी स्थायी समिति -6(1), लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संबंधी स्थायी समिति -11, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -6, स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी स्थायी समिति -12, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण संबंधी स्थायी समिति -6, परिवहन संबंधी स्थायी समिति -11, पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी स्थायी समिति -12(1), अल्पसंख्यक मामलों संबंधी स्थायी समिति -8, भूमि एवं भूमि सुधार संबंधी स्थायी समिति -12(1) और सहकारिता एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी स्थायी समिति -12

(ण) अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी समिति -4(1)

प्रवर/संयुक्त समितियां:

नागालैंड वि.स. नागालैंड नगर पालिका (विधेयक) 2023-3(1) की जांच संबंधी प्रवर समिति

परिशिष्ट चार
01 अक्तूबर से 31 दिसम्बर 2023 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयकों की सूची

क्रम सं.	विधेयक का नाम	राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन की तिथि
1.	द एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023	08.12.2023
2.	द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023	15.12.2023
3.	द जम्मू एंड कश्मीर रिआर्गेनाइज़ेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023	15.12.2023
4.	द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023	17.12.2023
5.	द रेपलिंग एंड अमेन्डिंग बिल, 2023	17.12.2023
6.	द जम्मू एंड कश्मीर रिआर्गेनाइज़ेशन (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023	20.12.2023
7.	द गवर्नमेंट ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023	20.12.2023
8.	द एप्रोप्रिएशन (संख्या 3) बिल, 2023	24.12.2023
9.	द एप्रोप्रिएशन (संख्या 4) बिल, 2023	24.12.2023
10.	द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली लॉज़ (स्पेशल प्रोविशंस) सेकंड (अमेंडमेंट) बिल, 2023	24.12.2023
11.	द पोस्ट ऑफिस बिल, 2023	24.12.2023
12.	द टेलीकम्यूनिकेशन बिल, 2023	24.12.2023
13.	द भारतीय न्याय संहिता, 2023	25.12.2023
14.	द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	25.12.2023
15.	द भारतीय साक्ष्य बिल, 2023	25.12.2023
16.	द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023	28.12.2023
17.	द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स (अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ़ सर्विस एंड टर्म ऑफ़ ऑफिस) बिल, 2023	28.12.2023

क्रम सं.	विधेयक का नाम	राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन की तिथि
18.	द प्रोविज़नल कलेक्शन ऑफ़ टैक्सेज बिल, 2023	28.12.2023
19.	द प्रेस एंड रेग्युलेशन ऑफ़ पीरियोडिकल्स बिल, 2023	28.12.2023

परिशिष्ट पांच

01 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 2023 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची

बिहार

1. बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023
2. बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023
3. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023
4. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023
5. बिहार पदों एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023
6. बिहार (संशोधन संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023

झारखंड

1. झारखंड विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023
2. झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तार करने के लिए विधेयक, 2023
3. झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
4. शाइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
5. प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2023

कर्नाटक

1. द कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द करावली डेवलपमेंट बोर्ड बिल, 2023
3. द कर्नाटक कंपलसरी सर्विस बॉय कैंडिडेट्स कम्पलीटिड मेडिकल कोर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023

4. द कर्नाटक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द कर्नाटक बिल, 2023
6. द कर्नाटक स्टांप (अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (अमेंडमेंट) बिल, 2023
9. श्री रेणुका येल्लम्मा क्षेत्र टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बिल, 2023
10. द कर्नाटक शेड्यूलड कास्ट सब-अलोकेशन एंड ट्राईबल सब-अलोकेशन (प्लानिंग, अलोकेशन एंड यूटिलाईजेशन ऑफ फाईनेंशियल रिसोर्सेज) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
11. द हंपी वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
12. द कर्नाटक एप्रोप्रिएशन (संख्या 4) बिल, 2023
13. द कर्नाटक प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट एडवोकेट्स बिल, 2023
14. द कर्नाटक हाई कोर्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2023
15. द कर्नाटक सिविल कोर्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
16. द कर्नाटक हिन्दू रिलीजियस इंस्टीट्यूशनस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
17. द कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023

महाराष्ट्र

1. द महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल, 2022
2. द महाराष्ट्र कैसीनो (कंट्रोल एंड टैक्स) (रिपील) बिल, 2023
3. द महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. द महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. द चिट फंड्स (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) बिल, 2023

7. द महाराष्ट्र बोवाइन ब्रीडिंग (थर्ड सप्लीमेंट्री) एप्रोप्रिएशन बिल, 2023
8. द महाराष्ट्र (थर्ड सप्लीमेंट्री) एप्रोप्रिएशन बिल, 2023
9. द महाराष्ट्र एग्रीकल्चर लैंड्स (सीलिंग होल्डिंग) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
10. द महाराष्ट्र इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट्स) बिल, 2023
11. द महाराष्ट्र प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (इस्टैब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) बिल, 2023
12. द जी.एच.रईसनी इंटरनेशनल स्किल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पुणे, बिल, 2023
13. द जी.एच. रईसनी स्किल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नागपुर, बिल, 2023
14. द महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ बिल, 2023
15. द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ आर्ट एजुकेशन बिल, 2023
16. द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
17. द यूनिवर्सल स्किल टेक यूनिवर्सिटी, वसई बिल, 2023
18. द महाराष्ट्र स्लम एरियाज (इम्प्रूवमेंट क्लीयरेंस एंड रिडेवलपमेन्ट) (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2023

नागालैंड

नागालैंड म्युनिसिपल बिल, 2023

ओडिशा

द ओडिशा लैंड रिफॉर्म्स (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023

पंजाब

1. द ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी (पंजाब अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द रजिस्ट्रेशन (पंजाब अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. द पंजाब फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2023
5. द इंडियन स्टाम्प (पंजाब अमेंडमेंट) बिल, 2023
6. द पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज बिल, 2023

सिक्किम

1. द सिक्किम एरियल रोपवे बिल, 2023
2. द सिक्किम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द सिक्किम गुरु पद्मसंभय यूनिवर्सिटी बिल, 2023
4. द सिक्किम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बिल, 2023
5. द एडटेक स्किल्स यूनिवर्सिटी सिक्किम बिल, 2023
6. द नेशनल काउंसिल फॉर स्किल एजुकेशन बिल, 2023

तमिलनाडु

1. द तमिलनाडु पेमेन्ट ऑफ़ सैलरीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द तमिलनाडु प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द तमिलनाडु प्रोहिबिशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023
4. द तमिलनाडु सिल्कवर्म सीड (प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट बिल, 2023
5. द तमिलनाडु टैक्सेज (सेट्लमेंट ऑफ एरिअर्स) बिल, 2023
6. द तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द चिट फंड्स (तमिलनाडु अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द तमिलनाडु एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेग्युलेशन) सेकिंड अमेंडमेंट बिल, 2023
9. द तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2023
10. द तमिलनाडु मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2023
11. द तमिलनाडु एप्रोप्रिएशन (संख्या 3) बिल, 2023
12. द तमिलनाडु एप्रोप्रिएशन (संख्या 4) बिल, 2023
13. द तमिलनाडु एप्रोप्रिएशन (संख्या 5) बिल, 2023
14. द तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2020
15. द तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2020

16. द तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2022
17. द तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2022
18. द तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई (अमेंडमेंट) बिल, 2022
19. द तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2022
20. द तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज लॉज़ (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2022
21. द तमिलनाडु (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2022
22. द तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2023
23. द तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023

उत्तर प्रदेश

1. द उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023
2. द उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बिल, 2023
3. द उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद बिल, 2023
4. द उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद बिल, 2023
5. द उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद बिल, 2023
6. द उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
7. द उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, 2023
8. द उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2023
9. द उत्तर प्रदेश एप्रोप्रिएशन (सप्लीमेंट्री 2023-2024) बिल, 2023

पश्चिम बंगाल

1. द बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली (मेंबर्स ईमोलूमेंट्स) (अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द वेस्ट बंगाल सैलरीज़ एंड एलाउंस (अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. द वेस्ट बंगाल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023

दिल्ली

1. द दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज (सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. द दिल्ली एप्रोप्रिएशन (संख्या 4) बिल, 2023

परिशिष्ट छह

1 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
	बिहार				
	बिहार गुड्स एण्ड सर्विस इंस्ट्रक्शन्स (रिविजन), 2023	28.09.2023	06.11.2023	17.11.2023	—
	झारखंड				
	झारखंड गुड्स एण्ड सर्विस कर इंस्ट्रक्शन्स (रिविजन), 2023	01.12.2023	15.12.2023	—	—
	कर्नाटक				
	कर्नाटक कम्पलसरी सर्विस बाय कैंडीडेट्स कंपलीटेड मेडिकल कोर्सेज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	08.11.2023	—	—	—
	केरल				
1.	केरल म्युनिसिपलिटी (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	—	—	—	—
2.	केरल पंचायत राज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	—	—	—	—
	महाराष्ट्र				
1.	महाराष्ट्र गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	26.09.2023	07.12.2023	18.01.2024	विधान द्वारा प्रतिस्थापित

क्रम सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
2.	महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	20.10.2023	07.12.2023	18.01.2024	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
3.	महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	23.10.2023	07.12.2023	18.01.2024	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
		उत्तर प्रदेश			
1.	उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	01.09.2023	28.11.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
2.	उत्तर प्रदेश गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	30.09.2023	28.11.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
3.	उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी (सिक्स्थ अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	20.10.2023	28.11.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (अमेंडमेंट) इंस्ट्रक्शन्स, 2023	08.11.2023	28.11.2023	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
5.	इंडियन स्टैम्प (उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	28.12.2023	—	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित
6.	उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेवेंथ अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2023	31.12.2023	—	—	विधान द्वारा प्रतिस्थापित

परिशिष्ट सात

क. 17वीं लोक सभा में दल-वार प्रतिनिधित्व (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार)
(31.12.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	बीजेपी	कांग्रेस	द्रमुक	एआईटीसी	वाईएसआरसीपी	एसएस	जद (यू)	बीजद	बसपा	बीआरएस	एलजेएसपी	राकांपा	सपा	सीपीआई (एम)	आईयूएमएल	जेकेएनसी	तेदेपा	एडी(एस)	एआईएमआईएम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	25	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	14	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	40	17	1	-	-	-	-	16	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	11	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	गोवा	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हरियाणा	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर[1]	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
11.	झारखंड	14	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	28	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13.	केरल	20	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
14.	मध्य प्रदेश	29	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	महाराष्ट्र	48	22	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
16.	मणिपुर	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	मेघालय	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	नागालैंड	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	ओडिशा	21	8	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	पंजाब	13	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	राजस्थान	25	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	सिक्किम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	तमिलनाडु	39	-	8	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
25.	तेलंगाना	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26.	त्रिपुरा	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	80	64	1	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-
28.	उत्तराखंड	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	पश्चिम बंगाल	42	17	2	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	चंडीगढ़	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	दादरा एवं नगर हवेली[2]	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	दमन एवं दीव[2]	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	लक्षद्वीप	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36.	पुदुचेरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	543	290*	48	24	22	22	19	16	12	9	8	6	5	3	3	3	3	3	2	2

[1] संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विभाजित।

[2] दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय कर दिया गया।

* माननीय लोक सभा अध्यक्ष सहित।

परिशिष्ट सात-क (जारी...)

17वीं लोक सभा में दल-वार प्रतिनिधित्व (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार)

(31.12.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	भाकपा	एसएडी	आप	अन्नाद्रमुक	एसएडी (ए) (एसएसएम)	एआईयूडीएफ	आजसू	एनपीएफ	एमएनएफ	जद (एस)	झामुमो	वीसीके	एसकेएम	केसी (एम)	एनडीपीपी	एनपीपी	आरएसपी	आरएलपी	निर्दलीय	नामित	कुल	रिक्त पद
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3.	असम	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
7.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
8.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
10.	जम्मू और कश्मीर[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
11.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
12.	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	-
13.	केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	20	-
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5
15.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	46	2
16.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
17.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
18.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
20.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
21.	पंजाब	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-

22. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4
23. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24. तमिलनाडु	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
25. तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4
26. त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
27. उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	79	1
28. उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
29. पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	1
30. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31. चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32. दादरा एवं नगर हवेली[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
33. दमन एवं दीव[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
34. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
35. लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
36. पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
कुल	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	3	-	522	21

[1] संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विभाजित।

[2] दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय कर दिया गया।

दलों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी); द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके); अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी); युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी); शिव सेना (एसएस); जनता दल (यूनाइटेड) [जद (यू)]; बीजू जनता दल (बीजद); बहुजन समाज पार्टी (बसपा); भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस); लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेएसपी); राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी); समाजवादी पार्टी (सपा); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई (एम)]; इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल); जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (जेकेएनसी); तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी); अपना दल (सोनेलाल) [एसडी()]; ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम);भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई); शिरोमणि अकाली दल (शिअद); आम आदमी पार्टी (आप); अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके); शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान) – [एसएडी (ए) (एसएसएम)]; ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ); आजसू पार्टी (आजसू); नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ); मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ); जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) [जद(एस)]; झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो); विदुथलाई चैरुथाइगल काची (वीसीके); सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम); केरल कांग्रेस (एम) [केसी(एम)]; नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी); नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी); रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी); राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) और निर्दलीय (आईएनडी)।

ख. राज्य सभा में दल-वार स्थिति (31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की सं.	भाजपा	भाराकां	एआईटीसी	द्रमुक	आप	बीजद	वाईएसआर सीपी	बीआरएस	राजद	सीपीआई (एम)	जद (यू)	अन्य	निर्दलीय	कुल	रिक्त स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	11	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1[क]	-	11	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3.	असम	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2[ख]	1	7	-
4.	बिहार	16	4	1	-	-	-	-	-	-	6	-	5	-	-	16	-
5.	छत्तीसगढ़	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
6.	गोवा	1	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7.	गुजरात	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
8.	हरियाणा	5	3	1											1	5	
9.	हिमाचल प्रदेश	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
10.	झारखंड	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2[ग]	-	6	-
11.	कर्नाटक	12	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[घ]	-	12	-
12.	केरल	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4[ङ]	-	9	-
13.	मध्य प्रदेश	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
14.	महाराष्ट्र	19	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8[च]	-	19	-
15.	मणिपुर	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16.	मेघालय	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[छ]	-	1	-
17.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[ज]	-	1	-
18.	नागालैंड	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	ओडिशा	10	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	10	-
20.	पंजाब	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
21.	राजस्थान	10	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1
22.	सिक्किम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[झ]	-	1	-

23.	तमिलनाडु	18	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	7(ञ)	-	18	-
24.	तेलंगाना	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
25.	त्रिपुरा	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26.	उत्तर प्रदेश	31	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3(ट)	1	31	-
27.	उत्तराखंड	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
28.	पश्चिम बंगाल	16	1	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1(ठ)	-	16	-
संघ राज्यक्षेत्र																	
29.	जम्मू और कश्मीर	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य	4
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	पुदुचेरी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
32.	नामनिर्दिष्ट	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2
	कुल	245	93	30	13	10	10	9	9	7	6	5	5	36	3	238	7

अन्य:
(दलों/समूहों का विभाजन)

(क) टीडीपी-1
(ख) एजीपी-1, यूपीपी (एल)-1
(ग) झामुमो-2
(घ) जेडी(एस)-1
(ङ) सीपीआई-2, आईयूएमएल-1, केसी (एम)-1
(च) एनसीपी-4, एसएस-3, आरपीआई (एटीडब्ल्यूएल)-1
(छ) एनपीपी-1
(ज) एमएनएफ-1
(झ) एसडीएफ-1
(ञ) एआईएडीएमके-4, एमडीएमके-1, पीएमके-1, टीएमसी(एम)-1
(ट) बीएसपी-1, एसपी-1, आरएलडी-1
(ठ) सीपीआई(एम)-1

ग. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडलों में दल-वार स्थिति

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की सं.	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा.	रा.कां.पा.	ब.स.पा.	ज.द. (यू)	ज.द. (एस)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	126	27	63	1	-	-	-	-	-	34[अ]	1	126	-
बिहार वि.स.	243	19	78	2	2	-	-	45	-	96[आ]	1	243	-
बिहार वि.प.	75	4	24	-	1	-	-	23	-	17[इ]	6	74	-
छत्तीसगढ़ वि.स.	90	35	54	-	-	-	-	-	-	2[ई]	1	90	-
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात वि.स.	182	16	156	-	-	-	-	-	-	5[उ]	3	180	2
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स. * *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झारखण्ड वि.स.	82	16	25	-	1	1	-	-	-	37[ऊ]	2	82	-
कर्नाटक वि.स.	224	134	66	-	-	-	-	-	19	3[ऋ]	2	224	-
कर्नाटक वि.प.	75	29	34	-	-	-	-	-	8	1[ए]	1	73	2
केरल वि.स.	-	21	-	62	17	2	-	-	2	36[ऐ]	-	140	-
मध्य प्रदेश वि.स.	230	66	163	-	-	-	-	-	-	1[ओ]	-	230	-
महाराष्ट्र वि.स.	288	44	104	1	-	53	-	-	-	71[औ]	13	286	2
महाराष्ट्र वि.प.	78	8	22	-	-	9	-	1	-	13[अं]	4	57	21
मणिपुर वि.स.	60	5	37	-	-	-	-	1	-	14[अः]	3	60	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	40	1	2	-	-	-	-	-	-	37[क]	-	40	-

नागालैंड वि.स.	60	-	12	-	-	7	-	1	-	36(ख)	4	60	-
ओडिशा वि.स.	147	9	22	1	-	-	-	-	-	113(ग)	1	146	1
पंजाब वि.स.	117	18	2	-	-	-	1	-	-	95(घ)	1	117	-
राजस्थान वि.स.* *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम वि.स.	32	-	12	-	-	-	-	-	-	20(ङ)	-	32	-
तमिलनाडु वि.स.	234	18	4	2	2	-	-	-	-	208(च)	-	234	-
तेलंगाना वि.स.	120	64	8	-	1	-	-	-	-	46(छ)	-	120	-
तेलंगाना वि.प.	40	1	1	-	-	-	-	-	-	35(ज)	1	34	6
त्रिपुरा वि.स.	59	3	32	10	-	-	-	-	-	14(झ)	-	58	1
उत्तर प्रदेश वि.स.	403	2	253	-	-	-	1	-	-	145(ञ)	-	401	2
उत्तर प्रदेश वि.प.	100	-	81	-	-	-	1	-	-	15(ट)	2	99	1
उत्तराखण्ड वि.स.* *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	294	1	74	-	-	-	-	-	-	217(ठ)	1	293	1
संघ राज्यक्षेत्र													
दिल्ली वि.स.	70	-	8	-	-	-	-	-	-	62(ड)	-	70	-
पुदुचेरी वि.स.	33	2	9	-	-	-	-	-	-	16(ढ)	6	33	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

अ. एजीपी-9, यूपीपीएल-7, एआईयूडीएफ-15 और बीपीएफ-3

आ. राष्ट्रीय जनता दल -79, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन)-12, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन -1 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)-4

इ. माननीय सभापति-1, माननीय उपसभापति-1, आर.जे.डी.-13, आर.एल.जे.पी.-1 और एचएएम (सेक्युलर)-1

ई. गोंडवाना गणतत्र पार्टी-1

उ. आम आदमी पार्टी-5 और समाजवादी पार्टी-1

ऊ. अध्यक्ष-1, झारखंड मुक्ति मोर्चा -28, आजसू पार्टी -3, झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)-2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी -1, राष्ट्रीय जनता दल -1, एवं नामित-1

ऋ. कल्याण राज्य प्रगति पक्ष (केआरपीपी)-1, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष (एसकेपी)-1 और अध्यक्ष-1

ए. सभापति-1

ऐ. केरल कांग्रेस (एम)-5, कांग्रेस (सेक्युलर)-1, केरल कांग्रेस (बी)-1, लोकतांत्रिक जनता दल-1, जनाधिपत्य केरल कांग्रेस-1, इंडियन कांग्रेस लीग-1, नेशनल सेक्युलर कांफ्रेंस-1, एल.डी.एफ. निर्दलीय-5, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग-15, केरल कांग्रेस-2, केरल कांग्रेस (जैकब)-1, रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूडीएफ निर्दलीय-1

ओ. भारतीय आदिवासी पार्टी-1

औ. शिवसेना पार्टी -56, बहुजन विकास अघाड़ी -3, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया -1, समाजवादी पार्टी -2, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन -2, प्रहार जनशक्ति पार्टी -2, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना -1, राष्ट्रीय समाज पार्टी -1, स्वाभिमान पार्टी -1, जनसुराज्य शक्ति पार्टी -1 और क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी -1

अं. शिवसेना -11, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया -1 और राष्ट्रीय समाज पक्ष -1

अः नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)-7, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-5 और कुकी पीपुल्स एलायंस (केपीए)-2

क. जोरम पीपल मूवमेंट (जेडपीएम)-27 और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ)-10

ख. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-25, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-2, लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी)-2, नेशनल पीपुल्स पार्टी -5 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)-2

ग. बी.जे.डी.-113

घ. आम आदमी पार्टी -92 और शिरोमणि अकाली दल -3

ङ. सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा-19 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट-1

च. द्रविड़ मुनेत्र कषगम -132, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम -66, पट्टाली मक्कल काची -5, विदुथलाई चिरुथिगल काची -4 और माननीय अध्यक्ष-1

छ. भारत राष्ट्र समिति -24, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन -7

ज. तेलंगाना राष्ट्र समिति -28, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन -2,निर्दलीय (पीआरटीयू)-1 और नामित-4\

झ. आई.पी.एफ.टी.-1 और टी.एम.पी.-13

ञ. समाजवादी पार्टी -109, अपना दल (सोनेलाल)-13, राष्ट्रीय लोक दल -9, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल -6, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी -6 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक -2

ट. समाजवादी पार्टी -9, अपना दल (सोनेलाल) पार्टी -1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल -1, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक -1 शिक्षक दल (गैर-राजनीतिक)-1 और निर्दलीय-2

ठ. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस-216 और राष्ट्रीय सेक्यूलर मजलिस पार्टी-1

ड. आम आदमी पार्टी -62

ढ. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस -10 और द्रविड़ मुनेत्र कषगम-6